खण्ड-318, अंक-4
गुरूवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1897
(31 जुलाई, 1975 ई0)

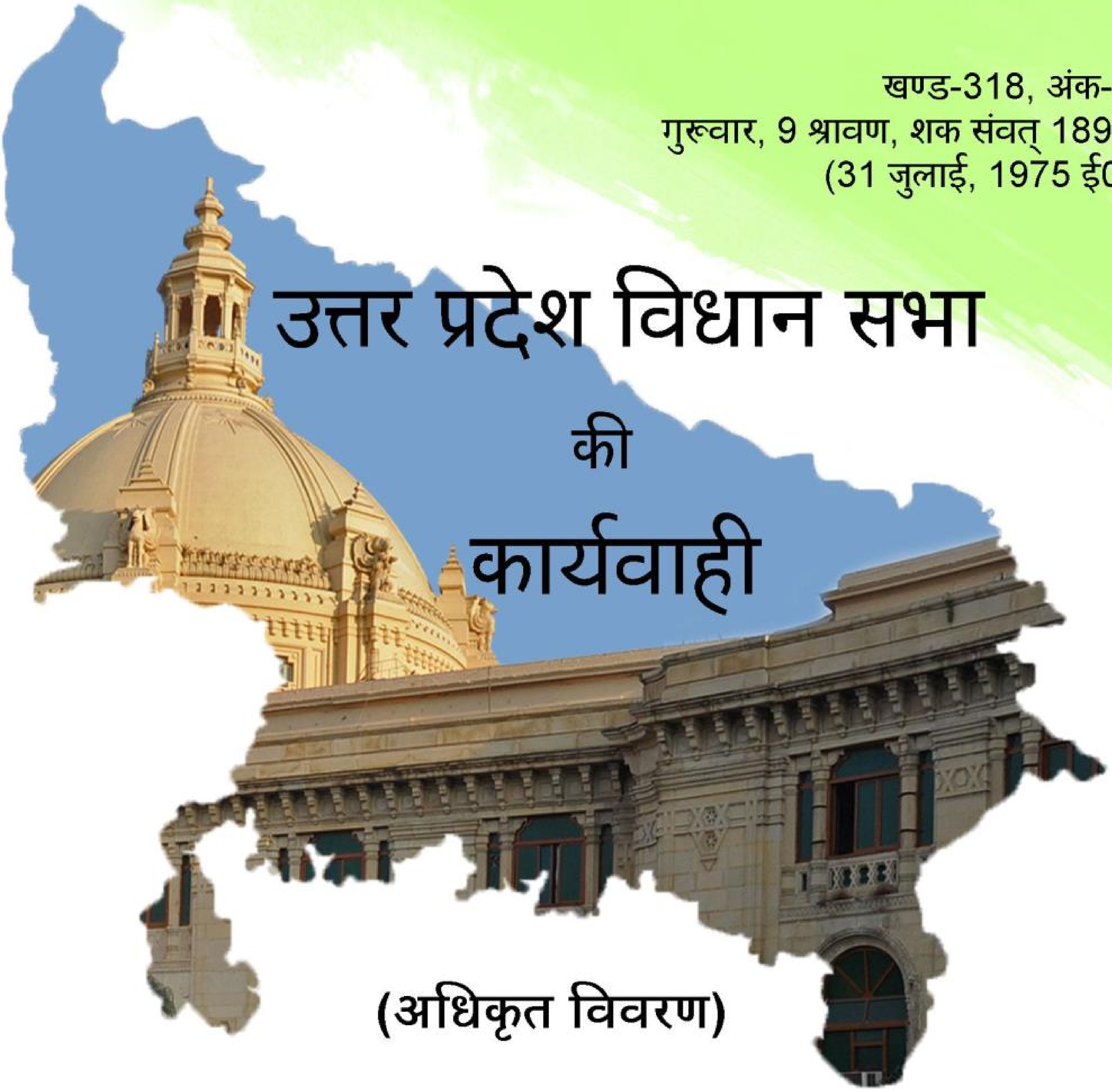

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२७१–२७५
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७५ (सदन के पटल पर रखी गयी)	–२७५
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, १९७५ (सदन के पटल पर रखी गयी)	–२७५
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	–२७५
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	–२७६
उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ (सदन के पटल पर रखा गया)	–२७६
श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	–२७६
गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर की समिति में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	–२७६
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक-१९७५ (पारित)	२७७–२८८
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ (पारित)	२८८–३०९
उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (जारी) ..	–३१०
उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित)	३१०–३१३
उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (पारित) ..	३१३–३१७
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित)	३१७–३२१
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ (पारित)	३२१–३२२
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९७५ (जारी) ..	३२३–३६०
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा (जारी)	३६०–३७८
नत्थियां	३७९–३८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३१७

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)

उत्तर प्रदेश संसदीय

चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर—जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभू दयाल, श्री
प्रभू नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री

बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भवगती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन

रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी देवी, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री

सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल घुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७५†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या २(२)/७५–राजस्व–१, दिनांक २ अप्रैल, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७५ को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, १९७५†

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-६ की अधिसूचना संख्या १९३१/१५(६)–९(७)–७३, दिनांक २० मई, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, १९७५ को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ की धारा १९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७९–३८३ पर)

---

†छापी नहीं गयी।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८४-३८५ पर)

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८६-३८९ पर)

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, सीतापुर के तार दिनांक ३० जुलाई, १९७५ के अनुसार श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (सीतापुर) को दिनांक ३० जुलाई, १९७५ को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, १९७१ की धारा ३(i) (ए) (i) के अन्तर्गत बन्दी करके जिला कारागार, सीतापुर में रखा गया है।

गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर की समिति में एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, 'गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर' की समिति में, पंचम विधान सभा द्वारा निर्वाचित, श्री राम करन के उक्त विधान सभा के दिनांक ४ मार्च, १९७४ के विघटन के कारण रिक्त स्थान पर, उक्त फन्ड के प्रशासन की योजना के नियम २ के साथ पठित नियम १ के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, 'गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर' की समिति में, पंचम विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री राम करन के उक्त विधान सभा के दिनांक ४ मार्च, १९७४ के विघटन के कारण रिक्त स्थान पर, उक्त फन्ड के प्रशासन की योजना के नियम २ के साथ पठित नियम १ के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—

अब उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ के खण्डों पर विचार होगा।

खंड २, ३ तथा ४

२—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में — परिभाषाएं

(क) 'आस्तियों" का तात्पर्य, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, निम्नलिखित से है :—

(१) स्थावर सम्पत्ति में स्वामी, बन्धककर्ता, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या अन्यथा उसके अधिकार, हक या हित ;

(२) किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रोद्यम में, चाहे उसका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता हो या नहीं, उसके अधिकार, हक या हित ;

(३) नकद रखी गई (पांच हजार रूपये से अधिक) कोई भी धनराशि ;

(४) बैंक बैलेन्स जिसके अन्तर्गत सावधि निक्षेप भी है ;

(५) अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां;

(६) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में यथा परिभाषित मोटर गाड़ियां ;

(७) बीमा की पालिसियां ;

(८) आभूषण (जो अंगूठी, इयरिंग, चूड़ियां, बटन, कफ-लिंक, घड़ी, घड़ी के फीते तथा इसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न हों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति सामान्यतया प्रतिदिन पहनता हो) ;

(ख) "परिवार" का तात्पर्य किसी मन्त्री या विधायक के सम्बन्ध में निम्नलिखित से है :—

(१) उसका पति या उसकी पत्नी (जो न्यायिक रूप से पृथक किये हुए पति या पत्नी न हो) ;

(२) उसके अवयस्क बच्चे ; और

(३) रक्त या विवाह द्वारा उससे सम्बन्धित और उस पर पूर्णतया आश्रित कोई अन्य व्यक्ति ;

(ग) "विधायक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी भी एक सदन के सदस्य से है, और इसके अन्तर्गत मन्त्री भी हैं जो इस प्रकार का सदस्य हो ;

(घ) "दायित्व" के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि तक का दायित्व नहीं है ;

---

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही से।

(ङ) "मन्त्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मन्त्रि-परिषद् के सदस्य से है ;

(च) "सचिव" का तात्पर्य किसी विधायक के सम्बन्ध में राज्य विधान मन्डल के जिस सदन का वह सदस्य है, उसके सचिव से है और किसी ऐसे मन्त्री के सम्बन्ध में जो विधायक न हो, विधान सभा के सचिव से है।

मन्त्रियों तथा विधायकों की सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य

३—(१) प्रत्येक मन्त्री या विधायक दिनांक ७ जून, १९७५ से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों का, जैसा कि वे उक्त दिनांक को हों, विवरण प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(२) उक्त दिनांक के पश्चात् मन्त्री के रूप में नियुक्त अथवा विधायक के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (१) में निर्दिष्ट विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति मन्त्री या विधायक के रूप में पदासीनता की समाप्ति पर आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसा कि वे समाप्ति के दिनांक को हों, तत्समान विवरण, ऐसे दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

अर्जन तथा व्ययन का वार्षिक विवरण

४—प्रत्येक मन्त्री या विधायक, अपनी सम्पूर्ण पदावधि में प्रति वर्ष जून के तीसवें दिनांक को अथवा उसके पूर्व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा और अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—(१) यदि ऐसे व्यक्ति ने और उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान न तो किसी आस्ति का अर्जन और न व्ययन किया हो तो भी वह इस धारा के अधीन एक "शून्य" विवरण प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—(२) इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अर्जित" का तात्पर्य किन्हीं आस्तियों के सम्बन्ध में क्रय, दान, वसीयत, पट्टा, विनिमय, बन्धक, विभाजन या पारिवारिक समझौते द्वारा उसके अर्जन से है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

विवरण का बाद में संशोधन

५—यदि धारा ३ या धारा ४ के अधीन विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बाद में यह पता चले कि उस विवरण में कोई लोप या भूल है तो वह ऐसी शुद्धि का, जिसे वह प्रकाशित कराना चाहे, ब्यौरा देते हुये एक विवरण सचिव को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे विवरण के साथ प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा-संलग्न होगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६—(१) सचिव, जो विवरण प्रस्तुत किये गये हों, उन सबको और जिन मन्त्रियों तथा विधायकों से समय के भीतर ऐसे विवरण प्राप्त न हुये हों, उन सभी के नाम भी, धारा ३ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् और प्रति वर्ष धारा ४ में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में गजट में प्रकाशित करेगा। विवरण का गजट में प्रकाशन

(२) सचिव, धारा ३ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन अथवा धारा ५ के अधीन उसे प्रस्तुत किये गये प्रत्येक विवरण को भी प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित करेगा।

(३) यदि सचिव, को किसी ऐसे मन्त्री या विधायक से जिसने धारा ३ या धारा ४ में उल्लिखित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत न किया हो, बाद में कोई विवरण प्राप्त हो तो वह उसे गजट में इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित करेगा कि वह उसे उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—(१) धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन सचिव को प्रस्तुत किये गये विवरण या घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष गजट की, जिसमें उसको धारा ६ के अधीन प्रकाशित किया गया है, एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवरण या घोषणा का साबित किया जाना

(२) विधान मण्डल के किसी सदन के सचिव या सचिवालय कर्मचारिवर्ग के किसी अन्य सदस्य को मूल विवरण या घोषणा को प्रस्तुत करने अथवा उसके सम्बन्ध में किसी अन्य तथ्य को साबित करने के लिये साधारणतया समन नहीं किया जायेगा।

(३) यदि कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से मूल विवरण या घोषणा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझता है तो वह, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति को सदन की अनुज्ञा के लिये एक अनुरोध-पत्र भेजगा कि ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष मूल विवरण या घोषणा को सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत करा दिया जाय, और तत्पश्चात् उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकेगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने वाले आशयित किसी कार्य के लिये और विशेष रूप से किसी सामग्री के प्रकाशन के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध या सचिव के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

निरसन तथा अपवाद

९—(१) उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १५, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम ७ जून, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रथम अनुसूची

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ३(१) के अधीन मन्त्री/विधायक की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, जैसा कि वह दिनांक————————————को थीं।

१—नाम————————————————————

२—पता————————————————————

३—मन्त्री, स० वि० स० अथवा स० वि० प०

४—यदि निर्वाचित हुए हों तो निर्वाचन-क्षेत्र का नाम उल्लिखित कीजिये (नाम निर्देशन की दशा में, नाम निर्देश का तथ्य उल्लिखित किया जाय)

————————————

प्रपत्र १

मन्त्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत कृषि भूमि का ब्योरा :

क्रम-सं०	अभिलिखित खातेदार का नाम तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मन्त्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	गाटा संख्या या अन्य अभिज्ञान संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	भू-राजस्व
१	२	३	४	५	६

टिप्पणी--(१) कृषि भूमि का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी--(२) सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिये जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ-साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और (अथवा सर्वेक्षण संख्या था ग्राम) तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिये।

प्रपत्र २

मन्त्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत (कृषि भूमि से भिन्न) स्थावर सम्पत्तियों का ब्योरा :

क्रम-संख्या	व्यक्ति जिसके नाम सम्पत्ति हो तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मन्त्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	अभिज्ञान संख्या या सीमा	अधिकार, हक या हित का प्रकार (अर्थात् क्या स्वामी, बन्धककर्ता, बन्धकदार, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से धृत है)
१	२	३	४	५

टिप्पणी--(१) सम्पत्ति का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी--(२) सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिये जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ-साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और/अथवा सवक्षण संख्या तथा ग्राम/तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रपत्र ३

किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रोद्यम में मन्त्री/विधायक या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिकार, हक या हित का ब्योरा :—

क्रम-संख्या	प्रोद्यम या व्यापार संस्था का नाम, यदि कोई हो	स्थिति	उसमें उसके अधिकार, हक या हित का प्रकार तथा विवरण
१	२	३	४

टिप्पणी—(१) मन्त्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों के अधिकार, हक या हित का ब्योरा स्तम्भ ४ में पृथक-पृथक दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी—(२) परिवार के सदस्यों की दशा में, मन्त्री/विधायक से उनके सम्बन्ध को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

प्रपत्र ४

मन्त्री या विधायक के स्वामित्व में या उसके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
		रु०	
१	नकद (५,००० रुपये से अधिक)		
२	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित)—		
	(क) सावधि निक्षेप		
	(ख) बचत बैंक		
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
३	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी यूनिट भी है) ..		
४	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित) ..		

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत का मूल्य	अभ्युक्ति
५	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि के ब्योरे सहित) ..	रु०	
६	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय) ..		
	कुल मूल्य ..		

प्रपत्र ५

मन्त्री या विधायक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उसके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा

क—परिवार के सदस्य का नाम——————————

ख—श्री .....(मन्त्री/स०वि०स०/स०वि०प०) से सम्बन्धित

ग—सम्बन्ध का प्रकार

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
		रु०	
१	नकद (५,००० रुपये से अधिक) जो पास में हो		
२	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित)—		
	(क) सावधि निक्षेप		
	(ख) बचत बैंक		
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
३	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई यूनिट भी है) ..		
४	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित) ..		
५	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, का ब्योरा, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम, या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमायुक्त धनराशि का ब्योरा सहित) ..		

विधान सभा

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत का मूल्य	अभ्युक्ति
		रु०	
६	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु का अथवा पत्थर का आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय।)		
		कुल मूल्य	

टिप्पणी—यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों, तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये पृथक विवरण तैयार किया जायगा।

प्रपत्र ६

दायित्व

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	दायित्व की वर्तमान सीमा
१	२	३	४	५

घोषणा

मैं————————————————पुत्र श्री————————
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में, इस विवरण में दी गयी सूचना सही और पूर्ण है।

स्थान
दिनांक

————————
हस्ताक्षर

*श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रथम अनुसूची प्रपत्र ५ की मद संख्या ५ एवं ६ एवं उसके नीचे आये शब्द एवं रेखाओं के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"५—जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या का ब्यौरा, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम, या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि का ब्यौरा सहित)

————————

कुल योग ————————

अभ्युक्ति।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय)।

टिप्पणी—यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये पृथक विवरण तैयार किया जायगा।"

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रथम अनुसूची प्रपत्र ५ की मद संख्या ५ एवं ६ एवं उसके नीचे आये शब्द एवं रेखाओं के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"५—जीवन बीमा पालिसी, (पालिसी संख्या का ब्यौरा, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम, या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि का ब्यौरा सहित)।

———————

कुल योग . .

———————

अभ्युक्ति

आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय)।

टिप्पणी—यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये पृथक विवरण तैयार किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रथम अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

———

द्वितीय अनुसूची

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ४ के अधीन वित्तीय वर्ष १९७ से १९७ के दौरान अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण :

१—मन्त्री/सा०वि०स०/स०वि०प० या
उसके परिवार के सदस्य का नाम——————————

२—पता——————————

३—परिवार के सदस्य की दशा में, मन्त्री/स०वि०स०/स०वि०प० से सम्बन्ध——

भाग १

क्रम-संख्या	अर्जित या व्ययित आस्तियों का विवरण	अर्जन या व्ययन की रीति तथा दिनांक	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे अर्जित किया गया या जिसके हाथ व्ययन किया गया	ऐसे प्रतिफल, यदि कोई हों, की राशि, जिसके लिये अजन या व्ययन किया गया
१	२	३	४	५
				रु०
			कुल मूल्य ..	

भाग २

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	वह दिनांक जब दायित्व उपगत किया गया	दायित्व की तखमीनी कीमत या मूल्य
१	२	३	४	५	६
					रु०
				कुल मूल्य ..	

टिप्पणी—प्रत्येक मन्त्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्य की दशा में पृथक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

घोषणा

मैं——————————————पुत्र श्री ——————————————— सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में इस विवरण में दी गयी सूचना सही तथा पूर्ण है।

स्थान

दिनांक (हस्ताक्षर)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

———

तृतीय अनुसूची

[उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ६ के अधीन अधिसूचना]

विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय,
लखनऊ, दिनांक ————

सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि नीचे उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के उन सदस्यों के और ऐसे मंत्रियों के (जो राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं) नाम हैं जिनसे प्रकाशन के लिये आस्तियों तथा दायित्वों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है :——

(यहां पर नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख कीजिये और उन मन्त्रियों की दशा में, जो विधायक नहीं हैं, मंत्री होने के दिनांक का उल्लेख कीजिये)।

2——सदस्यों/मन्त्रियों से प्राप्त विवरण सर्वसाधारण की सूचना के लिये नीचे दिया जाता है :——

(यहां पर प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया गया विवरण उद्धरित किया जायगा।)

हस्ताक्षर,
सचिव, विधान सभा/परिषद्।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)——

मान्यवर, मैं इस संशोधन को नहीं रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि तृतीय अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों तथा प्रकाशन) विधेयक, १९७५

सभी मन्त्रियों तथा विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण प्रकाशित करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

संक्षिप्त नाम

१——यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ जसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि आज के दिन जब यह सदन इस विधेयक को पास कर रहा है तो हम सार्वजनिक जीवन में एक नया कीर्ति स्तम्भ खड़ा कर रहे हैं। सारे देश में हमारा सौभाग्य है कि यहां उपस्थित सब सदस्य साझीदार हैं, नये कीर्तिमान को खड़ा करने के लिये। आज के दिन हम सब सार्वजनिक जीवन के जो शीर्षस्थ प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, उनके लिये इस सदन द्वारा अपना स्पष्ट मत व्यक्त कर रहे हैं कि हम अपनी सारी सम्पत्ति और अपने सारे जो हमारे पार्थिव रिश्ते हैं उनको लेकर हम अपने जीवन को सारे समाज के सामने उपस्थित कर रहे हैं। इसलिये मैं यह अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस बिल को मूव करने और प्रस्ताव करने का मुझे अवसर मिला है और मैं सबको बधाई देता हूं, जितने यहां उपस्थित हैं, जो हमारे दल के हैं और सी०पी०आई० के लोग हैं, सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री रामपालसिंह यादव और उनके साथियों को और जो कुछ हमारे जनसंघ के उन सदस्यों को जो आज विधान सभा में उपस्थित हैं, उन सबको इस नये कीर्तिमान की स्थापना में हिस्सा लेने में और इसके खड़ा करने में जो उनका सहयोग मिला है, उसके लिये मैं आपके द्वारा उनको बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिये कोई उपाय बाकी नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ (क्रमागत)†

खण्ड २

२—इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

परिभाषाएं

(क) "कार्यवाही" का तात्पर्य विनिश्चय, सिफारिश या उपपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्यवाही से है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्यवाही की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा ;

(ख) "अभिकथन" का तात्पर्य किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि—

(१) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये किया है,

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही से।

(२) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था, या

(३) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी है ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य लोक सेवक के सम्बन्ध में—

(१) मंत्री या सचिव या विधान सभा के या विधान परिषद् के सदस्य के मामले में मुख्य मंत्री से हैं;

(२) किसी भी अन्य लोक सेवक के मामले में ऐसे प्राधिकारी से है जो विहित किया जाय ;

(घ) "शिकायत" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के इस दावा से है कि वह कुप्रशासन के परिणाम स्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है ;

(ङ) "लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है; और "उप लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) "कुप्रशासन" का तात्पर्य किसी कार्यवाही से है जो किसी मामले में प्रशासकीय कृत्यों के सम्पादन में की जाय या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो—

(१) जहां कि ऐसी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तिसंगत, अन्यायपूर्ण या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, या

(२) जहां कि ऐसी कार्यवाही करने में उपेक्षा या अनुचित विलम्ब हुआ हो या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति में अनुचित विलम्ब सन्निहित हो ;

(छ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की मंत्रि परिषद् के (मुख्य मंत्री से भिन्न) किसी सदस्य से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री ;

(ज) "अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा या पद के लिये नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ञ) "लोक सेवक" नीचे वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, अर्थात् :—

(१) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री ;

(२) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य जो मुख्य मंत्री या खंड (छ) में निर्दिष्ट मंत्री न हो ;

(३) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ;

(४) (क) प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रमुख ;

(ख) प्रत्येक जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(ग) प्रत्येक नगरमहापालिका का नगर प्रमुख ;

(घ) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २ के खण्ड (४) में यथा परिभाषित किसी सिटी की नगरपालिका का प्रत्येक प्रेसीडेंट ;

(ङ) सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जिला स्तर की केन्द्रीय समिति अथवा किसी शीर्ष समिति का कोई अशासकीय सभापति (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) या प्रबन्ध निदेशक ;

स्पष्टीकरण—इस उप खण्ड में "केन्द्रीय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी सम्मिलित हों, और "शीर्ष समिति" का तात्पर्य राज्य स्तर की केन्द्रीय समिति से है ;

(५) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ख) उत्तर प्रदेश या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई निगम (स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ गजट में अधिसूचित किया जाय ;

(ग) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का केन्द्रीय अधिनियम १) की धारा ६१७ के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें समादत्त अंशपूंजी का ५१ प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का ५१ प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और जिसे उस सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से है और इसके अन्तर्गत विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी हैं।

*श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में, "लोक सेवक" की परिभाषा से सम्बन्धित उप खंड (ञ) की पहली पंक्ति में शब्द तथा कामा "द्योतक है," तथा शब्द "अर्थात्" के बीच में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "और इसके अन्तर्गत धारा ८ की उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो पहले किसी भी समय नीचे वर्णित रूप में रहा हो, भी है" रख दिये जायं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जी, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में, "लोक सेवक" की परिभाषा से सम्बन्धित उप खंड (ञ) की पहली पंक्ति में शब्द तथा कामा "द्योतक है," तथा शब्द "अर्थात्" के बीच में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "और इसके अन्तर्गत धारा ८ की उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो पहले किसी भी समय नीचे वर्णित रूप में रहा हो, भी है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की नियुक्ति

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा लोक आयुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) लोक आयुक्त को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता से और यदि ऐसा नेता न हो तो उस व्यक्ति से, जिसे उस सदन में विरोध पक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, निर्वाचित करें, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायगा,

(ख) उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा।

(२) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या उनके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(३) उप लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे, और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधाजनक निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त को किसी उप लोक आयुक्त की किसी भी उपपत्ति, निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

उपखंड (१) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष, विधान सभा का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के अनुसरण में विरोधी दल के नेता से परामर्श व्यवहारिक नहीं है तो वह राज्यपाल को विधान सभा में विरोधी दल के किसी अन्य सदस्य का नाम सूचित कर सकते हैं जिसमें विरोधी दल के नेता की बजाय उक्त खंड के अधीन परामर्श किया जायेगा ।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उपखंड (१) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष, विधान सभा का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के अनुसरण में विरोधी दल के नेता से परामर्श व्यवहारिक नहीं है तो वह राज्यपाल को विधान सभा में विरोधी दल के किसी अन्य सदस्य का नाम सूचित कर सकते हैं जिसमें विरोधी दल के नेता की बजाय उक्त खंड के अधीन परमार्श किय जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त द्वारा कोई अन्य पद ग्रहण न करना ।

४—लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास या लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोक आयुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व--

(क) यदि वह पदासीन न्यायाधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग-पत्र दे देगा; या

(ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या

(ग) यदि वह कोई कारबार कर रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या

(घ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा ।

*श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड ४ में शब्द "लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो" के स्थान पर शब्द "लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो" रख दिये जायं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ४ में शब्द "लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो" के स्थान पर शब्द "लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५ से २४

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।

५--(१) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(ख) लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त को, धारा ६ में विनिर्दिष्ट रीति से, उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(२) यदि लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा ३ के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले, या, यथास्थिति, लोक आयुक्त या ऐसा उप लोक आयुक्त अपने कर्त्तव्यों का पुनरारम्भ न करे, उन कर्त्तव्यों का पालनः—

(क) जहां लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां उप लोक आयुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त हों तो उन उप लोक आयुक्तों में से ऐसे उप लोक आयुक्त द्वारा किया जायगा जिसको राज्यपाल आदेश द्वारा निदेश दे,

(ख) जहां उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां स्वयं लोक आयुक्त द्वारा या यदि लोक आयुक्त ऐसा निदेश दें तो अन्य उप लोक आयुक्त द्वारा, या यथास्थिति, अन्य उप लोक आयुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायगा जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(३) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन (लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त के रूप में या किसी भी अन्य हैसियत से) अग्रेतर सेवायोजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के अधीन जैसी धारा २ के खण्ड (१) के उप खण्ड (४) में निर्दिष्ट है, किसी भी सेवायोजन या किसी भी पद का पात्र नहीं होगा।

(४) लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(५) लोक आयुक्त अथवा उप—लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप—लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में. . . .

"(क) लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायगा।

(ख) उप लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्तों और पेंशन में, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का हटाया जाना।

६—(१) संविधान के अनुच्छेद ३११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (२) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच—

(१) लोक आयुक्त के सम्बन्ध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा

(२) किसी उप लोक आयुक्त के सम्बन्ध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है।

(२) उप धारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेंगे।

(३) उप धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिये प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राज्यपाल के समक्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया जाय।

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले

७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो—

(१) किसी मंत्री अथवा सचिव, और

(२) धारा २ के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (२) या (४) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक, या

(३) राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तदर्थ अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उप वर्ग के किसी लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, कोई उप लोक आयुक्त, किसी भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो मंत्री, सचिव अथवा उप धारा (१) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो।

(३) उप धारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उप लोक आयुक्त कर सकता है।

(४) इस अधिनियम के अधीन यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त नियुक्त किये जायं तो, लोक आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामले सौंप सकेगा जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है ।

वे मामले जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा ।

८—(१) एतद् पश्चात् दिए गए उपबन्धों के सिवाय, लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा—

(क) सिवाय परिवाद पर, जो धारा ९ के अधीन और अनुसार किया जाय ;

(ख) जिस परिवाद में किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायत, सन्निहित हो, उस मामले में—

(१) यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो ;

(२) यदि परिवादी के पास किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार है या था :

प्रतिबन्ध यह है कि उप खण्ड (२) की कोई बात लोक आयुक्त या उप उप लोक आयुक्त को अन्वेषण करने से नहीं रोकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उस उप खण्ड में निर्दिष्ट उपचार का आश्रय नहीं ले सकता है या था :

(२) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा,—

(क) जिसके सम्बन्ध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का केन्द्रीय अधिनियम ३७) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं ; या

(ख) जो ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (१९५२ का केन्द्रीय अधिनियम ६०) के अधीन जांच के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

(३) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा १९ के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है ।

(४) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त—

(क) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें शिकायत सन्निहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाय, जिस दिनांक को परिवादी परिवादित कार्यवाही से अवगत हो जाता है ;

(ख) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें अभिकथन सन्निहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया जाय जिस दिनांक को परिवादित कार्यवाही का किया जाना अभिकथित है :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिवाद को ग्रहण कर सकता है, यदि परिवादी उसका समाधान कर देता है कि उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(५) जिस परिवाद में शिकायत सन्निहित हो, उस मामले में इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी प्रशासकीय कार्यवाही पर आक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें विवेक का प्रयोग सन्निहित है, किन्तु इसका अपवाद वहां होगा जहां उसका समाधान हो जाय कि विवेक के प्रयोग में जो तत्व सन्निहित हैं उनका अभाव इस सीमा तक है कि यह नहीं माना जा सकता कि विवेक का उचित प्रयोग किया गया है ।

(६) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें धारा २ के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (४) या उप खण्ड (५) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत सन्निहित है ।

परिवादों के सम्बन्ध में उपबन्ध

९—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) किसी शिकायत के सम्बन्ध में, व्यथित व्यक्ति द्वारा,

(ख) किसी अभिकथन के सम्बन्ध में, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा—

लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां व्यथित व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहां परिवाद किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

(२) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ—पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ-पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है, और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों ।

अधिनियम सं० ५, १९०८

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवाद और शपथ—पत्र तथा उससे संलग्न कोई अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन क्रमशः अभिवचनों और शपथ—पत्रों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा ।

(४) परिवादी द्वारा परिवाद की और उसके अनुलग्नकों की कम से कम तीन प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी ।

(५) कोई ऐसा परिवाद, जिसमें पूर्ववर्ती किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(६) उपधारा (१) से (५) तक में या किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये, भी, पुलिस की अभिरक्षा में या कारागार में या पागल व्यक्तियों के लिये किसी पागलखाना या अन्य स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को लिखित किसी पत्र को बिना खोले और अविलम्ब पुलिस अधिकारी या उस कारागार, पागलखाना या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रसारित किया जायगा और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, यथास्थिति, उसको ग्रहण और उसको परिवाद के रूप में मान्य कर सकता है,किन्तु ऐसे परिवाद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह उपधारा (२) के अधीन शपथ–पत्र संलग्न या समर्थित न हो ।

अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया ।

१०—(१) जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने का प्रस्ताव करता है, तो वह—

(क) उस परिवाद की प्रतिलिपि, सम्बन्धित लोक सेवक को और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ;

(ख) सम्बन्धित लोक सेवक को उस परिवाद पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा ; और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में एसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(२) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा, और विशेषत: परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझें ।

(३) यथापूर्वोक्त को छोडकर, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझें ।

(४) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त, अपने विवेकानुसार किसी परिवाद का अन्वेषण करने से जिसमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, इन्कार कर सकेगा या उसे करना बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—

(क) वह परिवाद तुच्छ है या तंग करने के लिये किया गया है, अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है ; या

(ख) अन्वेषण के लिये या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं है ; या

(ग) परिवादी के लिये अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवादी के लिये उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा ।

(५) ऐसे किसी मामले में, जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करने का या किसी परिवाद के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करें, वहां वह, उसके लिये अपने कारण

अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा ;

(६) किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी भी शक्ति या कर्त्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा।

साक्ष्य

११—(१) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या कोई उप—लोक आयुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसा कोई भी सूचना देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारम्भिक जांच भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का केन्द्रीय अधिनियम, ५) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना ; तथा

(च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

(३) लोक आयुक्त या किसी उप—लोक आयुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का केन्द्रीय अधिनियम, ४५) की धारा १९३ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीयता बनाये रखने का कोई आभार या राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गई सूचना के प्रकटीकरण पर कोई निर्बन्धन, चाहे वह किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा आरोपित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ सूचना के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगा और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के बारे में किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, जो विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है।

(५) इस अधिनियम के आधार पर कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जायगी न उसको प्राधिकृत किया जायगा—

(क) जिससे कि राज्य की सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं) पर या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके ; या

(ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरणा सन्निहित हो ;

और इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र बाध्यकर और निश्चायक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है।

(६) उपधारा (४) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिये विवश नहीं किया जायगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता हो।

लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त का प्रतिवेदन।

१२—(१) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में परिवाद किया गया है, जिसमें शिकायत सन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे अनुचित कष्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त अथवा उपलोक आयुक्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करना होगा जिसे प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(२) सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (१) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर, लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिये की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा।

(३) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में कोई परिवाद किया गया है जिसमें अभिकथन सन्निहित है, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त का समाधान हो जाय, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(४) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (३) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा।

(५) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उपधारा (१) तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाय तो वह सम्बद्ध परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते करते हुये मामले को समाप्त कर देगा, परन्तु जहां उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बद्ध परिवादी को भी उसकी सूचना दे सकेगा।

(६) लोक आयुक्त तथा सभी उप-लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे।

(७) उपधारा (५) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(८) धारा १० की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोक आयुक्त अपने द्वारा अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा समाप्त किये गये या अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश, जो उसे सामान्य, शैक्षिक या वृत्तिक अभिरुचि का प्रतीत हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को समय-समय पर स्वविवेकानुसार उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

मिथ्या परिवाद के मामले में कार्यवाही।

१३—(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझ कर या दुर्भाव से कोई मिथ्या परिवाद करता है, दोष सिद्ध होने पर कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

(२) लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में सेशन न्यायालय के अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (१) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(३) ऐसा कोई न्यायालय यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर करेगा अन्यथा नहीं और सेशन न्यायालय ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में किसी बात के होते हुए भी मामला उसको सुपुर्द न किये जाने पर भी कर सकेगा।

(४) ऐसा न्यायालय, मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से परिवादी को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(५) यदि लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में कोई शपथ-पत्र दाखिल किया है, जानते हुए या जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है, या इस अशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाय, तो यदि, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उपलोक आयुक्त का यह समाधान

हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने व गढ़ने के लिये संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिये तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिये दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण यथासम्भव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है और उसे, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित कर सकेगा ।

(६) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा १७५, धारा १७८, धारा १७९ या धारा १८० में वर्णित है, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, तब वह अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और उसी दिन किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराधी को सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दन्डित कर सकेगा ।

(७) उपधारा (६) के अधीन विचारित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है उनको अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और दण्डादेश को भी अभिलिखित करेगा ।

(८) उपधारा (५) अथवा उपधारा (६) के अधीन किए गए विचारण में सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २९ के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, इस उपधारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, कम कर सकता है या उलट सकता है ।

(९) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (५), (६), (७) तथा (८) के उपबन्ध प्रभावी होंगे किन्तु इन उपधाराओं की कोई बात किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त की उपधारा (३) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां वह उपधारा (५), (६) तथा (७) के अधीन कार्यवाही करना पसन्द न करे ।

(१०) शब्द तथा पद, जो उपधारा (५) से (९) में प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में हैं ।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों का कर्मचारिवर्ग

१४—(१) इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये, लोक आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या करने के लिये किसी उपलोक आयुक्त को अथवा लोक आयुक्त या किसी उपलोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करता हो, उस सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति के लिए रोकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संस्था तथा प्रवर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोक आयुक्त से परामर्श के पश्चात् किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें ।

(३) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ--

(१) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से; या

(२) अन्य किसी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे ।

सूचना की गोपनीयता

१५--(१) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के सम्बन्ध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य, धारा १० की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का केन्द्रीय अधिनियम १) में किसी बात के होते हुए किसी भी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को पेश करने के लिए बाध्य करे ।

(२) उपधारा (१) की कोई बात--

(क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किए जाने वाले किसी प्रतिवेदन में या ऐसे प्रतिवेदन पर की जाने वाली किसी कार्यवाही, या कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स) के लिए; या

(ख) आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, १९२३ (१९२३ का केन्द्रीय अधिनियम १९) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का केन्द्रीय अधिनियम ४५) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये या धारा १३ के अधीन किसी अपराध पर विचारण या धारा १६ के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये ; या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायं;

कोई सूचना या विशिष्टियां प्रकट करने पर लागू नहीं होंगी ।

(३) तदर्थ विहित कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को लिखित नोटिस दे सकेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचना के किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या सूचना या उस वर्ग की सूचना या दस्तावेजों को प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसी कोई नोटिस दे दी जाय वहां इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उसके द्वारा लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त या उनक कर्मचारि वर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी दस्तावेज या सूचना को किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित है, जब तक कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या सूचना के प्रकटीकरण में लोकहित में सन्निहित नहीं है।

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना।

१६—(१) जो कोई लोकआयुक्त या उपलोक आयुक्त का उस समय जब कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो साशय कोई अपमान करता है, या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(२) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है, जो लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिए प्रकल्पित हो वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायगा।

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का केन्द्रीय अधिनियम संख्या २) की धारा १९९ की उपधारा (२) से (६) के उपबन्ध उप धारा (१) या उप धारा (२) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा १९९ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, परन्तु इस परिष्कार के अधीन कि ऐसे अपराध के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी परिवाद—

(क) लोक आयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के मामले में, लोक-आयुक्त की,

(ख) उप लोक आयुक्त के विरुद्ध अपराध के मामले में, सम्बन्धित उप लोक आयुक्त की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।

संरक्षण

१७—(१) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या धारा १४ में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(२) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की कोई कार्यवाही औपचारिकता के अभाव में गलत नहीं मानी जायगी, और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार का अपवाद करते हुए, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायगी, न उसका पुनर्विलोकन या अभिखंडन किया जायगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायगी।

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना

१८—(१) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, यथास्थिति, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं।

(२) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेंसियों, प्राधिकारियों या अधिकारी वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(३) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, लोक आयुक्त से किसी भी कार्यवाही का जो ऐसी कार्यवाही हो, (जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम में किसी बात के होत हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण किसी उप लोक आयुक्त को सौंप सकेगा।

(४) जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (३) के अधीन किसी कार्यवाही का अन्वेषण करना हो, तब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग वह किसी परिवाद पर जिसमें कोई अभिकथन सन्निहित हो, किये जाने वाले अन्वेषण के मामले में करता और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

लोक सेवक को कतिपय वर्गों के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति

१९—(१) राज्य सरकार लोक आयुक्त के परामर्श से तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध परिवादों को जिनमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त अथवा, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अधिसूचना उन लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जायगी जो एक हजार रुपये या अधिक के न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) वाले पद धारण कर रहे हों।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखी जायगी और यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात मे सहमत हो कि अधिसूचना का अभिशून्यन किया जाना चाहिये, और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दे तो अधिसूचना ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप से प्रभावी होगी अथवा, यथास्थिति,

प्रभावहीन हो जायगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त अधिसूचना के कारण पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

प्रत्यायोजन की शक्ति

२०—लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त किसी लिखित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर आरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा १२ के अधीन राज्यपाल का प्रतिवेदन देने की शक्ति के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा १४ में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें ।

नियम बनाने की शक्ति

२१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) धारा २ के खंड (ग) के उप खंड (२) के अधीन विहित किये जाने के निमित्त अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारी;

(ख) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हो, एवं सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) प्रपत्र, यदि कोई हो, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके सम्बन्ध में ली जा सकेगी, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन किया जाय उसके विरुद्ध खर्चे के लिये प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसे देना अपेक्षित हो;

(घ) किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां जो लोक अयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी ;

(ङ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वियन के लिये उपबन्ध होना आवश्यक है ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायेगा और यदि उक्त अवधि के दौरान सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि नियम का अभिशून्यन किया जाना चाहिये और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

२२—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को— सन्देहों का दूर किया जाना

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद २३६ के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक-सेवा के किसी सदस्य,

(ख) किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,

(ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, या उसके कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य,

(ङ) संविधान के अनुच्छेद ३२४ में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(च) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य, के विरुद्ध किसी परिवाद का अन्वेषण करने के लिये प्राधिकृत करती है।

२३—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमिति या विधि के किसी नियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, कोई उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी। अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १३, १९७५

२४—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३ तथा २४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

प्रथम अनुसूची

[धारा ३ (२) देखिये]

मैं . . . . . जो लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

द्वितीय अनुसूची

[धारा ५ (४) देखिये]

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताए समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा, अर्थात् :—

लोक आयुक्त—लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो, या लोक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, ४,००० रुपये, किसी अन्य दशा में ३,५०० रुपये;

उप लोक आयुक्त—उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ हो, या उप लोक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, ३,५०० रुपये, किसी अन्य दशा में ३,००० रुपये :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेंशन के अतिरिक्त) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :—

(क) पेंशन की राशि ; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान का पेंशन समतुल्य।

तृतीय अनुसूची

[धारा ८ (१) (ख) (१) देखिये]

(क) अपराध का अन्वेषण करने अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ की गई कार्यवाही।

(ख) यह अवधारित करने के सम्बन्ध में कि न्यायालय में कोई मामला जायगा या उसका अभियोजन जारी रहेगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करके की गयी कार्यवाही।

(ग) उन विषयों में जो ग्राहकों या पूर्तिकर्ताओं के साथ, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य निगम, कम्पनी, या सोसाइटी के प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाली संविदा

के निबन्धनों से प्रोद्भूत हो, की गई कार्यवाही, सिवाय उस दशा के जब परिवादी संविदायी आभार को पूरा करने में परेशानी अथवा घोर विलम्ब का अभिकथन करता हो ।

(घ) लोक सेवकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन, अनुशासन, अधिवार्षिकी या सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में की गयी कार्यवाही, किन्तु इसके अन्तर्गत पेंशन, अनुग्रह राशि, भविष्य निधि का कोई दावा अथवा सेवा निवृत्ति, निष्कासन अथवा सेवा समापन से प्रोद्भूत कोई दावा सम्मिलित नहीं है ।

(ङ) सम्मान तथा पारितोषिक का प्रदान किया जाना ।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों तथा अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों तथा अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह उत्तर प्रदेश के बाहर उस राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में तैनात लोक सेवकों पर भी लागू होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५, जैसा कि सदन द्वारा सशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४†

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय। इसमें कुछ विशेष कहने को नहीं है। यह साधारण विधेयक है। मुझे आशा है कि सारा सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ की कापी अभी मेरे पास नहीं है इसलिये हम तब तक अगला आइटम ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि १९६९ में हाईकोर्ट की फुल बेंच का एक जजमेंट हुआ कि सेक्शन ३ में किसी भी रोड का चाहे वह राजकीय हो या नेशनल हाई वे हो उसके रोड साइड कंट्रोल एरिया में सेक्शन ३ के सब क्लाजेज २ से ६ तक एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसको फालो करना चाहिए और जब वह प्रक्रिया पूरी हो जाय तो सेक्शन ३ की धारा १ में वह गजट में प्रकाशित हो जायेगा। उसमें समय निश्चित नहीं था। जब कभी सड़क का निर्माण हो या उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाय तो उस पर एतराज हुआ करता था। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार को सन् ४५ से लेकर चाहे वह ६५ में हो, ६८ में हो या ७०—७५ में हो, दो डेली अखबारों में नान इंगलिश पेपर्स में उसे छापना पड़ता था या यह देखना पड़ता था कि कलेक्टर ने उसे पास किया या नहीं। इन चीजों का सबूत देना पड़ता था। बहुत से लोग जो सन् ४३ से सर्विस में थे और रिटायर हो गये, उस वक्त के हिन्दी पेपर्स मिलने मुश्किल हो जाते थे और फलस्वरूप निर्माण कार्य रुक जाता था। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और इसमें लिखा है कि जो प्रक्रिया है सब सेक्शन २ से ६ तक, और साथ ही पहली चीज स्पष्ट नहीं है इसलिये मैं मजबूर हूं कि यह सबूत मानूं। इससे निर्माण कार्य में बाधा पड़ती थी। इसलिये इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न रहे। इसमें यह किया गया है कि धारा ३ की उपधारा (७) के स्थान पर यह रखा जाय कि सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिस उपधारा (१) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चयायक सबूत होगी कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से (ड्यूली कम्प्लाईड विद) की गई है, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है, एक नियंत्रित क्षेत्र है। इस संशोधन के द्वारा निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, यह सही है कि जो संशोधन माननीय मंत्री जी लाये हैं उसके बिना बहुत बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन मैं एक दूसरी कठिनाई की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान

---

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मूल अधिनियम के अन्तर्गत दो स्थानीय अखबारों में इस घोषणा का प्रकाशित होना आवश्यक समझा गया था। इसका आशय यही था कि इसके साथ ही लोगों को मालूम हो सके कि यह कन्ट्रोल्ड एरिया है। इस संशोधन के बाद एक खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि गजट के अन्दर तो आप प्रकाशित कर दें, लेकिन जो अन्य प्रक्रियाएं हैं—स्थानीय दो अखबारों के द्वारा प्रचार करने, या डुगडुगी पिटवाकर प्रचार करने की, वे बन्द हो जायें। अतः मेरा निवेदन है कि दूर-दराज के लोगों को यह अवश्य मालूम हो जाना चाहिये कि अब यह कन्ट्रोल्ड एरिया हो गया है। इसलिये ये रास्ते या अन्य तरीके अवश्य रहने चाहिये। आप वैधानिक कठिनाइयों की वजह से यह बात ले आए हैं, तो ठीक है, लेकिन दूर-दराज के लोगों को जानकारी समय पर हो और उन्हें एतराज दाखिल करने का मौका मिले। अधिनियम में नहीं तो किन्हीं नियमों में ही इसका प्राविधान अवश्य किया जाए, जिससे स्थानीय जनता का हैरेसमेंट न हो, तो अच्छा हो।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, उसमें मुझे यह कहा है कि उसमें यह है, दफा (३) क सब क्लाज (१) में वह फाईनल गजट होता है। उसके बाद जो २ से ६ तक प्रक्रिया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को तीन महीने पहले गजट द्वारा प्रकाशित करना पड़ता है। और स्टेट गवर्नमेंट को दो डेली स्थानीय पेपर्स में भी प्रकाशित उन्हें करना पड़ता है और कलेक्टर के लिये भी आवश्यक है कि वह उसे चस्पा भी करे और मनादी भी कराए। तो इस में कहीं कोई कमी नहीं की गई है। अब कहीं २५–३० वर्ष में निर्माण हो और कहा जाए कि लोकल पेपर्स उपलब्ध किए जाए, तो वह असम्भव सा हो जाता है। उस वक्त के अधिकारी और कर्मचारी रिटायर भी हो चुके होते हैं। इसलिये प्रक्रिया मनादी कराने की या डेली अखबारों में प्रकाशित कराने की बात खत्म या कम नहीं की गई है, वह सारा आबजरवेशन अक्षरशः पूरा-पूरा होगा। साथ ही माननीय सदस्य की शंका का आदर करते हुए उन्हें आश्वासन देता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होने पावेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अब मुझे भी इस पर कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। मंत्री जी के पहले आप बोल सकते थे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १०, १९४५ की धारा ३ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ की धारा ३ में, उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(७) सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिसे उपधारा (१) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से की गई है, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है एक नियन्त्रित क्षेत्र है।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन, मैं खण्ड दो पर ही बोलना चाहता हूं। श्रीमन, इसका मूल नाम संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ है। इसके उद्देश्य और कारण में है—खुड़खुड बनाम स्टेट (१९६९) का केस हाईकोर्ट से निर्णीत होने के बाद एल० आर० में रिपोर्ट हुआ और उसके बाद वहां निर्णय हुआ कि इसमें इस इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। इसमें स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है। दोनों में अन्तर है। इसको लेकर अब कोई हाई कोर्ट में गया तो संयुक्त प्रान्त के नाम पर ही पूरा कानून हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश के नाम से ही वह कानून होना चाहिए। इसलिए खण्ड (२) में ही या अन्य किसी जगह संयुक्त प्रान्त की जगह उत्तर प्रदेश कर देना चाहिये। नहीं तो हाई कोर्ट से यह सारा कानून ही आपका रद्द हो सकता है। तब यहां के अफसरों को इतनी बड़ी गलती का आभास होगा। इसलिये संयुक्त प्रान्त के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका केवल सुझाव है।

माननीय काशीनाथ मिश्र ने किसी संशोधन की विधिवत् सूचना नहीं दी है। आपका सुझाव है। माननीय मन्त्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री शिवप्रसाद सिंह—

यह ऐक्ट, गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट, १९३५ के अन्तर्गत १९४५ में बनाया गया था। उसका उस वक्त नाम यूनाइटेड प्राविन्सेज रोड लैन्ड ऐक्ट था। आज जो श्रीमन, आपके सामने संशोधन मूव कर रहे हैं जो अधिनियम है उसमें साफ कहा गया है, उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५। तो यह प्रश्न नहीं उठता है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, जो संशोधित हो रहा है उसका नाम नहीं बदला जा सकता है। इसलिये काशीनाथ जी का जो भ्रम है, जो ऐक्ट का नाम है उस ऐक्ट को बदल कर उत्तर प्रदेश का ऐक्ट बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन काशीनाथ जी कहते हैं कि सब कानून अद्यतन (अप-टु-डेट) होने चाहिये। प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री आ गये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं माफी चाहता हूं। इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हुई, अजेंडा पर १२ नम्बर पर होने के कारण।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस संशोधन को लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजेज की स्थिति ठीक नहीं है। उन आयुर्वेदिक कालेजेज की स्थिति को ठीक करने के लिये कानपुर मेडिकल कालेज से ऐफीलिएशन कर दिया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में सम्बन्धीकरण का कार्य कानपुर मेडिकल कालेज के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का इन्डियन मेडिसिन बोर्ड भी काम कर रहा है। इस डुप्लीकेशन के कारण आयुर्वेदिक कालेजेज़ के स्टैन्डर्ड को बढ़ाने में दिक्कत पड़ रही है। इसलिये इस अधिकार को केवल कानपुर मेडिकल कालेज को दिया जा रहा है। उसके साथ जिस विद्यालय में आयुर्वेदिक सिस्टम की पढ़ाई जारी है बोर्ड वहां अनुचिकित्सीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ से ९

२—यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में, खण्ड (४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३९ की धारा २ का संशोधन

"(४-क)—'अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम' का तात्पर्य आयुर्वेदिक अथवा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म में कम्पाउन्डरों, नर्सों तथा धात्रियों के प्रशिक्षण के लिये बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से है"

धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (३) से खण्ड (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(३) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, एक-एक सदस्य जिन्हें विहित रीति से ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(४) उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(५) उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किया जायगा ;

धारा ३६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३६ में—

(क) खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को संकाय की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता निलम्बित करना या वापस लेना ;"

(ख) खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(४) बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना ! :"

(ग) खण्ड (७) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(७) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म के विकास के लिये ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों ;"

(घ) खण्ड (९) निकाल दिया जाय ।

धारा ३६-क का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३६-क में—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(४) निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश ।"

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(४) उपधारा (१) के खन्ड (३) में निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड का सदस्य न रह जाने पर संकाय का सदस्य न रह जायगा ।"

धारा ३६-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ३६-ख को पुनःसंख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) से खण्ड (ग) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

"(क) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण देने के लिये आयुर्वेदिक तथा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन का पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षायें लेना जिन्होंने बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केन्द्र में पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ग) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किये गये आवासिक तथा अनुशासनिक प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके छात्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना ;"

(२) खण्ड (ङ) तथा (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराना ; और

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने के लिये बोर्ड से सिफारिशें करना।"

(३) खण्ड (छ) निकाल दिया जाय ; और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) रजिस्ट्रार संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।"

धारा ३६-ग का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ३६-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"३६-ग—धारा ३६-ख में निर्दिष्ट किसी विषय पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने की दशा में बोर्ड उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

धारा ३७ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) (क) वे शर्तें जिन पर संस्थाओं को धारा २८ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान की जा सकेगी ;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेशित किये जायेंगे तथा ऐसे डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र दिये जाने के पात्र होंगे ;

(घ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास की शर्तें और ऐसे आवास के लिये फीस उद्गृहीत करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या, अर्हतायें तथा उपलब्धियां ;

(च) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों के लिये तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश करने तथा डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र के प्रदत्त करने के लिये ली जाने वाली फीस, और

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग, और उनके कर्त्तव्य तथा परीक्षा का संचालन :

प्रतिबन्ध यह है कि विनियम बनाते समय बोर्ड सामान्य या प्रशिक्षण केद्रों की वित्तीय तथा अन्य विद्यमान दशाओं का ध्यान रखेगा ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपखन्ड (क) से (छ) तक के किसी भी उपखण्ड के अधीन कोई विनियम, उस सिफारिश पर ही बनाया जायेगा जो संकाय द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जिसे विहित किया जाय अन्यथा नहीं।"

धारा ४० का प्रतिस्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात् –

कतिपय नियुक्तियों का वैद्यों और हकीमों के लिये आरक्षण

"४०—राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय किसी ऐसे वैद्य या हकीम, से जो बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था से अर्हता प्राप्त हो या जिसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त, आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा-पद्धति में, उपाधि हो और जो इस राज्य का अधिवासित निवासी हो, भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, रुग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रम में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या उसके नियन्त्रणाधीन हो, किसी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वैद्य तथा हकीम जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को राज्य सरकार या ऊपर निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवायोजन में हो, उक्त पदों पर बने रहेंगे।"

श्री अध्यक्ष—

खंडों में कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खंड २, ३,, ४, ५, ६ ७, ८ तथा खंड ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक १९७४

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें बर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५†

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक) (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। यह व्यवस्था इस प्रदेश में इस उद्देश्य से लागू की गयी कि कृषक अपने उत्पादन को जब मण्डी में लाता था तो उसे कई प्रकार के कर जैसे चुंगी, धर्मादा आदि देने पड़ते थे, कमीशन एजेन्ट जो होते हैं वह इन करों के नामों पर किसान की लूट करते थे, उस लूट से रक्षा करने के लिये यह व्यवस्था की गयी। प्रारम्भ में मण्डी समितियों का निर्माण किया गया और उनके ऊपर इसका संचालन का कार्य सौंपा गया। कुछ दिनों के बाद इन समितियों को जिला अधिकारी के अधीन कर दिया गया और उसे यह अधिकार दिया गया कि वह स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति से इसका संचालन कराये। तबसे हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह प्रयास बुनियादी रूप से असफल रहा है और भ्रष्ट तरीके मण्डी समिति में उतर आये हैं। अगर शैशव काल में ही यह भ्रष्टाचार इसमें पनप गया तो फिर इसका उत्थान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इसका उत्थान कराया जाये और जनता के प्रतिनिधियों को इसमें रखा जाये। आप जानते हैं कि जब से यह लागू हुआ है लाखों रुपया मण्डी समितियों में जमा है। मण्डी समितियों का प्रयोग कृषक के लाभ के लिये नहीं किया जाता है। इस रुपये का उपयोग लिंक रोड बनाने में, पुलिया बनाने में तथा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मण्डी अधिनियम लागू होने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ और अब ३१ दिसम्बर, १९७६ तक इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है और जिला अधिकारी को और अधिकार दिया जा रहा है कि वह समिति का गठन भी कर सकेगा। उसे अधिकार दे रहे हैं। समिति के गठन करने का उसका क्या रूप होगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आप एक आदमी को इतना अधिकार दे रहे हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये या जिसको इस मामले की कोई जानकारी हो, उनको यह

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री देव बहादुर सिंह]
उत्तरदायित्व दिया जाता, तो यह बहुत लाभप्रद होता। मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा और स्पष्ट करें और इसको इस रूप में लायें कि इससे जनता को, व्यापारी को, कृषकों को, जिनके लाभ के लिये इसको लाया गया था, कुछ फायदा हो सके और समितियां जो बनने वाली हैं, उनमें उनका प्रतिनिधित्व रहे जिससे मण्डियों का कार्य भी ठीक से चल सके।

जो भी आमदनी सरकारी कोष में मण्डी समितियों से आती है देखा जाता है कि उसका १/४ भाग ही आता है और शेष ३/४ भाग का उसी स्थल पर दुरुपयोग हो जाता है। जितना गल्ला बाहर से आता है, मण्डी समिति के कर्मचारियों को चाहिये कि उसे अंकित करें लेकिन वे उसको छोड़ देते हैं और इस प्रकार से पैसा बचाते हैं और उस बचे हुये पैसे को बराबर हिस्से में या किसी और रूप में बांट लिया जाता है जिससे किसानों, व्यापारियों और सरकार की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी कोई कठोर कदम उठावें, जिससे कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया था, वह पूरा हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश में जो मण्डी समिति विधेयक लाया गया है, उससे यहां पर भ्रष्टाचार ही उत्पन्न होगा और भिन्न-भिन्न प्रकार की कठिनाइयां लोगों को उठानी पड़ेंगी। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें जो त्रुटियां हैं, जो कठिनाइयां इसमें विद्यमान हैं उनको भी दूर करने की चेष्टा करें जिससे कृषकों, व्यापारियों और मण्डियों को लाभ हो सके।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय देव बहादुर सिंह जी ने कहा कि पश्चिमी जिलों में बहुत सी मण्डी समितियां ऐसी हैं, जिनमें कानून के मुताबिक जिस प्रकार से काम होना चाहिये था, वह नहीं हो रहा है। कई जगहों पर १ विभाग के सेक्रेटरी रहते हैं और व्यर्थ की वेतनख्वाह पाते हैं और विभाग की ओर से अपने-अपने आदमियों को नियुक्त कर लेते हैं। सही मायने में जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा इन समितियों का चुनाव होना चाहिये। इस विधेयक को लाते समय सरकार की मंशा यह थी कि इससे किसानों का जो अढ़तियों द्वारा शोषण होता था, वह बचाया जा सके। शोषण बन्द करने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य यह भी था कि जो इससे आमदनी होगी उससे कृषि का उत्पादन बढ़े और कृषकों की भलाई में खर्च हो लेकिन कोई भी ऐसा काम कृषि विभाग के जरिये नहीं हो रहा है। तो यह अवधि बढ़ाने का काम कैसे किया गया है।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे चुनाव न करायें तो उसमें सचिवों के जो तौर तरीके हैं उसमें कोई न कोई परिवर्तन करायें जिससे इन मण्डी समितियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी आवे।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

मण्डी समितियां जब से कायम हुई हैं यदि उनकी वास्तव में जांच कराई जाय तो जितनी आमदनी इनमें हुई है उसकी बीस गुनी आमदनी कर्मचारी खा गये होंगे। आज यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जहां पर किसानों की खुले रूप से लूट होती है, व्यापारियों की खुले रूप में लूट होती है और उसका नाजायज फायदा कर्मचारी उठाते हैं। सबसे पहले आम जनता के प्रतिनिधि चुनाव में आते थे लेकिन अब कई सालों से उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुअत्तल कर दिया गया है और आज सारा कार्य सरकारी कर्मचारी करते हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस एमरजेन्सी के समय में जबकि हमारे देश की प्रधान मन्त्री इस बात की चाहना करती हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटे तो मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा कि मण्डी समिति का भ्रष्टाचार समाप्त करायें ताकि आम जनता को राहत मिले। जनता के प्रतिनिधियों की मीटिंग हो, उसमें सब किसान वर्ग के, व्यापारी वर्ग के लोग हों ताकि उचित प्रबन्ध हो सके।

इन शब्दों के साथ जो मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसका अनुमोदन करता हूं और सुझाव देना चाहता हूं ताकि उसमें सुधार हो सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैं श्री देव बहादुर सिंह जी, श्री काशीनाथ मिश्र और श्री गिनौरिया साहब (हंसी) क्षमा करें--दौनेरिया साहब। तीनों माननीय सदस्यों का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मण्डी समितियों के कार्य-संचालन में कुछ त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है और सुझाव भी इस प्रकार के कुछ दिये हैं। हर वर्ष, पिछले वर्ष के पहले यह आशा हुई की मण्डी समितियों की आय ६ करोड़ रुपये के लगभग होगी। उन मण्डी समितियों के जरिये से जो यह आमदनी हुई है उससे मण्डी यार्ड्स कई एक का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है और ३ मण्डी समितियों के यार्ड तो बहुत शीघ्र ही, १५ अगस्त के करीब मुकम्मिल होने वाले हैं --राय बरेली, कानपुर इन दो जिलों में और शायद हमीरपुर में, और कुछ अक्तूबर में प्रारम्भ होने वाले हैं और अगले वर्ष भी उसे मण्डी समितियों के यार्ड्स का निर्माण बहुत सी मण्डी परिषदें करने जा रही हैं।

जहां तक, मान्यवर, यह कहा गया है कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, किसानों का और व्यापारियों का शोषण होता है, तो मण्डी अधिनियम के लागू होने के बाद अगर आज भी कृषकों के शोषण को हम नहीं रोक सके तो हम यह अपनी कमी स्वीकार करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अगर कोई ठोस सुझाव दे सकें जिससे शोषण का हम अन्त कर सकें तो दें और समितियों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव देने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त जो चुनाव के सम्बन्ध में माननीय देवबहादुर सिंह जी ने चर्चा की है, यह चुनाव पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कराया करते थे। सरकार ने चुनाव में और अधिक निष्पक्षता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया कि जो चुनाव निदेशालय है प्रदेश का वही इन चुनावों का संचालन करे। उसके लिये अमेंडमेंट की भी आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ नियमों में जो चुनाव के हैं, कुछ संशोधन करना है। प्रदेश की कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनायी हुई है। वह इसके ऊपर विचार कर रही है और इस कार्यावधि में यह माननीय सदन से अपेक्षा की है कि इस अवधि को बढा दें और सरकार कोशिश करे कि इसके ऊपर जल्दी चुनाव करा दिये जा सकें। जो उन्होंने और सुझाव दिये हैं चुनाव के सम्बन्ध में तथा अन्य उन पर भी सरकार विचार करेगी। देवबहादुर सिंह जी की इस बात को मानने में मैं असमर्थ हूं कि इस अधिनियम को ही समाप्त कर दिया जाय। यह आजादी के २०साल बाद इस प्रदेश में लागू हुआ है। जमींदारी का एबालिशन हुआ काश्तकार को शोषण से बचाने के लिये लेकिन इस व्यापारी वर्ग से काश्तकार का शोषण निरन्तर होता रहा आजादी के २० साल बाद भी और फिर इसे समाप्त किया जाय यह उचित नहीं होगा। उन्होंने जो और सुझाव दिये हैं उन पर भी हम विचार करेंगे, जैसे पैसे का सदुपयोग कृषकों के हित में हो, उनके बैलों के हित में हो, यार्ड्स बनाने के काम में आये, लिंक रोड्स भी बनें। इस सब की ओर सरकार ध्यान देगी। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो यह छोटा सा संशोधन है समय बढ़ाने का इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९७२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की उपधारा (१) में, शब्द "तीन वर्ष और छ: मास की अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द तथा अक "३१ दिसम्बर, १९७६ तक" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें और खण्ड (ग) में शब्द "किसी अधिकारी को" के उपरान्त शब्द "अथवा किसी ऐसी समिति को जो तदर्थ संघटित की जाय" रख दिये जायं।

वैधीकरण

३—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिनांक ५ मई, १९७५ के पूर्व (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) मूल अधिनियम की धारा २ में उल्लिखित तीन बर्ष और छ: मास की अवधि की समाप्ति (जिसे आगे उक्त समाप्ति कहा गया है) के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे १९६४ का अधिनियम कहा गया है) के अधीन किसी मण्डी क्षेत्र के लिये किसी मण्डी समिति के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मूल अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में उक्त समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत किया गया कोई कर या वसूल की गई फीस भी है, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उद्गृहीत किया गया या वसूल की गई हो:

प्रतिबन्ध यह है कि १९६४ के अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में चूक से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या चूक उक्त समाप्ति के पश्चात् और उक्त दिनांक के पूर्व हुई हो।

निरसन

४—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९, १९७५

श्री अध्यक्ष—

खंडों में संशोधन की सूचना नहीं है, अतएव मैं खंडों को रखता हूं। प्रश्न यह है कि खंड २, खंड ३ और खंड ४ इस वधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, ९९७२ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गण राज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५†

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मै प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह एक साधारण सा प्रश्न है जिसमें नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ इत्यादि के सम्बन्ध में जो पद लोगों के पास हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अन्दर जब सदस्यता उन्हें मिल जाती है उसमें होम गार्ड्स को और जोड़ा जा रहा है कि वह डिस्क्वालिफिकेशन न मानी जाय। इससे अधिक कुछ है नहीं। मेरी आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

खण्ड २

स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, संयुक्त प्रांन्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९६१, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ अथवा स्थानीय निकाय के गठन से सम्बन्धित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७१ की धारा ३ में विनिर्दिष्ट कोई पद, जहां तक वह सरकार के अधीन या दान से अथवा निस्तारण में लाभ का पद या स्थान है, उसके धारक को किसी स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये न तो अनर्ह करेगा और न कभी अनर्ह किया गया समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५

कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने के आधार पर स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता के निवारण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ †

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय। मान्यवर, कुछ कमियों को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। भूमि सम्बन्धी विधि-विधान में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। उनको करके एक प्रोग्रेशिव कदम उठाया गया है। मैं समझता हूं सब माननीय सदस्य इसकी आवश्यकता को समझते हैं। आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे और उसका समर्थन करेंगे।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रधान मन्त्री जी की ओर से जो २१ सूत्री कार्य-क्रम बनाया गया है, उसके अन्तर्गत ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे गरीब मजदूर, भूमिहीन, खेतिहर किसानों और हरिजनों का बहुत बड़ा हित होगा। किन्तु यह तभी होगा जब हमारे अधिकारी और कर्मचारी सही तरह काम करें। जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में जो भी अब तक सन् १९६९, १९७०, १९७४, १९७५ में संशोधन हुये हैं उनकी जानकारी बहुत से आफिसर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वकील और जनता तक को नहीं है। उदाहरण के लिये १९७४ में यह संशोधन हुआ था कि १५ मार्च, १९७४ तक अगर किसी हरिजन ने किसी जमीन पर अपना मकान बना लिया है तो वह जमीन उस हरिजन की हो जायेगी। इसकी जानकारी बहुतों को नहीं है। कुछ वकीलों और कर्मचारियों को भी उसकी जानकारी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे-अच्छे संशोधन किये हैं, मैं चाहता हूं कि उस सब की जानकारी जनता व अधिकारियों को ही, ऐसा प्रयत्न किया जाय। उसकी सूचना अखबारों तथा अन्य साधनों से दी जाय।

मान्यवर, इस संशोधन द्वारा सबसे बड़ा कदम यह उठाया जा रहा है कि जिन लोगों ने ग्राम समाज की भूमि को नाजायज ढंग से अपने कब्जे में कर लिया है और उसे जोत रहे हैं अब उसे उनके कब्जे से निकालने के लिये सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है। जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है अब उन पर जुर्माना किया जायेगा और अगर आवश्यकता होगी तो पुलिस फोर्स द्वारा भी कब्जा हटाया जायेगा। धारा ११५ (सी) में यह है कि लेखपाल ऐसे कब्जों के बारे में सरकार को रिपोर्ट करता है और यह भी प्राविजन है कि उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाय। लेकिन होता यह है कि चूंकि प्रभावशाली लोग होते हैं जो इस तरह की जमीनों पर कब्जा करने वाले होते हैं, वे रिपोर्ट नहीं होने देते, उन पर मुकदमा नहीं चल पाता है। इसके विपरीत अगर किसी छोटे काश्तकार ने एक एकड़, दो एकड़ या १० बिस्वा या २–४ बिस्वा जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उनके विरुद्ध जरूर रिपोर्ट हो जाती है और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाती है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि अगर किसी काश्तकार के पास सवा ३ एकड़ तक जमीन हो, चाहे वह असामी जमीन हो, चाहे भूमिधरी जमीन हो, चाहे सीरदारी जमीन हो, कुल मिला कर अगर उसके पास सवा ३ एकड़ तक जमीन हो तो उसका बन्दोबस्त उसके नाम कर दिया जाय। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिन्होंने नायजाज ढंग से इस तरह की जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनसे वह जमीन खाली करायी जाय। क्योंकि होता यह है कि छोटे काश्तकारों से तो जमीन खाली करा ली जाती है लेकिन बड़े लोग उससे बचे रहते हैं। सरकार का यह कदम बड़ा ही सराहनीय है और इसको कार्यान्वित किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रदेश के गरीबों का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

---

†३० जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री माता प्रसाद]

इस विधेयक के द्वारा सरकार ने दूसरा कदम यह उठाया है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ जो है, उसमें आमूल ढंग से संशोधन किया जा रहा है। अभी तक धारा १९८ के अन्तर्गत गांव समाज की भूमि बांटने में प्राथमिकता जो थी वह शिक्षा संस्थाओं को थी। इस तरह जो भूमिहीन हरिजन थे उनको जमीन देने की प्राथमिकता तीसरे या चौथे नम्बर पर थी यानी इनका नम्बर औरों के बाद था। उस तरह से गरीबों को, जिनको सरकार जमीन देना चाहती है नहीं मिल पाती है। अब सरकार ने इस संशोधन विधेयक के जरिये यह व्यवस्था की है कि फौज का वह व्यक्ति जिसने देश की रक्षा में अपने प्राण दिये हैं उनको गांव समाज की जमीन दी जाय। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सरकार ने यह व्यवस्था की है कि वे भूमिहीन हरिजन जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको भूमि दी जाय। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और सरकार को बहुत बधाई देता हूं। इस तरह से जो कुछ जमीन बचेगी वह हरिजनों को मिल जायेगी।

सरकार ने तीसरा एक बहुत बड़ा कदम और उठाया है इस संशोधन विधेयक के जरिये, वह यह कि जो अवैध पट्टे लोगों ने करा रखे हैं, ५ बर्ष तक के नाजायज ढंग से करा रखे हैं, इसके लिये सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों को अधिकृत किया है कि वे उन पट्टों को कैंसिल कर दें। कैंसिल की हुई जमीन गांव समाज में निहित हो जायगी फिर उस जमीन का भूमिहीन हरिजनों के अन्तर्गत वितरण होगा। यह एक बहुत बड़ी चीज है। अगर पहले से होता--१०-१५ साल से लोगों ने जो नाजायग ढंग से पट्टे करा रखे हैं तो और अच्छा होता लेकिन उसमें शायद सरकार को कुछ दिक्कत है, कुछ व्यावहारिक कठिनाई है। लेकिन ५ साल तक के पट्टे जो लोगों ने नाजायज ढंग से करा रखे हैं वे कैंसिल किये जायेंगे और वह जमीन गांव समाजों को चली जायगी। मान्यवर, एक चीज और जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सरकार के चाहते हुए भी, हमारे बहुत से अधिकारियों के चाहते हुए भी, वह हो नहीं पाता है। उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊ कि जहां सरकार गांव समाज की जमीन देना चाहती है वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालतों में ऐसे मामले ले जाते हैं, दीवानी में मामले ले जाते हैं या दूसरी अदालतों में मामले ले जाते हैं। जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम, २२९-बी के अन्तर्गत--जिसका यह मतलब होता है कि गांव समाज की जो मौजूदा जमीन है उस पर वह व्यक्ति अपना अधिकार बताता है कि इस पर हमारा बहुत दिनों से कब्जा चला आ रहा है। बहुत दिनों के ही नहीं बल्कि जब जमींदारी चल रही थी, उस जमींदारी के जमाने से ही जमीन हमारे कब्जे में चली आ रही है। और कभी-कभी होता यह है कि जो पुराने जमींदार हैं उनसे जमींदारी उन्मूलन के पहले की रसीद प्राप्त कर ली जाती हैं और उनको अदालतों में दिखला दिया जाता है कि यह बहुत पुराना पट्टा है। और कभी-कभी एक और परेशानी होती है कि जब हमारे प्रधान जो हैं वह उन्हीं के माफिक बयान दे देते हैं कि उस जमीन पर पहले का कब्जा चला आ रहा है। और अदालत इसी आधार पर फैसला दे देती हैं। जिस आदमी ने कभी जमीन को जोता तक नही है उसी के पक्ष में फैसला हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी एक यह होती है कि जो छोटे किसान हैं। भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जब उनको एक नम्बर का पट्टा दे दिया जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है तरमीम के मामलें में। यह मामला इतना उलझा हुआ होता है कि २-३ साल तक तरमीम का मामला चलता है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिनको पट्टा दिया जाय तुरन्त मौके पर दाखिल खारिज हो और उनके नाम जमीन दर्ज की जाय। मैंने जैसा पहले कहा कि २२९ (बी) में होता यह है कि जमीन एलाट हो गयी। इस पर दूसरा व्यक्ति दावा कर देता है कि यह जमीन मेरी है, इस पर मामला

अदालत में जाता है। इस तरह से मुकदमें में काफी समय लगता और जिसके नाम जमीन एलाट हो जाती है उसके हजारों रुपये मुकदमें में ही खर्च हो जाते हैं। इतने रुपयों में यदि वह चाहता तो कोई और जमीन खरीद सकता था। पर तमाम रुपया योंही बेकार खर्च होता है और जमीन भी नहीं मिल पाती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके की व्यवस्था की जाय कि जो इस तरह के मामले हैं और अदालतों में जाते हैं जिनकी वजह से सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो कोई ऐसा प्रतिबन्ध सरकार लगाये कि इस तरह के मामले अदालतों में न जा सकें।

मैं पुन: सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी सरकार काम कर रही है उसका प्रचार जनता और अधिकारियों में जरूर होना चाहिये। अवैध पट्टों की बाबत मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसका नोटीफिकेशन करें या अखबार द्वारा, रेडियो द्वारा इसका प्रचार करें। गांवों में ऐसा प्रचार करना चाहिये कि जिनके-जिनके कब्जे हैं वह उसकी सूचना एस० डी० एम०, कलेक्टर को अमुक समय के भीतर दरख्वास्त दे दें। महीने २ महीने का मौका दे दिया जाय और उसके बाद दरख्वास्तें पढ़ी जायें और इन्क्वायरी मौके पर की जाय तो सही बात की जानकारी हो जायगी। क्योंकि कानून बनते हैं और अधिकारियों के पास पड़े रहते हैं और जनता को कोई जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से जनता कोई फायदा नहीं उठा सकती है। वैसे तो मैं अन्य विषय, चकबन्दी आदि की बाबत कहना चाहता था, चूंकि इससे उन बातों का सम्बन्ध नहीं है इसलिये उन पर न बोलते हुये एक निवेदन और करूंगा कि सरकार आवास स्थल का आबंटन कर रही है। यह भी, मैं समझता हूं कि हमारा जो आर्थिक कार्य-क्रम है उसके अन्तर्गत आता है। सरकार को ग्राम समाज की जमीन उनको दे रही है और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है। आपने १९७४ में कर दिया कि १५ मार्च तक जो हरिजनों के मकान बने हैं तो उन्हीं के नाम दर्ज कर दिये जायं। लेकिन आम जनता को जानकारी इस बात की नहीं है। इसका प्रचार होना चाहिये और यह होना चाहिये कि एक महीने के अन्दर या २ महीने के अन्दर उनकी दरख्वास्ते ले ली जायं और मौके पर जाकर देखा जाय। मौके पर जाकर देखने पर अगर यह हो कि मकान बना हुआ है तो उसी समय उनको आबादी दर्ज कर दिया जाय। यदि कानूनी चक्कर में, दिवानी में मामला डाला गया तो उनको जमीन नहीं मिल पायगी। इसलिये अदालतों में यह मामले स्वीकार न किये जायं। जैसे ऋण अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की है कि इस तरह के कोई भी मामले अदालतों में स्वीकार न किये जायेंगे उसी तरह से आबादी के सम्बन्ध में जितने मामले हैं अदालतों में न स्वीकार किये जायं और मौके पर देख कर जमीन उनको एलाट कर दी जाय।

मान्यवर, चकबन्दी जहां-जहां हो रही है वहां जबरदस्त लोगों ने चक रोडों को जोत लिया है और कोई भी चकरोड नहीं है। इसलिये जिन्होंने चक रोडों को जोत लिया है उनके साथ सख्ती होनी चाहिये और भूमि अतिक्रमण के द्वारा जो संशोधन कर रहे हैं उनसे वह चक रोडें खाली करायी जायं।

मान्यवर, एक निवेदन और है कि जो संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी ग्राम प्रधान जो भूमि के आबंटन में गड़-बड़ी करता है तो सरकार उस पर भी आक्षेप कर सकती है बहुत अच्छा है। कहीं-कहीं हरिजनों की आबादी के लिये जमीन छोड़ी गयी है और कहीं-कहीं पर ग्राम प्रधानों के पास हरिजनों की आबादी के लिये जमीनें हैं। वहां एक के सामने दूसरे हरिजन को और दूसरे के सामने तीसरे को जमीन दे दी गयी है लेकिन उनके निकलने और आने जाने के लिये रास्ता नहीं छोड़ा गया है। इसलिये जो ग्राम समाज की जमीनें आबादी के लिये दी जायं उनको नियोजित ढंग से दिया जाय जिससे आगे-पीछे जमीन देकर झगड़ा न पैदा हो सके।

[श्री माता प्रसाद]

मान्यवर, चकबन्दी में कुछ जमीन ग्राम समाज की छोड़ दी गयी है जो कि आबादी के लिये छोड़ी गयी है। लेकिन उन जमीनों पर भी बड़े किसान और जबर्दस्त लोग कब्जा किये हुये हैं। इसलिये जो अधिनियम इस विधेयक के द्वारा बनाने जा रहे ह उसमें भी इस तरह की जमीनों की खोजबीन की जाय कि जिन्होंने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है उन पर भी इस कानून का कड़ाई से पालन हो सके।

मान्यवर, चकबन्दी जहां हो रही है वहां सरकार को आदेश देना चाहिये कि हरिजनों को आबादी के लिये जमीन छोड़कर चकबन्दी की जाय। यद्यपि आदेश हैं, लेकिन होता यह है कि आबादी के आस-पास बड़े लोग उनके अगुवारे-पिछुवारे चक कटाते हैं। इसलिये चक कटाते हैं कि अगर उनके आगे और पीछे हमारा चक रहेगा तो उनके जानवर आयेंगे और हमारे चक को नुकसान पहुंचेगा तो हम उन्हें गाली देंगे या उनसे हलवाही करायेंगे या कम मजदूरी पर काम करायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार डिमारकेशन कर दे। मान्यवर, मुझे इतना ही निवेदन करना है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया है उसकी जो मंशा मेरी समझ में आयी वह यह कि गांव समाज की जो जमीन है वह उपयुक्त आदमियों तक पहुंचे। अब तक जितने भूमि सुधार के कानून बने उनका मकसद यही रहा है कि जो जमीन निकले वह भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के हाथ में जाय। लेकिन जैसा कि मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट में है २४ लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक बीघे से कम जमीन है। ढाई लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक बालिस्त भी जमीन नहीं है रहने के लिये, घर बनाने के लिये; वह पुश्त-दर पुश्त दूसरे के खेतों पर काम करते चले आ रहे हैं। और उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है। यह जो अधिनियम है इसके अन्दर यह प्राविधान है कि जमीन इन लोगों के पास जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे ही यह जमीन उनके पास पहुंचाने की बात होगी तो यह सम्भव नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले भी जो कानून बने उनका पालन अधिकारियों ने नहीं किया।

मैं मिसाल के तौर पर गोरखपुर के दो तीन गांव का जिक्र करना चाहता हूं। महराजगंज तहसील में फुटहाबाजार गांव है। वहां जिस जमीन पर हरिजन का मकान था वह गिर गया और जब उसने उस पर फिर से मकान बनाना शुरू किया तो उसे वहां के बड़े लोगों ने बनाने नहीं दिया। इस काम में न केवल पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी बल्कि उस क्षेत्र के जितने बड़े लोग हैं उन सबने मिल कर उस हरिजन को अपना गिरा हुआ मकान फिर से बनाने से रोका। इस सब में मारपीट हुई। २६ हरिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चल रहा है। अभी हाल में पहली जुलाई से उस क्षेत्र में हमारी पार्टी के लोग आन्दोलन चला रहे थे। वहां के प्रशासन और कुछ बड़े लोगों ने जो सत्तारूढ़ दल में ह हमारे ४४ कार्यकर्त्ताओं को जल भिजवा दिया। यह समझदारी सत्तारूढ़ दल के लोगों की है। अगर ऐसे लोगों पर निगरानी न रखी जायगी तो यह जमीन उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगी। इसी प्रकार फरेन्दा तहसील के दो गांवों का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां सैकड़ों एकड़ जमीन निकली। भूमिहीनों के नाम पट्टा हो गया लेकिन उन्हें आज तक उस पर कब्जा नहीं मिला। जब जिलाधिकारी और परगना अधिकारी से कहा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह हमारा काम नहीं है।

जो जमीन के पट्टे हो गये हैं, उन्हें कब्जा दिलायें। मारपीट हुई, और उल्टे उन पर मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमें के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां भी की गईं। इस काम में भी

वह लोग साथ दे रहे हैं जो लोग भूमि चोर हैं और राजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं। हम यह समझते हैं कि इस अधिनियम को सही तरीके से लागू करना है और इसको कामयाब बनाना है तो ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जाय तो कमिटेड लोग हैं जो इस बात के लिये कटिबद्ध हों कि वह जमीन भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों के पास जाय।

हमारे गोरखपुर जिले में महराजगंज-बांसगांव तहसील में चकबन्दी चल रही है और जो भूतपूर्व जमींदार हैं, वह लोग प्रधान पर दबाव डलवाकर के और उनसे बयान करवा करके, यहां तक कि गांव समाज से प्रस्ताव करा कर वह सारी जमीन हथिया ले रहे हैं। फरेंदा तहसील में जहां चकबन्दी समाप्त हो गई है वहां भी जो इस तरह की जमीन हैं, बड़े लोगों के पास चली गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां १०-१२ साल पहले चकबन्दी हो गई है और जहां गांव समाज की जमीन बड़े लोगों के पास चली गई है, ऐसी जमीन के लिये इस अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है केवल पांच साल के पट्टों का प्राविधान है। जमींदारी एबोलीशन कानून में जो जमीन गांव समाज के पास निहित थी परन्तु ऐसी जमीन नाजायज लोगों के पास चली गई हैं तो उस जमीन को निकालने के लिये इस विधेयक में प्राविधान होना चाहिये और वह जमीन भूमिहीन को मिलनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गोरखपुर जिले में चेहरी और बागापार बाजार में जो जयपुरिया का फार्म है एक हजार एकड़ का एक, ३५० एकड़ का एक, इसके अलावा ८९ एकड़ जमीन गांव समाज की उन्होंने अपने फार्म में मिला ली है और अपने फार्म को ऐसे लोगों के नाम जो इस धरती पर नहीं हैं, किसी के नाम ८ एकड़, किसी के नाम १० एकड़, किसी के नाम १५ एकड़ लिखकर के और उनके जरिये हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके अपने को सीलिंग से बचाने के लिये रुकवा रखी है। हमने इस बात की कोशिश की सीलिंग की जमीन को छो कर जो गांव समाज की जमीन है उस जमीन को भूमिहीन को दिलवाये। हमारे यहां बलदाऊ नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके पास २६ एकड़ जमीन है गांव समाज की जमीन है और वह उस पर कब्जा किये हुये हैं। हम चाहते थे कि यह जमीन वहां के अधिकारियों के माध्यम से बंटवा दी जाय, लेकिन उसमें भी अधिकारी सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं—चाहे वह पुलिस के हों या माल विभाग के अधिकारी हों। इस तरफ मैं विशेषकर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वह देखें।

खाली फरेंदा तहसील में ही ३५०० मुकदमें गरीब खेत मजदूरों पर चलाये गये हैं और १२२-बी, ११५-डी के अन्दर उन पर ४०० रुपये, ५०० रुपये जुर्माना किया गया है और खुलेआम उस तहसील का तहसीलदार कहता है कि अगर तुम ४००–५०० रुपये जुर्माना नहीं दोगे तो तबाह कर दूंगा। इस तरह की धमकी देता है इसी तरह से हजारों बीघा जमीन जो आबादी की जमीन है, लेकिन वह जमीन उनके नाम आबादी दर्ज नहीं है और यह संकट मंडरा रहा है कि अगर कोई सामन्तो के यहां काम करने नहीं जाता है तो सामन्त उनको उजाड़ देने की धमकी देते हैं जो बेगार पर नहीं गये। तो उनके ऊपर दीवानी के मुकदमें चल रहे हैं। फरेंदा तहसील में १७ ऐसे मुकदमें चल रहे हैं। गरीबों तथा हरिजनों के मकान हैं लेकिन वे भूस्वामियों की भूमिधरी में दर्ज हैं। लिहाजा दीवानी में उन मकानों को गिराने के मुकदमें चल रहे हैं, उनको बेदखल करने के मुकदमें चल रहे हैं।

एक इलाका ऐसा भी है जहां पर बड़े-बड़े भूस्वामी सारी चकरोडों पर ट्यूबवेल की नाली बनाये हुये हैं। जो गांव समाज की, खलियान की अथवा कम्पोस्ट की और नई पड़ती की जमीन पड़ी है, उन पर वे कब्जा किये हुये हैं और उन जमीनों को भूमिहीनों में बांट कर या तो अधिया लेते हैं या हलवाही कराते हैं। जब अधिकारियों के सामने यह बात लाई गयी और लेखपाल से कलेक्टर तक उन गांवों में गये तो भी आज तक उनके खिलाफ बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं हुई। रास्ते बन्द हैं। चकरोडों पर ट्यूबवेल की नाली चल रही हैं। गांव समाज की या दूसरे तरह की जमीन हैं उन पर

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे]

नाजायज कब्जे बरकरार बने हुये हैं। खाली नियम तथा कानून बना देने से जो सरकार की मंशा है वह पूरी होने वाली नहीं है। आपातकालीन स्थिति आज है। देहाती जीवन में आप विकास चाहते हैं, गरीबों को, भूमिहीनों को आप आगे बढाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप वर्ग संघर्ष को जोरों से चलायें। दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर आप इस कार्य को करें तभी प्रतिक्रियावाद तथा सामन्ती अवशेष के खिलाफ आप जबरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं। देहाती क्षेत्र में जो प्रतिक्रियावाद बना हुआ है उसको खत्म करने के लिये उस पर मजबूती से हमला होना चाहिये। आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि देहाती इलाकों में जो सामन्ती अवशेष है उन्होंने गांव समाज की जमीन को हड़पने के लिये, अपनी जमीन को सीलिंग से बचाने के लिये तरह-तरह की तिकड़में कर रखी है और कानून के जरिये से वह जमीनें उनसे निकलने वाली नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि जो ढाई लाख भूमिहीन परिवार हैं उनको एक अथवा दो एकड़ जमीन दे सकें तो इसके लिये सख्त कदम उठाने होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ आपके अधिकारियों को, कमिटेड लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आप वर्ग संघर्ष से घबड़ाते हैं लेकिन वर्ग सहयोग की भावना से यह काम होने वाला नहीं है। इसके लिये वर्ग संघर्ष को तीव्र करना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष को तीव्र करने के लिये आप को खेत मजदूरों को, भूमिहीनों का संगठन बनाना होगा ताकि उनको सही मजदूरी मिल सके, जो उनका सामाजिक शोषण होता है, जो उनका दमन होता है वह समाप्त हो, जो उनका उत्पीड़न होता है वह समाप्त हो। आपकी जो कल्पना है कि देहात के अन्दर देहाती जीवन में विकास हो, उन्नति हो और उसके लिये जनता ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, जिसके लिये आपने वायदा भी किया है तो आज इस आपातकालीन स्थिति में आपका कर्त्तव्य भी होता है कि इस स्थिति का फायदा उठा कर आप सख्त व मजबूत कदम उठायें और जो सामन्ती अवशेष देहात में आज भी अपनी जड़ें जमाये हुये हैं उनको समाप्त करें और निर्मम हो कर चाहे वह किसी दल से सम्बन्ध रखते हों, अथवा किसी वर्ग के हों वोटों का लालच छोड़ कर आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

इस सम्बन्ध में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जो इस समय मुकदमे चल रहे हैं, गांव समाज के चल रहे हैं वे सारे मुकदमे गरीब लोगों के ऊपर चल रहे हैं। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि सवा तीन एकड़ तक की जोत वालों के ये सारे मुकदमे वापस ले लिये जाय और जमीन उनके नाम कर दी जाय। इसके साथ ही मेरा एक सुझाव यह भी है कि जितने कम जोत वालों के मुकदमे लेखपालों या प्रधानों द्वारा चलाये जा रहे हैं और बड़े लोगों ने ग्राम समाज की जमीन जोत रखी है और उनके ऊपर अधिकारियों एवं लेखपालों ने मुकदमा नहीं चलाया है तो ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जब आप कार्यवाही करेंगे तब उनके अन्दर भय पैदा होगा कि बड़े आदमियों के खिलाफ भी मुकदमें चलायें जा सकते हैं। अधिनियम में जो यह व्यवस्था की गई है कि कलेक्टर को अधिकार होगा, उसके बाद परगनाधिकारी, तहसीलदार और फिर इसी प्रकार यह नीचे तक के लोगों को अधिकार दिया जायेगा और लेखपाल तक ही आयेगा जिससे उस अधिकार का उपयोग जनता के माफिक न होकर जैसे अब तक होता आया है, वैसा ही होगा। इस पर आपको चौकसी रखनी पड़ेगी।

तीसरी बात यह है कि जो आवास का सवाल है उसके बारे में सरकार ने बहुत सारे ऐलान किये हैं कि हरिजनों को जमीन दी जायेगी, मकान दिये जायेंगे, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है वे तथा सारे माननीय सदस्य जो गांव से आते हैं वे अपने इलाके में जाकर देखें कि जो मकान हरिजनों के लिये बनायें गये हैं उनकी क्या हालत है। पारसाल जो बने थे वे इस साल गिर गये और जो बने भी थे उसमें मुश्किल से एक चारपायी आती है। उसमें आदमी का आधा शरीर अन्दर रहता है और आधा बाहर रहता है। वे

सुअर बाड़े की तरह उनमें रह रहे हैं। ऐसा प्रचार करना कि आप हरिजनों और शोषित-पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, केवल ढोंग सा ही प्रतीत होता है। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। ऐसे लोगों के लिये मकान बनाये जायं। बड़े भूस्वामी जो हैं वे इन हरिजनों के सुअरों तथा दूसरे जानवरों को बिना वजह के कांजी हाउस में डाल देते ह और इस तरह से उनको परेशान करते हैं। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी पिछले मई के महीने में जब कि कोई फसल नहीं होती उसमें दो हरिजनों को तबाह करने के लिये ३ सुअरों को गोली से मार दिया गया इस बहाने कि उसके सुअर आम के बगीचे में क्यों चले गये ? इस तरह के मामलों को लेकर गांवों के अन्दर संघर्ष पैदा हो जाता है और जब कहा जाता है तो सत्तारूढ़ दल के लोग कहते हैं कि ये नक्सलपंथी हैं और इस तरह के काम करवा रहे हैं, हरिजनों को उभाड़ रहे हैं। इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। इस तरह से वर्ग संघर्ष गांवों के अन्दर पैदा हो रहा है। आप चाहें या न चाहें लेकिन शोषित और पीड़ित वर्ग अपने अधिकारों के लिये लड़ेगा और अपना हक मांगेगा। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसका सहयोग करें और उनको उनका जायज हक दिया जाय। कानून में आपने वह व्यवस्था दी हुई है कि जहां पर जिसका मकान बना है वह उनकी जमीन मान ली जाय लेकिन कानून बन जाने के बाद भी तहसीलों में, कमिश्नरियों में बहुत सारे मुकदमें चल रहे हैं और जब मामले सामने रखे जाते हैं तो कहा जाता है कि फिर देखा जायेगा। अभी हाल ही में फरेंदा तहसील में १६ हरिजनों के खिलाफ मुकदमें हुये हैं। उनको कमिश्नरियों में जाना पड़ता है। वहां पर कहा जाता है कि वह अगली तारीख में आयेगा। इस तरह से हरिजनों को परेशान किया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ! इन शब्दों के साथ जो इस इस विधेयक की मंशा है, अधिकारियों को अधिकार दिया जा रहा है उसके लिये मैं मांग करता हूं कि एक पौपुलर कमेटी बनायी जाय। आप एक विजिलेंस कमेटी बनायें ऐसे लोगों की जो इसमें दिलचस्पी रखते हों और उन्हें कानूनी अधिकार दिये जायं कि वे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकें तभी आपकी बातों का असर उन पर पड़ने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं इस अधिनियम की मंशा का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) --

अध्यक्ष जी, अभी जैसा माननीय मन्त्री जी ने भी कहा .....

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कल गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दलों ने तय किया था और घोषणा की थी कि वह सदन का त्याग करे रहेंगे लेकिन आज माननीय सदस्य रघुनाथ सिंह जी, सदस्य जनसंघ सदन में उपस्थित हैं। अत: मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज उनकी क्या स्थिति है-- वह अपने दल का प्रतिनिधित्व करने के लिये बैठें हैं या जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनमें ज्ञान के प्रकाश का उदय हो गया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं भ्रम में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने भ्रम का निवारण करें।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)--

श्रीमन, मैं यहां पर सदन में स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से बैठा हूं। मैंने भारतीय जनसंघ दल से त्याग-पत्र दे दिया है और वह मान्यवर, को भी दे दिया है।

(कांग्रेस पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज लिखकर दिया है, श्री रघुनाथ सिंह ने। तीन दिन बाद मैं उसकी घोषणा करूंगा।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)--

मैंने २० तारीख को एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि ६ तारीख को जनसंघ दल से इस्तीफा दे चुका हूं, आप उसकी घोषणा कर दें।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)--

ये दोनों सदस्य, बुन्देलखंड के हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह आपके लिये परम हर्ष का प्रकरण है।

*श्री काशीनाथ मिश्र --

अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि सुधार सम्बन्धी बिल आया है, उसके बारे में इसमें प्रथम पृष्ठ पर है। सम्बन्धित ज्ञापन-पत्र में प्रथम पेज पर ही स्पष्टतया दिया हुआ है--"भूमि सुधार सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में कतिपय कमियों की जानकारी शासन को मिली थी। गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा उनके विषय में लिये गये अवैध पट्टों की समस्या हल नहीं हो सकी थी। ऐसे कब्जेदार को हटाकर वास्तविक भूमिहीनों तथा कृषक मजदूरों को भूमि दिलाने की व्यवस्था करना आवश्यक था।" श्रीमन्, जैसा मन्त्री जी ने प्रथम वाक्य में कहा है, जो सुधार की धारायें हैं भूमिहीन कृषक और मजदूरों को जमीन देने के लिये और ग्राम समाज की जमीन की समुचित व्यवस्था करने के लिये यह सुधार सम्बन्धी कानून सदन में पेश किया गया है। मैंने कई बार इस आदरणीय सदन में कहा है जमींनों की व्यवस्था के बारे में और मन्त्री जी से अनेक बार इस बारे में व्यक्तिगत बात भी की है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में भूमि सम्बन्धी सुधारों के लिये, समाज में मौलिक तब्दीली करने के लिये, आपको भूमि कानून में मौलिक तब्दीली करनी प ेगी, तभी कुछ होने वाला है। इस तरह से आपसे समाज में मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस पर जोतने वाले सीधे-सादे किसान हैं और उनके सम्बन्ध में जो कानून बने हैं, वे पेचीदगियों से भरे हैं और उनमें समय-समय पर संशोधन कर-कर के आप दिन-प्रति-दिन उसे और पेचीदे बना रहे हैं। जो अभी स ि ंग की बात थी, उस सम्बन्ध में जो कानून बना था उस पर साढ़े तीन हजार रिटें हाई कोर्ट में इस समय पेंडिंग हैं। एक बीघा भी जमीन उनसे निकलने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक समाज और शासन में जमीन वालों का कब्जा बना रहेगा, जब तक जमीन के कानून, शासन में बैठने वाले जमीन के हकदार लोग, इन कानूनों को लिखते रहेंगे, तब तक भूमिहीन और गरीबों को भूमि मिलने में ब ी बाधा पैदा करेंगे क्यों कानून बनाने वाला भूमि का मालिक कभी भी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध अपने स्वार्थों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि ग्राम समाज की जमीनों की व्यवस्था करने के लिये यह सुधार का कानून ला रहे हैं। दूसरी तरफ खंड ६ के उपखंड (४-ग) में सुधार किया है--"यदि इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में जांच के दौरान उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी व्यक्ति ने ऐसी भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को स्वत्व सम्बन्धी कोई सद्भाविक प्रश्न उठना प्रतीत होता है, तो कलेक्टर आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय में धारा २२९- ख के अधीन अपने हक के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद दायर करे, और इस बीच में अग्रेतर कार्यवाहियां रोक देगा।"

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में कलेक्टर और तहसीलदार के पास ग्राम समाज की जमीनों के रजिस्टर हैं। उसके सम्बन्ध में यदि कोई वाद उपस्थित हैं तो कलेक्टर कह देगा कि वाद उपस्थित कर दीजिये। २२९-ख में टाइटिल सूट है। टाइटिल सूट ग्राम समाज की जमीन पर क्यों करने जायगा, सिवा एम० एल० ए०, एम० पी० और गांवों में जो बअसर आदमी हैं, जैसे सुरजीत सिंह मजीठिया जैसे लोग हैं, जो कलेक्टर पर प्रभाव रखते हैं, कलेक्टर से आदेश करा देंगे कि २२९-ख में अदालत से फैसला करवाइये। उसमें चले गये। वर्षों तक मामला लटका पड़ा रहेगा। इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। क्रान्तिकारी नीतियों के नाम पर प्रतिक्रियावादी नीतियों को बड़ी होशियारी और कायदे से चलाया जाय। ऐसा लग रहा है। मन्त्री जी की ऐसी नीति नहीं है। हमारी सरकारी ऐसी नीति नहीं है? लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करें, ग्राम समाज का रजिस्टर हमारे सामने है, ग्राम समाज की जमीन का रकबा डिक्लेयर्ड है। माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा जिलों में एक-एक कमेटी बनायें। कमेटी की तरफ से ऐलान हो जाय कि ग्राम समाज की जमीन है, उसका बटवारा कैसे हो। इसकी आप व्यवस्था करें। माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि शायद ३१ अक्तूबर, १९७४ तक कानून बना दिया था। गजट में घोषित भी हुआ था। तो आप कहते हैं कि जनता को जानकारी नहीं है, जो जनता पढ़ी-लिखी नहीं है उसकी जानकारी की प्रतीक्षा न करें। यह मुलाजिम जो हजारों रुपया तनख्वाह लेते हैं, जिसे उसकी जानकारी नहीं है उसको बरखास्त होना चाहिये। रैण्डम सैम्प्स से जांच कराइये जो ३१ मार्च, १९७४ को आदेश दिये गये थे दर्ज करने के लिये जिस तहसीलदार या लेखपाल ने उसका पालन नहीं किया उसको बरखास्त कीजिये। जो कानून बनाया जाता है अगर जिले के अधिकारी उनका पालन नहीं करते वह सजा पाते रहेंगे जो चौकन्ने हो सकते हैं। प्रशासन में चुस्ती आ सकती है। माता प्रसाद जी ने कहा कि जिले के तहसीलदार और लेखपाल पुरानी गति से चल रहे हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शासन की तरफ से ऐसा कदम उठाना चाहिये कि ग्राम समाज की जमीनें सचमुच में भूमिहीनों और गरीबों में बटें। यह देखें कि जो अब तक कानून बनाया है वह कार्यान्वित हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच कराइये। आप कोई एक मशीनरी बनाइये, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी, लेकिन वह आज तक बन नहीं पायी है। मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्रि परिषद् का निर्णय लेना होगा। सारी जमीनों को फिर से एलाट किया जाये तभी अनियमितताय जो हुई हैं वह दूर की जा सकती हैं। आप नये सिरे से उसका बन्दोबस्त करें। जो मेहनत करके गल्ला पैदा करता है उसी को खेत का मालिक बना दें। आज स्थिति क्या है मान्यवर, एक ही परिवार है वही कल कारखाने का मालिक है, वही नौकरियां देता है और वही खेती का भी मालिक है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से सारी आमदनी का स्रोत एक ही परिवार में हो जायगा तो कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जमीन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आप इस व्यवस्था को मुकम्मिल कर दें कि खेती उसी परिवार के पास रहेंगी जो उससे बंधा हुआ हो, जो खेती करता हो और उत्पादन करता हो। आप जानते हैं कि हम रहते हैं असेम्बली में और हम उसके मालिक हैं और उससे उत्पादन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। एक परिवार में खेती व्यापार और नौकरी सब कुछ नहीं होना चाहिए। इनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। आप इसकी व्यवस्था ठीक तरह से करें। मैंने कई बार मंत्री जी से कहा इसके बारे में। गांवों में बड़े-बड़े जमीदार हैं जो आज जेल में बन्द हैं वे सारी जमीन को हथियाये हुए हैं। मैंने इस सम्बन्ध में डी० एम० का ध्यान आकृष्ट किया। कलेक्टर ने कहा कि जो व्यवस्था है उसके अनुसार

[श्री काशी नाथ मिश्र]

हम जुर्माना कर देते हैं और जुर्माना २००, ३०० या ५०० रु० होता है। वह जुर्माना दे देता है और जमीन को नहीं छीनता है क्योंकि वह उस जमीन से जितना जुर्माना देता है उससे कई गुना अधिक पैदाकर लेता है। मैं इस सम्बन्ध में आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक आप जेल की व्यवस्था नहीं करेगें तब तक ये अनधिकृत कब्जे नहीं देगें। आज अभी माता प्रसाद जी ने कहा कि भूमिहीनों को टाइटिल मिल जाता है लेकिन वे बेचारे गरीब इधर-उधर घूम रहे हैं। बड़े-बड़े लोग उसको हथियाये हुए हैं, आप सख्ती कीजिए और लोगों में एक तरह की दहशत पैदा कीजिए तभी यह काम होगा। सरकार की पुलिस २४ घंटे वहां पर बैठी नहीं रहेगी। सारी स्टेट की जमीन की मालिक उत्तर प्रदेश सरकार है और उसका नये सिरे से बन्दोबस्त होना चाहिये। मैं जानता हूं कि अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाये तो यह काम ३–४ साल में पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में ही हमारा और आपका कल्याण है। तभी गरीबों का हक मिलेगा। अगर आप इसी को पास कराना चाहते हैं तब तो दूसरी बात है।

मैं समझता हूं कि इसे पास करने से कोई फायदा नहीं है। ग्राम सभा का रजिस्टर होता है जिसमें उसकी जमीन का ब्योरा होता है। आज जो बदमाश लोग गांव में रहते हैं, वे ग्राम समाज की भूमि को हथियाये हुए हैं। सरकार हमारी गरीबों की बात करती है लेकिन काम कर रही है बड़े लोगों के लिये। । तो इससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी कलेक्टर को क्या राइट है। हमारे रजिस्टर बने हुए हैं जिनमें ग्राम समाज की भूमि दिखाई हुई है। जैसे धारा १८ के सम्बन्ध में २२९ (ख) के अन्दर ३–३ बर्ष से मुकदमें चलते रहते हैं और फिर ले दे कर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से १०–५ वर्ष के बाद १–१ गांव की जमीन फिर बड़े-बड़े लोगों के पास चली जायगी।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भूमि–विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ तो सदन में पेश किया हैं, उसके सम्बन्ध में, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे देश में और हमारे प्रदेश में मौलिक भूमि सुधारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसको सारा देश, हमारा प्रदेश और सरकार भी महसूस करती है। यह सही है कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे मौलिक कदम उठाये गए हैं, जिनको हम मौलिक परिवर्तनों की दिशा में एक मजबूत कदम कहते हैं, जैसे जमीदारी विनाश एक बहुत ही मौलिक परिवर्तन का कदम था। जमीनों पर हदबन्दी लगी, यह भी बहुत ही मौलिक परिवर्तन का कदम था लेकिन इन मौलिक परिवर्तनों के कानूनों से जितने लाभ की हमारे कृषि क्षेत्र में आशा की जाती थी, वह पूरी नहीं हुई उसकी झलक आज भी उन संशोधनों में मिलती है जो हमारी सरकार की ओर से आते हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और यही कारण है कि एमरजेन्सी के दौर में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने जो अपना २१ सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें भूमि सुधारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि हमारे यहां पर जिस प्रकार के भूमि–सुधार होने चाहिये, वे नहीं हुए हैं। उसमें कमी कहां थी ? अभी माननीय सदस्य माता प्रसाद जी ने अपने भाषण में कहा कि इस कानून में बहुत सारे संशोधन हो गये हैं जिनके बारे में न हमारे अधिकारियों को ही पता है और न हमारी जनता को। मैं अब यह तो मान सकता हूं कि जनता को पता न हो लेकिन यह नहीं मान सकता हूं कि अधिकारियों को भी पता न हो। कमी कहां है ? जो संशोधन किए जा रहे हैं, वे लागू नहीं हो रहे हैं। कमी यह है कि यह काम केवल अधिकारियों पर ही छोड़ दिया गया है, जनता के सहयोग लेने का उसमें कभी भी प्रयास नहीं किया गया है। इस आवश्यकता को इस सरकार ने अब महसूस किया है। प्रधान मंत्री जी की घोषणा में इस बात को बार-बार दुहराया गया है

कि जनता की समितियां बनाई जायं जिनके जरिए भूमि सुधार लागू किया जाय और जमीनों का बंटवारा किया जाय लेकिन इस मामले में हमारा प्रदेश जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ सका है। जन सहयोग के नाम पर पटेल समिति का नाम सुन रहे हैं लेकिन जिला तहसीलों, ब्लाकों, पंचायतों और नीचे के स्तर पर कोई भी जनता की कमेटियां नहीं बनी हैं। यही कारण है कि हमारे यहां पर आज तक भी भूमि सुधार सही लागू नहीं हुआ है।

हमारे प्रदेश में वर्ष १९५२ में जमींदारी का खातमा हुआ था। १९५२ के बाद ३५ लाख एकड़ जमीन ग्राम समाजों को बांटने के लिये दी गयी। यह कैसी विडंबना है कि आज २३ साल के बाद भी ३५ लाख एकड़ जमीन ग्राम सभाएं बांट नहीं पायीं और हर बार यही प्रयास होता है कि जमीन बांटी जाय। जितने भी भूमि सुधार के संशोधन होते हैं, कानून या नियम बनते हैं उनमें दिया जाता है कि जमीन बांटी जाय गांव समाज की भूमिहीनों को, लेकिन बंट नहीं पाती। कारण यह है कि काम केवल नौकरशाही पर छोड़ दिया गया है। कभी इसमें जनता का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की गयी। जब कभी जन-आन्दोलन उठा तब सरकार कुछ चेती, नौकरशाही भी सजग हुई, काम में तेजी आयी। जन–आन्दोलन खत्म हुआ तो काम में ठंडक पड़ गयी। १९७० में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने जमीनों पर कब्जा करने के लिए आल इंडिया पैमाने पर आन्दोलन चलाया था तो काफी तेजी इस काम में आयी और सरकार की तरफ से कहा गया कि ३५ लाख एकड़ जमीन में से २१ लाख एकड़ जमीन बंट चुकी है, केवल १४ लाख एकड़ बांटना बाकी है, जो जल्दी बांटी जायगी और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अगर जून, जुलाई १९७० के अखबार देख लिये जायं तो रोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के वक्तव्य निकलते थे कि इतने हजार एकड़ जमीन थी और इतनी बांट दी गयी है। लेकिन वह केवल कागजों में बांटी गयी थी। २ ही महीनों में १४ लाख एकड़ जमीन बांटने की सूचनाएं मिलीं। लेकिन जबसे भूमि सुधार की चर्चा चली है और इन्दिरा जी का २१ सूत्री कार्यक्रम चला है तो फिर कहा जा रहा है कि १९७० में जो १४ लाख एकड़ जमीन बची थी उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। सरकार को पता नहीं कि १४ लाख में से कितनी बंटी। ५ साल पहले कहा जाता था कि १४ लाख एकड़ जमीन बाकी है उसको अब फिर कहा जा रहा है कि बांटने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सरकार को पता नहीं कि कितनी जमीन बाकी है कि और कितनी बंट पायेगी या नहीं, जनता का सहयोग अगर नहीं लिया जायगा तो यह जमीन कभी भी नहीं बंट पायेगी।

मान्यवर, इस विधेयक में अवैधानिक कब्जों को हटाने की बात कही गयी है। यह सही है कि प्रदेश में जितनी जमीनें गांव समाज की हैं कहीं भी खाली नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि जितने भी अवैधानिक कब्जे हैं सख्ती से उनको हटाया जायगा और उसमें जुरमाने किये जायेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो बलपूर्वक हटाया जायगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात की तरफ मुख्य मंत्री जी का, और माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया समान रूप से पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिये। समान रूप से इस कदम को सख्ती से उठाया जाना चाहिये। समान रूप से जितने अवैधानिक कब्जे हैं उनको हटाया जाना चाहिये। हमारे प्रदेश में तराई के इलाके में बहुत ज्यादा अवैधानिक कब्जे हैं। एक-एक काश्तकार सौ-सौ, दो-दो सौ, तीन–तीन सौ एकड़ जमीन अपने कब्जे में रखे हुए है। नैनीताल जिले में एक खास क़िस्म के लोग पंजाब से आकर बस गये हैं जिनको राय सिक्ख कहते हैं। उन्होंने खास तौर से अवैधानिक तरीके से हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, करीब ५० हजार एकड़ पर कब्जा कर रखा है। अब चर्चा सुनने को मिल रही है कि उन राय सिक्खों ने जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनके संबंध में निर्णय होने जा रहा है कि उनको हदबन्दी की सीमा तक रेगुलराइज कर दिया जाय। यानी असिंचित भूमि की २७ एकड़ और सिंचित की १८ एकड़ तक उनको रेगुलराइज कर दिया जाय जबकि मैदानी इलाके में संशोधन किया जा रहा है कि एक बिस्वा जमीन भी किसी के पास अनधिकृत है तो उसको बेदखल किया जाय। उसकी तुलना में उनको २७ और १८ एकड़ पर रेगुलराइज कर दिया जायगा।

[श्री भीखालाल]

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए ।)

यह दो माप दंड क्यों हैं। बहुत सी अन्तर्कथायें सुनने को मिलती हैं। उनसे हमारे प्रदेश के कुछ मंत्री और कुछ बाहर के लोग जुड़े हुये हैं लेकिन उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। अगर यह बहाना लिया जाता है कि वह बड़े खूंख्वार हैं, बड़े दबंग हैं, बड़े लड़ाकू हैं, उनको इजेक्ट करना बड़ा मुश्किल है तो आप मैदान के लोगों को सिखाना चाहते हैं कि वह भी दबंग बनें, लड़ाकू बनें, खूंख्वार बनें। अगर आप वहां पर इस तरह की प्रक्रिया चलायेंगे तो मैदानी इलाकों में भी अवैधानिक कब्जों के लिये उनको बल मिलेगा और अवैधानिक कब्जे सरकार हटा नहीं सकेगी। इस दोहरे मापदंड का कारण कुछ लालच हो सकता है। उन सरदार लोगों के वोटों का लालच हो सकता है। एक मंत्रीजी इस इलाके से आते हैं, उनके वोटों का लालच हो सकता है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो मैदानों में होगी वह हमारे बीसों साथियों को कमजोर कर देगी। तराई में एक–दो जीतेंगे तो मैदानों में दसियों हार जायेंगे। इसलिये यह दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिये। यही नहीं है कि इन लोगों ने केवल ग्राम समाज की जमीन जोत रखी है। इसके अलावा वहां के निर्बल वर्ग, थारू और बोक्सा, लोगों की अगर एकड़, दो एकड़ जमीन उन लोगों और वह उनके खेतों के बीच में आ जाती है तो उसको भी ये जोत लेते हैं। पंजाब में अपनी जमीन २०–२० हजार रुपया प्रति एकड़ बेच कर यह लोग यहां आये हैं और इन्होंने अवैधानिक कब्जा किया। जमीनों पर इनका अधिकार नहीं लेकिन ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्यूबवेल लगवा लिया और खूब खेती करते हैं। बीच में आयी हुई थारू बोक्सा की जमीनों को ये लोग जोत लेते हैं और इस तरह से ऐसे सैकड़ों परिवारों को इन्होंने उजाड़ दिया है और इन्हीं के साथ रियायत होने जा रही है कि तुम्हारे अवैधानिक कब्जे को वैधानिक कर देंगे। तो यह दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिये।

बेदखली के सिलसिले में जिसकी तरफ माता प्रसाद जी ने संकेत किया, मैंने भी उसमें संशोधन दिया है कि अगर मैदानी इलाके में कोई भूमिहीन या हरिजन जिसने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है और उसका रकबा ३ १/८ एकड़ से ज्यादा नहीं है तो उसको बेदखल न किया जाय और उसको सारे अधिकार दे दिये जायं। इस सम्बन्ध में मैंने माल मंत्रीजी से बात की और मुख्य मंत्रीजी से भी मिला। उन्होंने कहा कि हमने जिलों को आदेश दे दिये हैं कि इस किस्म के हरिजन बेदखल न किये जायं। फिर इस बात को इस ऐक्ट में रखने में क्या दिक्कत है। ऐक्ट में प्राविधान है कि एक डिसिमल पर भी अगर कोई काबिज हो तो उसको नोटिस दे कर बेदखल किया जाय। इसके विपरीत आप शासकीय आदेश देते हैं कि हरिजनों को न बेदखल किया जाय तो कैसे उसका प्रतिपालन होगा? फिर उस आदेश का पालन भी नहीं हो रहा है। और जिलों की तो मैं नहीं जानता, अपने जिले की बात कहता हूं। मैंने जिलाधिकारियों से कहा कि सरकार के ऐसे आदेश हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे आदेश आये नहीं, कृपा कर के दूसरे आदेश भिजवा दें ताकि हम उसका पालन कर सकें। तो प्राविधान को विधेयक में क्यों नहीं रखते कि अगर कोई भूमिहीन हरिजन ३ १/८ एकड़ जमीन पर काबिज है तो उसको बेदखल न किया जाय। बल्कि उसको सीरदारी अधिकार दे दिये जायं।

सीलिंग का भी हमारे यहां कानून बना। आवश्यकता जब-जब महसूस हुई उसमें संशोधन भी किये गये। यह भी परिवर्तन हुआ कि बेनामी पट्टों को कन्सीडर नहीं किया जायेगा। मगर जो भी संशोधन किये गये और कानून बनाये गये उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। आप हर चीज को अपने अधिकारियों पर छोड़ देते हैं। सरकार यह भूल जाती है कि प्रशासन में लेखपाल से लेकर रेवेन्यू विभाग में सेक्रेटरी और चेयरमैन तक ऐसे

लोग हैं जिनका संबंध ऐसे परिवारों से है जो मध्यम या बड़े किसान हैं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इसको सही रूप से लागू कर सकें। इस विधेयक में भी काफी कमजोरियां हैं लेकिन उनको लागू करने में भी जनसहयोग नहीं लिया गया है। जन समितियां नहीं बनायी गयी हैं। जितनी जमीन निकलने का अनुमान आपने लगाया था और जितनी भूमि निकलनी चाहिये थी सीलिंग के अन्तर्गत, उसकी १/४ भूमि भी नहीं निकली है। और जो निकली भी उसका बटवारा नहीं हुआ। इसलिये जो कानून आप बना रहे हैं उन्हें सख्ती से लागू करना पड़ेगा।

एक बात और मैं हरिजनों के आवास–व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग साढ़े ११ लाख ऐसे हरिजन परिवार हैं जिन्हें आवास की भूमि की जरूरत है और सरकार कहती है कि उसने लगभग साढ़े ९ लाख परिवारों के लिये आवास का प्रबन्ध कर दिया है, मगर यह सत्य नहीं है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी भी इस संबंध में लिखी थी। मनानीय मुख्य मंत्री जी ने उसका जबाब दिया है कि जो बात सरकार कहती है वह सही है और अगर कहीं कब्जा न मिला हो तो उसकी सूचना दें।

मैं अब भी कहता हूं कि यह सरकारी आंकड़े गलत हैं और वह आपको बदनाम करेंगे। श्रीमती इन्दिरा जी जिस तेजी के साथ हरिजनों का उत्थान करना चाहती हैं वह तभी होगा जब आप सख्ती से कानूनों को लागू करें। मुख्य मंत्री जी ने हर मंत्री को एक जिला सौंपा है वह हर जिले में दो-दो गांवों को तरीके से ले लें और रैन्डम सर्वे करा के देखलें कि कितनी जमीन हरिजनों को मिली है, जो आंकड़े कागज पर दर्ज हैं वे कहां तक सही हैं। मैं तो कहता हूं कि २५ प्रतिशत लोगों को भी शायद ही कब्जा मिला हो। माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी जिला अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर है और मेरी जानकारी अपनी निजी है। आपने २१ सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये मिनिस्टरों को जिले बांट दिये हैं उसी तरह से कुछ जिलों को बड़े अधिकारियों के सुपुर्द किया गया है उन से भी कहें कि वे मौके पर जाकर देखें। यह लोग जब मौके पर जाकर देखेंगे तभी इनको सही बात की जानकारी हो सकेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप खाली नीचे की रिपोर्ट पर ही इतमिनान न करें। इससे गलत धारणा बनेगी, सरकार बदनाम होगी और जो आप करना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तरफ आवश्यक ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक के जरिये सरकार एक और अधिकार ले रही है पट्टों के निरसन के सम्बन्ध में। बहुत अच्छी बात है, पट्टे अगर नाजायज ढंग से हुए हैं तो उनकी जांच की जाय। मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में जो दिया हुआ है उसके ७वां पैराग्राफ जो है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं:—

> "७—गांव सभा की भूमि के प्रदेशन के लिये उक्त अधिनियम की धारा १९८(१) में निर्धारित प्राथमिकता क्रम को यह निश्चित करने के लिये फिर से निर्धारित किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के भूमि-हीन कृषक मजदूर को भूमि के प्रदेशन में सर्व प्राथमिकता प्राप्त हो सके। गांव सभा की भूमि के सम्बन्ध में अवैध पट्टों के सम्बन्ध में चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हों, संवीक्षा करने की और यदि आवश्यक हो तो उसका पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान की जा रही है।"

उद्देश्य में तो आपने लिखा है कि पट्टा कितना ही पुराना क्यों न हो, सरकार अधिकार ले रही है कि उनकी जांच करायेगी और जांच करने के बाद अगर आवश्यक हुआ तो उसमें परिवर्तन भी लायेगी लेकिन जब सरकार बाद में विधेयक बनाने बठी तो वह शक्ति घटा कर

[श्री भीखालाल]

५ साल कर दी। यानी इस अधिनियम के बनने के ५ साल पूर्व तक के पट्टों की जांच करायेगी। आखिर कौन सी जरूरत हो गयी कि सरकार ने यह संकोच किया। यह निर्विवाद है कि जमींदारी एबालिशन के बाद सन् ५२ से आप जांच करायें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर ज्यादा नहीं ६० प्रतिशत पट्टे उसमें नाजायज और अवैधानिक हुए हैं। यह मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। और वह यह है कि सन् १९६७ में जब संविद की सरकार बनी थी तो उसने १९६४ से १९६७ तक के तीन सालों के पट्टों की जांच कराने के आदेश दिये थे। मान्यवर, इस अवधि के बीच में ३ लाख ८,८१७ पट्टों की जांच हुई और इससे सम्बन्धित जो भूमि थी वह ५,१७,११० एकड़ थी। इन पट्टों की जांच के बाद जो अवैधानिक पट्टे निकले वे १,८४,४२५ थे और उससे सम्बन्धित जमीन जो थी वह ३,०९,४३५ एकड़ थी। इस तरह से यह करीब-करीब ६० प्रतिशत अवैधानिक पट्टों का आता है। ये तीन साल के आंकड़े हैं। अगर पूरी जमीन की जांच की जाय तो ६० प्रतिशत अवैधानिक पट्टे निकलेंगे। तो आपको यह कैसे संकोच आया कि आपने यह ५ ही साल रखा। मैं इस बात को मानता हूं कि सन् ५२ के बाद के पट्टों की जांच करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाई होगी क्योंकि पट्टा करने के बाद वे जमीनें कई हाथों में तब्दील हुई होंगी। कहीं बैनामा हुआ होगा, कहीं बंटवारा हुआ होगा, कहीं हस्तान्तरण हुए होंगे, और इससे कठिनाई होगी जांच करने में। मैंने सन् १९५२ में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया था उत्तरप्रदेश जमींदारी एबालिशन का और उसके बाद सन् ६० में एक दूसरा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया था सीलिंग ऐक्ट पास करके। इसलिये अगर १९५२ से जांच नहीं कराई जा सकती तो आप ५ के बजाय, १५ साल के पट्टों की जांच यानी १९६० से कराते। अगर १५ साल के पट्टों की जांच की जाय तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि २१ लाख एकड़ जमीन जो बांटने की बात कही जाती है उसमें से कम से कम १४, १५ लाख एकड़ जमीन ऐसी निकलेगी जिनके अवैधानिक पट्टे किये गये हैं और जिनको निकाल कर भूमिहीनों और हरिजनों में बांटा जा सकता है। लेकिन इसके लिये साहस की जरूरत है। वैधानिक अड़चनें भी आयेंगी, उनसे निबटने की जरूरत है। इसलिये आप वह साहस पैदा कीजिये, कृषि जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कीजिये और इसकी मियाद को बढ़ाइये, यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात यह है जिसका संकेत मैंने २ दिन पहले किया था। एक संशोधन इसमें किया गया है धारा १५६ में। जो काश्तकार अपनी जमीन शिकमी उठाता था वह बचत का एक तरीका निकालता था कि जिस किसान को वह बटाई देता था उससे एक पर्चा लिखवा लेता था, साझीनामे का। आपने प्रतिबंध कर दिया कि इस किस्म की लिखापढ़ी सबलेटिंग समझी जायगी। तो यह कदम तो ठीक है, लेकिन गलती कहां हुयी है। गलती हुयी है आपके स्टाफ, लैंड रेवेन्यू स्टाफ की। शिकमी पर जमीन दी गयी है। लेकिन लेखपाल जो गांव में रहता है उसने इन्दराज कब्जे नहीं किया है। अगर इंदराज किया होता तो सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन पर भूमि हीनों को कब्जा मिल गया होता। सीरदारी का अधिकार मिल गया होता। लेकिन इन्दराज ही नहीं किया गया है। इस संशोधन से क्या हो रहा है कि अब बजाय बटाई या शिकमी देने के गांव के बड़े जमींदार या बड़े काश्तकार इसको सख्ती से रोक रहे हैं। और यह प्रचार किया जा रहा है कि मुख्य मंत्री जी ने हर जिले के लिये एक मिनिस्टर और एक अधिकारी तैनात किया है। जो गांव-गांव जाकर देखेगा, उसके साथ एक फोटोग्राफर होगा और यदि कोई जमीन बड़े जमींदार की कल्लू हरिजन जोत रहा होगा अगर वह देखेंगे तो फोटो खींच लेंगे और असेम्बली में पेश किया जायगा और कल्लू हरिजन को जमीन का मालिक करार दे दिया जायगा। इस तरह की चर्चा फैलायी जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया यह हो रही है कि जिन्होंने बटाई जमीन दी थी और जिस जमीन पर गरीब हरिजन ने खाद डाली थी, जुताई की थी और फसल मेहनत करके उगायी थी, अब उस फसल को जमींदारी और बड़े काश्तकार चुरा रहे हैं और फसल नष्ट करके कब्जा कर लिया है। तो अगर हम

कहें कि आप उसको कब्जा दिलवाइये तो यह गैर कानूनी होगा पर इतना जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने उस गरीब की फसल चुराई है उन लोगों से उसको उसकी मेहनत का मुआवजा अवश्य दिलाया जाय। अगर इस किस्म की नोटिस कहीं से जिलाधिकारी के पास आती है, आप उनको आदेश दें कि हरिजन या भूमिहीन की इस तरह की कोई कांप्लेंट काश्तकार के खिलाफ आती है कि काश्तकार ने फसल नष्ट कर दिया है, जबर्दस्ती चुरा लिया है तो उसकी मेहनत का मुआवजा उस आदमी से दिलाया जाय जिसने फसल नष्ट की हो। इस किस्म के आदेश जारी होने चाहिये।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कल कह रहे थे कि यह एक प्रसव की पीड़ा का समय है। कुछ कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं। शुरू-शुरू में दिक्कतें होती हैं। हम उनको साहस दें और वह दूसरे उद्योग अपनायें। लेकिन उनके ऊपर जो फैरी ज्यादतियां हो रही हैं उनको रोकने के लिये प्रशासनिक तौर पर कोई कदम उठाया जाना चाहिये ताकि उन पर होने वाली ज्यादतियां बंद हों।

मान्यवर, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में भी कुछ संशोधन किया गया है। जिसमें धारा ३३–३४ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। धारा ३३(क) जो है उसमें यह प्राविधान है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर उत्तराधिकार के जरिये से कब्जा पाता है तो अगर वह मामला डिस्प्यूटेड नहीं है तो उसका इंदराज कानूनगो सरकारी कागजात में कर देगा। यह ३३(ए) में प्राविधान है। ३४ में जो संशोधन किया जा रहा है, उसके अनुसार ३३ (क) के अधीन जो इंदराज हो जायगा इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति उत्तराधिकार अथवा अगर वह जमीन का हस्तान्तरण करता अन्य तरीके से कब्जा पाता है तो जो व्यक्ति संबंधित कलेक्टर को सूचना देगा और तहसीलदार को सूचना देगा और उसकी सूचना के आधार पर इंदराज कागजात में किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि ३३ (ए) में जो आपने कहा है कि उत्तराधिकार के जो मामले अन–डिस्प्यूटेड हैं वह इंदराज कर लिये जायेंगे तो इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा यह है कि सरकारी कागजातों को सरकार दुरुस्त रखे। कागजात को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि कोई खातेदार मरता है तो कानूनगो को सूचना देने की जिम्मेदारी लेखपाल की है कि फला मर गया है और उसका अमुक व्यक्ति उत्तराधिकारी है और तब कानूनगो उसका इंद्राज करेगा। लेकिन ३३-ए में कहा गया है कि केवल अन-डिस्प्यूटेड मामले को ही कानूनगो इन्द्राज करेगा, डिस्प्यूटेड के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इसकी जिम्मेदारी धारा ३४ में संबंधित व्यक्ति पर डाल दी गयी है। प्रश्न यह है कि संबंधित व्यक्ति को कैसे मालूम होगा कि यह मामला डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड। इसलिये ऐसे मामले कानूनगो के सामने आने चाहिये। अतः कानूनगों की यह जुम्मेदारी होनी चाहिए कि वह डिस्प्यूटेड मामलों की सूचना स्वयं तहसीलदार का दें और उसके बाद इन्द्राज करने की कार्यवाही होना चाहिये। माल मंत्री जी इस पर सोंचेंगे और इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, इसी तरह से मैंने सवा तीन एकड़ की बात कही और उसके लिये मैंने संशोधन दिये हैं। इस विधेयक में उसका प्राविधान होना चाहिये और शासकीय आदेश से नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, एक बात का और संशोधन किया गया है कि जो अनाधिकृत कब्जे हैं जिसको हटाने के लिये ११५-सी में नोटिस दी जाती हैं उसमें जो जुर्माना होता है उसका क्या होगा? यह जुर्माना गांव कोष में अभी तक जमा होता था। आपने संशोधन कर दिया है कि जो जुर्माना किया जायेगा वह संचित गांव कोष में जमा होगा। जुर्माने से जो आय होती है उस पर ग्राम समाज का अधिकार है लेकिन अब उसको लेकर संचित गांव कोष में रख दिया है। दूसरे ग्राम सभाओं की जो आय होती है उसका अभी तक १५ फीसदी सचिव गांव कोष में जमा होता था लेकिन अब उसको बढ़ाकर २५ फीसदी कर दिया है। इससे गांवसभाओं की आय

[श्री भीखा लाल]

कम हो जायेगी। इस प्रकार गांव सभाओं से एक आय का जरिया छीन लिया गया और दूसरे संचित गांव कोष में उनके हिस्से की दर को भी बढ़ा दिया है।

मान्यवर, काफी समय से चर्चा यह हो रही है कि जितनी मालगुजारी वसूल होती है उसका एक हिस्सा ग्राम सभाओं को दिया जायेगा ताकि वे अपने गांव का प्रबन्ध और विकास कर सकें। अब पता नहीं यह कब होगा? आज ग्राम सभाओं के पास आमदनी के उतने जरिये नहीं हैं जिससे वह गांव का विकास कर सके। एक जरिया था कि यदि ग्राम सभा की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करके अथवा उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जाय तो ग्राम सभाओं को कम्पेन्शेसन मिलना चाहिये और ग्राम समाज के पास जाना चाहिये था। परन्तु इस संशोधन के जरिये यह आय छीन करके संचित कोष में रख दिया गया है। इसलिये ग्राम सभाओं की आमदनी में कटौती हो जायेगी और जो वह विकास कर सकते थे उसमें रुकावट पड़ेगी। इसलिये इस पर सरकार सोचें और यह आय गांव समाज में जाना चाहिये। जो दर बढ़ा दिया है उसको भी घटाया जाना चाहिये। ग्राम सभाओं के मामलों में अदालतों में पैरवी करने में जो पैसा खर्च होता है वह संचित गांव कोष से होना चाहिए लेकिन व्योहार में यह होता है कि यदि कोई मुकदमा ग्राम समाज का होता है तो वकील सरकारी अवश्य मिल जाता है लेकिन तो उसका खर्चा सम्पत्ति आम कोष से नहीं दिया है बल्कि ग्राम समाज को डाइरेक्ट करना पड़ता है।

इस प्रकार कोष भी वह जमा करे और ग्राम समाज का कोई केस आवे तो अपने फंड से फीस दे तो धीरे-धीरे ग्रामसमाज का कोष खाली हो जायगा। इसलिये इस पर भी विचार करना चाहिये। मुख्य बात जो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह यह कि जो भूमि सुधार की कल्पना इन संशोधनों के जरिये की गयी है वह बहुत अच्छी है क्योंकि आज तक जो भी प्राविधान किये गये उनमें खामियां रहीं। अब तक जो खास कमी रही है वह यह कि जन सहयोग हांसिल करने की कभी चेष्टा नहीं की गयी। जन सहयोग लेने की बात तो बार-बार कही जाती है लेकिन उस दिशा में सरकार की ओर से कभी प्रयास नहीं हुआ। इस तरह भी शीघ्र प्रयास करना चाहिये। प्रदेश के पैमाने पर एक कमेटी बनी थी। उसी तरह से जिले के पैमाने पर तहसील और ब्लाक के स्तर पर भी ऐसी कमेटी बनावें जिससे यह कमेटी ऐसे लोगों का पता चला सके जिन्होंने सीलिंग की या ग्राम समाज की जमीन को चुराया है। इन शब्दों के साथ मैं अन्य संशोधनों का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की ७० फीसदी से अधिक जनता गांवों में रहती है और उसका जीवन-यापन खेती से होता है। अपना प्रदेश खेतिहर प्रदेश है। इसलिये इसकी व्यवस्था की ओर शासन को विशेष ध्यान देना होगा और यदि यह व्यवस्था ठीक न हो सकी तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर सकी। जनता की ओर से भी यही मान्यता सरकार के लिए होगी। हम जानते हैं कि भूमिहीनों की समस्या बड़ी भयंकर है और ७० फीसदी ऐसे लोग हैं जिनको दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता। यदि शासन ने भूमि व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो भविष्य यह उस दिशा में ले जायगी जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत यह संशोधन पेश किया गया है। मेरी अपनी राय यह है कि इसका एक स्पेशल ऐक्ट बनना चाहिए और वह इस प्रकार होना चाहिए कि जो जमीन गांव समाज की, चकबंदी से या सीलिंग से निकले उसकी व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलग से की जाय और उसके अधिनियम ऐसे बनाये जायं कि जमींदारी विनाश अधिनियम जो एक तरह से लिटीगेशन का रास्ता प्रशस्त करता है वह उसमें न हो। मान्यवर, आप जानते हैं कि जमींदारी ऐक्ट में लैंड रेवेन्यु ऐक्ट के अन्तर्गत पहले करेक्शन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वरासत की प्रोसीडिंग्स होती है और फिर वही व्यक्ति २२९ में जाता है जहां वही प्रोसीडिंग्स फिर होती है। यह जो मल्टीपुल प्रोसीडिंग्स है यह गरीब आदमी को हतोत्साहित कर देती है और वह फिर चुपचाप बैठ जाता है और इस तरह से अपने अधिकारों से वंचित होता है। इसलिए ऐसा स्पेशल ऐक्ट बने जिसमें इन प्रोसीडिंग्स में जाने की व्यवस्था समाप्त हो और शासन की जिम्मेदारी हो कि जो जमीन चाहे प्रवास के लिये या काश्त के लिये भूमिहीन को दी जाती है पट्टे के रूप में उस पर यदि कोई मुकदमा चलता है तो उसे लड़ने के लिये शासन की कोई एजेन्सी हो। शासन स्वयं उसकी पैरवी करे। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा वह सही है कि जो जमीन दी जाती है उसका मुकदमा लड़ने में उस जमीन की कीमत से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और शासन की जो मंशा है वह भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि अगर किसी को ऐतराज करना है तो स्पेशल कोर्ट हो जिसमें जाकर वह मुकदमा दायर करे। इसके बाद उस गरीब आदमी की पैरवी शासन को करनी चाहिए। इससे न तो उस गरीब भूमिहीन व्यक्ति पर कोई आर्थिक बोझ प ेगा और न ही वह अपने अधिकार से वंचित रह सकेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे स्पेशल आफिसर रखे जायं जो किसी भी अधिकारी के दबाव में न रहें। यह तभी सम्भव हो सकता है कि उनके करेक्टर रोल में एन्ट्री कमिश्नर या कलेक्टर न करें।

और अब उसे यह विश्वास हो जायगा कि कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, उसकी चरित्र पंजिका खराब नहीं कर सकता, तो उसमें एक हिम्मत होगी काम करने की। इसलिये आवश्यक है कि इस तरह का प्राविधान राजस्व मंत्री करें। विधेयक की धारा ६, (२), (३), (४) (क) (ख) (ग) के सम्बन्ध में जो संशोधन आये हैं, वह इस बात के द्योतक हैं कि कैसे कलेक्टर को अधिकार है और इस तरीके से वह कभी भी इस जमीन को नहीं दे पाये उस काश्तकार को जो भूमिहीन है और जिसके लिये यह बिल लाया गया है। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो जमीन पर कब्जा करे, बजाय उसको अर्थ-दण्ड देने के, उसके लिये सजा का भी प्राविधान होना चाहिये और भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पर कम से कम ५ वर्ष की सजा की व्यवस्था होनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे कि वह स्वयं कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और गांव समाज की जमीन खाली रहेगी और एल० एम०सी० तथा प्रधान को अधिकार होगा कि वह उस जमीन को जैसे चाहे उठा सकता है। साफ बात यह है कि जो हमारे लेखपाल हैं वह भी गड़बड़ी करते हैं। कब्जा मौके पर बड़े आदमी का होता है और एक गरीब आदमी के नाम वह जमीन लिख देता है। होता यह है कि यह बड़ा आदमी साठ-गांठ करके अपना फायदा कर लेता है और जो गरीब आदमी है उस पर मुकदमा चल जाता है। इस सिलसिले में एक सुझाव यह है कि जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, चाहें उनका नामांकन कर दिया जाय, वह मौके पर वेरीफाई करके लेखपाल के रिकर्ड चेक करके और तहकीकात करके ही उस पर मुकदमा चलायें ताकि जो भ्रष्टाचार लेखपाल या माल विभाग के कर्मचारियों की तरफ से हो जाता है वह न हो सके। जुर्माना के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि तमाम जमीन जोते हुये हैं और केवल १०० रु० या २०० रु० जुर्माना हो जाता है इससे गांव समाज को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये आवश्यक यह है कि यह मापदण्ड बना दिया जाय, एक एमाउन्ट फिक्स कर दिया जाय कि एक एकड़ पर जुर्माना ४००० रु० या उससे कम होगा अर्थात् ३००० होगा और उस पर एमाउन्ट कम करने का डिस्क्रीशन किसी का न हो, तो जो भी कब्जा करेगा वह इतनी हिम्मत रखेगा कि अगर सिद्ध हो जायेगा तो इतना रुपया देना प ेगा। इस दिशा में भी ध्यान दिया जाय।

जहां तक पट्टों का सम्बन्ध है, भाई भीखालालजी ने भी कहा और मैं उनकी राय से सहमत हूं कि १९६० से स्क्रूटिनी की जाय। जितनी भी गड़बड़ है यदि उसमें शासन एक अभियान

[श्री प्रेम दत्त]

चलाये तो लाखों बीघा जमीन निकलेगी और जो लोग भूमिहीन हैं उनको यह जमीन मिलेगी और जो कांग्रेस की नीति है, जो उसका मैनीफेस्टो हो, वह तभी पूरा होगा, जब इस तरह की व्यवस्था की जायेगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं और मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में दो-चार गांव हैं, वहीं के एक विधायक रहने वाले हैं, वहां पर हरिजनों के पट्टे नहीं हैं और जो पट्टे हैं वह सवर्णों के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को नोट कर लें और देखें कि वहां के प्रधान, एल० एम० सी० और उनके सदस्यों ने मिलकर जो पट्टे कर लिये हैं, उनको बेदखल कराया जाय।

आवास की बाबत बात आई। हमारे यहां एक तहसील मलवा पड़ती है। एक मील दूर आबादी से कुछ हरिजनों को मकान बनवाये गये और वह मकान ऐसे हैं कि उसमें जानवर भी नहीं रह सकते। उसमें न खिड़की है और न रोशनदान है। बहुत छोटे हैं। अगर आंकड़े देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि कितने इस प्रकार के मकान बनवाये गये। तो ऐसे मकान बनवाने से क्या फायदा। तो शासन को चाहिये कि वह ऐसे मकान बनाये चाहे संख्या में कम हों लेकिन अच्छे हों और लोग उनमें रह सकें। दूसरी बात यह कि मकान आबादी के बाहर बनायेंगे मैं समझता हूं कि गोरे और काले की राजनीति जैसे अफ्रीका में है यह उसी का द्योतक है। आवश्यकता यह है कि उनके मकान आबादी के पास बनाये जायं। अगर मकान बने और आबादी से एक मील की दूरी पर बने तो वहां कौन रहेगा? देखने में बुरा लगता है कि यह हरिजन है, यह सवर्ण है। सब की राष्ट्रीयता एक है सब देश के नागरिक हैं। इसलिये ऐसा भेद-भाव नहीं होना चाहिये। भविष्य में जो मकान बनाये जायं वे आबादी से मिले बनाये जांय ताकि वे उनमें रह सकें।

एक बात मुझे यह कहनी है कि बहुत सी जमीन गांव में ऐसी है जहां पर हरिजनों को पट्टे हो गये हैं लेकिन फिर भी सरप्लस पड़ी हुई है और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर जमीन न होने से उन गांवों के हरिजनों को जमीन नहीं मिल सकी। इसमें यह संशोधन किया जाय कि जिन गांवों में सरप्लस जमीन पड़ी हुई है उसको आसपास के गांवों के हरिजनों को एलाट कर दी जाय। इसके लिये मंडल की डेफिनीशन में संशोधन कर दिया जाय ताकि जो सरप्लस जमीन है वह दूसरे गांव में रहने वाले हरिजनों को मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक जिस मंशा से लाया गया है उसमें दो राय नहीं हो सकतीं। मंशा तो अच्छा है लेकिन जिस लक्ष्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है उनको जिनके लिये यह संशोधन लाया गया है।

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि आज प्रदेश के अन्दर लोग जमीनों पर कब्जा किये हुये हैं और यह कब्जा किये हुए हैं खास तौर से गांव प्रधानों से मिल कर, लेखपाल तथा तहसीलदार और उनके स्टाफ से मिल कर। इस तरह सारी की सारी जमीन लोग हड़पे पड़े हैं। सवाल यह है कि पहले जमीन उनके कब्जे से निकाली जाय, फिर खेतिहर मजदूर को बाद में दी जाय और उनको उस पर कब्जा दिलाया जाय। १२२ (ख) बेदखली के सिलसिले में पहले एक धारा थी लेकिन अब जो उसमें संशोधन किया गया है यह पहली वाली धारा से भी कमजोर है। लेखपाल और तहसीलदार उनसे मिले हुए हैं जो गांव की जमीनों पर नाजायज कब्जा किये हुए हैं। प्रमाण के रूप में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि मेरे

जिले में ग्राम बड़मपुर, तहसील फतेहपुर में एक गांव है। वहां पर ५०० एकड़ जमीन, जब से जमींदारी खत्म हुई, प्रधान बराबर जुतवा रहे हैं। पिछले ७, ८ महीने से हम लोगों ने प्रयास किया। एस० डी० एम० इन्क्वायरी कर रहे हैं, तहसीलदार इन्क्वायरी कर रहे हैं लेकिन आज तक वह जमीन नहीं निकाली जा सकी और प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। संशोधनों में यह कहा गया कि दो महीने के अन्दर स्थानीय अधिकारी अवैध कब्जे की रिपोर्ट करेंगे लेकिन जैसा कि आज तक का अनुभव है प्रधान या लेखपाल रिपोर्ट करने वाले नहीं हैं। जब तक कि उनसे कोई विशेष व्यक्तिगत रंजिश न हो। समाज का कमजोर वर्ग, हरिजन और खेतिहर मजदूर का वर्ग यदि उसके खेत में काम करने नहीं जायेगा तो उसके ऊपर इस धारा के अन्तर्गत मुकदमा कर देगा। उनके बड़े-बड़े रिश्तेदार, बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े लोग जो इन गांव समाज की जमीनों पर काबिज हैं उनके खिलाफ कोई कुछ ऐक्शन लेने वाला नहीं है। पिछले रिकार्ड को उठाकर देख लिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन लोगों के खिलाफ लेखपालों और प्रधानों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। धारा में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कलेक्टर की राय हो कि कोई अवैध कब्जा किया हुआ है तब वह ऐक्शन ले सकता है। पहले यह था कि गांव पंचायत का सदस्य भी कर सकता था। लेकिन इसके द्वारा कलेक्टर की राय जरूरी है। म पूछता हूं कि कलेक्टर की राय की परिभाषा क्या है? कलेक्टर कौन है यह स्पष्ट ोना चाहिये।

समाज के अन्दर जहां एक तरफ शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, भूमिहीन किसान है वहां दूसरी तरफ सामान्ती तत्व ब े-ब े जमींदार लोग उनकी जमीनों पर कब्जा किये हुये हैं। सारे का सारा शासन यंत्र शोषित वर्ग के ऊपर होता है। शायद ही कलेक्टर ऐसी राय बनावे कि उस जमीन पर अवैध कब्जा है। इतनी ब ी छूट आपने नौकरशाही को दे दी है जिसने कि हमेशा इस कमजोर वर्ग का शोषण किया है। अगर कभी गल्ती से कोई अधिकारी इस वर्ग के पक्ष में राय दे दे तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किये जाते हैं। अभी काशीपुर में एक डी० एम० हरिजन था उसके ऐसा होने पर ब े-ब े लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उसमें वहां का पुलिस अधीक्षक भी शामिल था। उसके खिलाफ नारे लगाये गये और ये नारे लगाये गये डी० एम० साहब गद्दी छो ो, जूते सियो। इस तरह के नारे लगाने वाले समाज में कैसे यह आशा की जा सकती है कि हमारे अधिकारी कुछ करेंगे। ऐसे तबके के खिलाफ कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिये आपको सोचना प ेगा और अगर वास्तव में इस वर्ग को कुछ राहत पहुचानी है, उनकी सही मानो में सेवा करनी है और ब े लोगों को बेदखल करना है तो खाली संशोधनों को लाकर ही काम चलने वाला नहीं है। आपको पूरे का पूरा लैंड ला, जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट, सीलिंग ऐक्ट, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट जो १९०१ से चला आ रहा है, उसे आपको पूरी तौर पर बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का संशोधन करने से आप कानूनों में प्योंदा ही लगा सकते हैं लेकिन एक वक्त वह आता है जब कपड़ा सड़ जाता है जिसे आप सिलते चले जाइये वह फटता ही जाता है। मैं यह नहीं समझता इसमें आपकी नीयत गड़बड़ है वह साफ है। देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो २१ सूत्री कार्यक्रम है उसे अवश्य लागू करना चाहिए। इससे आपकी नीयत स्पष्ट है लेकिन खासतौर से वाकई में जो शोषित और पी ित वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है उसको और दबाने के लिये आप लूप-होल्स न बनाये। जैसा कि अभी माननीय काशीनाथ जी ने कहा धारा २२९ में दावा करने के बाद इस जनम में कोई उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपकी नीयत वाकई में साफ है तो आपको ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसको कि अमलीजामा पहनाया जा सके। मैं चाहूंगा कि जहां कलेक्टर की राय ह, जो खन्ड ३ है "जहां कलेक्टर की यह राय हो कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है अथवा उसका दुर्विनियोजन किया गया है, या उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई भूमि, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहां वह संबद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि क्षति अथवा दुर्विनियोजन के लिए ऐसा प्रतिकर जो नोटिस

[श्री राम चन्द बक्श सिंह]
में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हों, उससे क्यों न वसूल किया जाय, या, यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय, नोटिस जारी करेगा।" इस राय के बारे में मुझे कहना है, वह राय कैसे बनेगी, इसे स्पष्ट कर दिया जाय। स्पष्ट होना चाहिये कि गांव सभा का कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के सामने कहेगा तो कलेक्टर को राय बनानी पड़ेगी और उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले था, उसमें था कि गांव प्रधान ही नहीं उसका कोई भी सदस्य कहेगा तो उस पर कार्यवाही होगी। उस आदमी की राय पर कलेक्टर को राय बनानी प ेगी। चाहे आप एफीडेविट ले, उसके नियम कानून बने हुए हैं, असत्य देने वाले के लिए सजा है, अतः उसको कोई व्यक्ति झूठ नहीं दे सकता है। लेकिन केवल कलेक्टर की राय पर रखेंगे तो ऐसे जमीन मिलने वाली नहीं है, बेदखली होने वाली नहीं है।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन यह भी है कि ४ (घ) को तो डिलीट होना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी कलेक्टर के सामने कह सकता है कि देखिए इसमें क्वैश्चन आफ टाईटिल इन्वाल्वड है। यह भी हाईकोर्ट तक जाएगी कि यह क्या चीज है? अच्छा हो कि इसे भी विधान सभा में स्पष्ट कर दिया जाए। न्यायपालिका की रूलिंग बराबर इसके ऊपर होती रहेगी। कोई आदमी कह दे कि वह १० साल से काबिज है तो बस क्वैश्चन आफ टाईटिल इन्वाल्वड हो गया। ४ (ख) का तो मतलब यह है कि १२२ में बेदखली नहीं होगी। क्वैश्चन आफ टाईटिल की बात उठाकर यह सारा का सारा मामला खटाई में डाल दिया जाएगा इसलिये माल मंत्री जी ४ (घ) को फिर से देखें।

एक बात यह है कि जहां तक दाखिल-खारिज का सवाल है बेदखल करके पट्टे कर दिए गये हैं, लेकिन मुझे बराबर जानकारी है, कि एक जन प्रतिनिधि होने के नाते काफी जानकारी है कि उन पट्टों के ऊपर कभी दाखिल खारिज नहीं होने पाई। अतः यह पाबन्दी होनी चाहिये, जो अधिकारी पट्टे करते हैं, उनके ऊपर यह कानून लगाया जाए कि रेवेन्यू रिकार्ड में उसका स्वयं दाखिल-खारिज का इन्द्राज कर दें। इसके बिना किए कोई काम नहीं होगा और लोग १४५ जा० फौ० का फायदा उठाऐंगे। पट्टे कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। उस कमजोर वर्ग को सरकार कोई राहत नहीं दे पाएगी।

इस सम्बन्ध में एक निवेदन और कर दूं, जहां पर यह है कि दो महीने के अन्दर सभापति या स्थानीय अधिकारी रिपोर्ट करेगा कि कब्जा है। किन्तु यदि वह नहीं करता तो क्या होगा? यह भी बात साफ होनी चाहिये। ग्राम प्रधान और लेखपाल के खाली अधिकार ही अधिकार नहीं कर्त्तव्य भी होने चाहिए निश्चित रूप से। उसके ऊपर यह बन्धन होना चाहिये कि यदि आपकी गांव सभा में यह पाया गया कि कब्जा करने के दो महीने बाद रिपोर्ट नहीं की, आपने कब्जा नहीं छुड़वाया तो आपके खिलाफ निश्चित कार्यवाई की जाएगी। तथा लेखपाल के खिलाफ कम से कम ऐसा हो कि न करने पर उसे मुअत्तल किया जाएगा। नहीं तो उसका रिमूवल होना चाहिये। आज प्रधान और एस० डी० एम० आदि लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा लगाए हुए हैं। बड़े-बड़े अधिकारियों ने पट्टे लिखवा लिए हैं। उन पर कोई बन्दिश लगाना चाहिये कि अगर दो महीने के अन्दर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ क्या होगा। गांव सभा के मुकदमें कौन करे? अगर कहीं-कहीं सभापति ईमानदार हैं, वे चाहते हैं कि हम बेदखल कर दें तो उनको क्या मदद मिलती है। जिलों में डी०जी०सी० रेवेन्यू एक-एक दिन में सौ-सौ मुकदमें करता है। इधर से उधर दौड़ रहा है। फीस उनकी मुनासिब नहीं है। कम फीस रेवेन्यू केसेज में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, या तो वह दूसरी पार्टी से मिल जाय, गांव सभा के खिलाफ गड़बड़ी करे वरना ईमानदारी से कोई वकील करने के लिए तयार नहीं है। लिहाजा गांव सभा के मुकदमें अगर प्रधान करना चाहता है तो कलेक्टर से मदद मिलती नहीं, न एस० डी० ओ०, क्या सरकारी वकील से मदद मिलती है क्यों

सरकारी वकील के पास बेपनाह काम रहता है। इसलिये जहां एक-एक जिले में हजारों एकड़ जमीन इनवाल्व हो, सरकारी वकील रेवेन्यू जो एक-एक दिन में सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ पेशियां करता है उसके बारे में सोचे। दस-पांच वकील खास करके इस काम को चलाने के लिए रखें। वरना सरकारी वकील डी० एम० और एस० डी० ओ० को महज सलाह देने में लगा रहता है। रोज इतने कागज आ जाते हैं कि रात भर बैठे तो रिपोर्ट नहीं कर सकता। माननीय माल मंत्री वकील भी हैं। उनको परसनल अनुभव भी होगा कि क्या समस्याएं हैं। इसके बारे में कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे पंचायत दूसरे लोगों की तरह मुकदमा लड़ने में सक्षम हो सके।

अब मैं लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह ऐक्ट कब बना था कैसे बना था, किन हालात में बना था। वह एक विशेष कार्य के लिए अंग्रेजों के जमाने में बना था। उसी में अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट करते चले आ रहे हैं। तहसीलों का कांस्टीट्यूशन सिर्फ इसलिए किया गया था कि मालगुजारी वसूल की जाय और रेकार्ड आफ राइट्स को सही रखा जाय। हम किससे मालगुजारी बसूल करें, और कैसे वसूल करेंगे इस व्यवस्था की तहत लैंड रेवेन्यू ऐक्ट बनाया गया था। तहसीलों को इसीलिए संगठित किया गया था। कलेक्टर का मतलब है जो मालगुजारी वसूल करे। आज जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं, नसबन्दी से लेकर वसूलियाबी तक, महीनों में दस रोज तहसील का स्टाफ मिनिस्टरों के चक्कर में पड़ा रहता है। इन सारी जिम्मेदारियों के होते हुए उसी तरह से वह काम नहीं कर सकेगा। आज जमीन के वितरण का कार्य अलग नहीं है। तहसील के स्टाफ में बहुत से ईमादार लोग भी हैं। अगर वह ईमानदारी से काम करना भी चाहें तो इन हालात के अन्दर नहीं कर सकते। एक तहसीलदार के पास कितना काम रहता है। सारे केसेज डिसाइड करेगा म्युटेशन और कलेक्शन के चार-चार साल तक केसेज पड़े रहते हैं। सात पेशियां मुआयने में दिखा देता है, लेकिन सौ-सौ पेशियां पड़ती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन दौड़ता है। क्या बड़े आदमी दौड़ते हैं। बड़े आदमियों के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन यह खेतिहर मजदूर न मालूम कितनी पेशियों पर दौड़ता है। वकील की फीस देने से लेकर पट्टा तसदीक करने तक उसका न मालूम कितना रूपया खर्च हो जाता है, फिर भी उसे वास्तविक रूप से कब्जा मिल नहीं पाता है। २–४ वर्ष के ऊपर मामले हो जाते हैं, उनका फैसला नहीं होता है और वह बेचारा गरीब परेशान रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि २-२, ३-३ और ५-५ वर्षों तक कलेक्शन तथा म्यूटेशन के मामले चलते रहते हैं इन तहसीलों में। इस बात को कौन नहीं जानता है। क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते हैं, वह भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी ओर नजर क्यों नहीं जाती है। आप इस ओर क्यों उदासीन हैं। किसी दिन बैठकर आप इस समस्या पर सोचें। अगर आप नौकरशाही पर भरोसा करेंगे और उन्हीं के बनाये हुए ड्राफ्ट पर दस्तखत कर देंगे तो गरीब किसान और मजदूर का भला होने वाला नहीं है। अगर वह ठीक प्रकार से कार्य करें और उससे किसान या गरीब का भला हो तो उसकी फिर अफसरियत कहां रह जायेगी। उसकी अफसरियत समाप्त हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि आप ड्राफ्ट को पूरा देखें और उस पर विचार करें तभी उस पर अपनी स्वीकृति दें। तभी इस मजदूर वर्ग का कल्याण होगा, नहीं तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर मंत्रियों को देखने की फुरसत नहीं है तो आप उसको पार्टी मीटिंग में डिसकस करें तो भी तमाम उसकी जो खामियां हैं वह सामने आ जायेंगी।

दूसरी बात है हदबरारी की। दाखिल खारिज हो जाता है लेकिन उस गरीब मजदूर को यह नहीं पता चलता है कि कौन सा उसका नम्बर है। किस पर कब्जा कर लें। कब्जा दिलाने के लिये लेखपाल जाता है और कह देता है वह देखो तुम्हारा नम्बर है। अब मान्यवर, बड़ा काश्तकार उसको छोड़ता नहीं है और अपने बगल के चकरोड और नाली के लिये छूटी जमीन को भी अपने खेत में मिला लेता है। जो जमीन उपलब्ध रहती है उसके टुकड़े कर के दे

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

दिए जाते हैं। लेकिन यह किसी को नहीं मालूम रहता है किसको कहां पर दिया गया है, कौन उत्तर में है और कौन दक्षिण में है यह किसी को नहीं मालूम रहता है। उसको यह नहीं मालूम रहता है कि उसका कौन सा नम्बर है। आप संशोधन ले आये हैं। आज बहुत बड़ा खतरा है मजदूर वर्ग को। अगर आपका इस ओर दिमाग साफ है तो उसके लिए कुछ दीजिए। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। हदबरारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह बड़ी काम्पलीकेटेड समस्या है। इस सम्बन्ध में जो दरख्वास्तें एस० डी० एम० को दी जाती हैं तो वह उन पर कार्यवाही के लिये तहसील भेजता है तो ९९ प्रतिशत दरख्वास्तें उसके पास वापस नहीं आती हैं और वर्षों गुजर जाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि यह बात सही है। मान्यवर, बड़े-बड़े आदमियों के यहां पर तहसीलदार और अन्य लोग जाकर ठहरते हैं और वे बहुत आसानी से डिमार्केशन करा लेते हैं लेकिन जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए यह क्या तरीका है कि रुपया दीजिए तब हक मिलेगा। सबके लिये मुक्त कीजिए। इसके लिये आपको १ महीने या २ महीने की अवधि निश्चित कीजिए हदबरारी का कानून खेतिहर मजदूर और छोटे मझौले काश्तकार के लिए भी बनाइये। बड़े-बड़े आदमी पूरे खेत पर कब्जा कर लेता है। तो आप इस कानून को बदलिये।

मैं माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने माल के मुकदमों के बारे में क्या सोचा? हर बार कानून लाने की क्या आवश्यकता है? १०-१० साल और १५-१५ साल से दफा १७६ के मुकदमें पड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों पड़े हुए हैं? आप सारा का सारा काम एस० डी० ओ० से करवाना चाहते हैं, जुडिशियल औफिसर्स के पद समाप्त कर दिए। उनको फुर्सत कहां है कि वे माल के सारे मुकदमें देखें, उनको अपनी कुर्सी पर बैठने तक की तो फुर्सत है नहीं, आपने उनके ऊपर सारे काम सौंप दिए हैं। मेरा एक सुझाव है कि इसके ऊपर हमारे माल मंत्री संजीदगी से सोचें तहसीलदार से लेकर एस० डी० ओ० तक एक जुडिशियल कैडर तैयार करें ताकि वे इन मुकदमों का निस्तारण कर सकें और उनके लिये आप एक लिमिट लगायें कि इतने महीनों के अन्दर बोर्ड तक के अधिकारी उनको निपटा सकेंगे। ऐसा संशोधन करके आप एक अमली जामा पहना सकेंगे, खाली यह नहीं कि कानून बन गया। आज इन मुकदमों में गांव वालों की किस प्रकार से लूट की जाती है कहा नहीं जा सकता है। २२९ में भी वही हाल है। २०-२० साल हो गये कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिर कानून बनेगा, पता नहीं कौन सा समय आयेगा जब उनमें निर्णय हो सकेगा?

अन्त में एक बात जैसी कि हमारे दल के नेता ने कही, निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रदेश में इस सम्बन्ध में दुहरी नीति अपनायी जा रही है। नैनीताल जिले की तराई क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा गया कि उन लोगों को रैग्युलेराइज कर दिया जायगा सीलिंग लाज के अन्दर इस सम्बन्ध में मैं एक संदर्भ दे दूं। मान्यवर, बजट सेशन के दौरान या कुछ पहले डाक्टर चरण सिंह, जो हमारे एक्साइज मिनिस्टर हैं, उनके स्वागत में सिखों ने एक आयोजन किया था जिसमें हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी मौजूद थे और आखबारों में हमने पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि उस एरिया में सिख लोग जो काबिज हैं, उनको बेदखल नहीं किया जायगा। यह समाचार संभवतः नेशनल हेराल्ड में छपा था। यह बहुत व्यापक चर्चा का बिषय रहा। मैं तो यह कहता हूं कि अगर ये दुहरी नीति अपनायेंगे तो प्रदेश में बहुत बड़ा संकट आयेगा और वह केवल खेतिहर मजदूरों तक ही न रह कर बल्कि राजनीतिक संकट भी आयेगा। छोटा काश्तकार भी सोचेगा कि अगर इस तरह से बड़े लोगों से कब्जा नहीं छुड़ा सकते हैं तो हमसे भी नहीं छुड़ा सकेंगे और इसका फायदा उनको मिलेगा। हर गांव में यह कर दिया वहां यह हो रहा है यहां यह हो रहा है इस तरह के अफवाहों का और जो आज प्रतिक्रियावादी ताकतें प्रदेश में चला रही हैं उनको बल मिलेगा अगर दोहरी नीति हुई।

मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं वह स्पष्ट कर दें कि अखबार में गलतफहमी में छप गया था या मुख्य मंत्री जी का भाषण ऐसा ही था । क्योंकि इससे बुरा असर पड़ने वाला है। इन शब्दों के साथ माल मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे विचारों में जो उनको उचित जान पड़े उन पर वह विचार कर लें और नये कानून में चाहे तो लागू करें ।

*श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है यह बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी इस सरकार का कदम है और उससे वास्तव में प्रदेश के गरीब निर्बल तथा कमजोर वर्गों को बहुत ही सहायता मिलेगी। जैसा कि लोक कल्याणकारी सरकार की मंशा है कि इस समाज के जो उपेक्षित पिछड़े कमजोर वर्ग हैं उनके लोगों को जमीन देकर कुछ राहत पहुंचाई जाय और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाय उसके लिए इस तरीके का प्रगतिशील विधेयक लाना बहुत ही आवश्यक था ।

आज हमारे प्रदेश में जमीन की यह समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है । चकबन्दी होने के बाद जो गांव सभा की जमीन छोड़ी गयी है वह आज गांव की समस्या न बनकर प्रदेश स्तर की विषम समस्या बन गयी है और गांव में चकबन्दी के बाद जमीनें छोड़ी गयी हैं उनको वहां के सरकश लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे में कर लिया है और आज तक भूमि के संबंध में जो भी कानून यहां पर बनाये गये उनमें यह व्यवस्था होते हुए भी कि जो अनधिकृत कब्जा करता है वह उस जमीन से बेदखल किया जा सकता है और उस जमीन का खेत-मजदूरों में बटवारा किया जायगा ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी आज तक न तो उन जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा सका है और न भूमिहीन खेत-मजदूरों में सही मानों में उसका वितरण ही किया जा सका है। लेकिन आज इस विधेयक के लाने के बाद यह स्थिति सामने आ गयी है कि अब जमीन से अतिक्रमण भी हटाया जा सकेगा और उसको सही ढंग से वितरित भी कराया जा सकता है ।

मान्यवर, इस विधेयक की धारा २४ में दिया गया है कि भूमि के आबंटन में प्राथमिकता का आधार क्या होगा किस तरीके से किस-किस श्रेणी के लोगों को जमीन दी जायगी। उसके खंड (ग) और (ज) में दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति। यही दिया गया है। मैं आपका ध्यान "विमुक्त जाति" की तरफ भी आकर्षित करना चहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक विमुक्त जाति भी पायी जाती है जो इन्हीं आदिम जाति और अनुसूचित जातियों की तरह है, जिनकी सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने बनायी है और भारत सरकार ने भी उस सूची को बनाया है, जिनको समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी वही सुविधाएं दी जाती हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाती हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति लिखा गया है उसके साथ उसमें विमुक्त जाति भी बढ़ायी जायं, तो उससे इस प्रदेश के अन्दर बसने वाली गरीब और अत्यन्त ही उपेक्षित तथा सदियों से सतायी गयी उत्पीड़ित विमुक्त जाति का भी कल्याण किया जा सकेगा। और उनको भी जमीन आवंटन से फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था समिति की बैठक में भी हमने इस पर विचार किया था और इस चीज को रखा था कि अनुसूचित जाति के साथ विमुक्त जाति भी जोड़ा जाय। मैं आशा करता था कि इस विधेयक में उसे जोड़ दिया जायगा लेकिन इसमें वह नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें विमुक्त जाति भी जोड़ दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीता राम निषाद]

आज जमीन से अतिक्रमण हटाने की समस्या पूरे प्रदेश के अन्दर व्याप्त है और जो २१ सूत्री कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जारी किया है उसमें यह भी एक मुख्य विषय रखा गया है। आज प्रदेश के अन्दर एक लहर फैली हुई है कि जमीनों से अतिक्रमण हटाया जायगा और जमीन बांटी जायगी। इससे गरीबों को बहुत आशा हो रही है। परन्तु इसके लिये हम सभी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कानपुर जिले में पतारा ब्लाक में गांव सभा की आबादी में अतिक्रमण हटा कर भूमिहीन खेत मजदूरों में जमीन बांटने का काम भूमि व्यवस्था समिति के माध्यम से वहां पर किया गया है। वहां मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्री जी भी गये थे। हम लोग भी गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय का वह क्षेत्र है, वह भी वहां मौजूद थे। वहां सब लोगों ने गांव सभा की आराजी से अनधिकृत कब्जा छोड़ दिया और जमीन का बंटवारा हो गया। हमें पता चला कि वहां के जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का और सभी लोगों का काफी सहयोग मिला है। उसी के कारण यह कामयाबी हो सकी है। केवल कानून बना देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है जब तक उसमें सबका पूरा सहयोग नहीं मिलेगा।

हम चाहते हैं कि धारा १२२ (बी) में जो व्यवस्था है कि गांव सभा की जो आराजी खतौनी में दर्ज है उसको शामिल कर लिया जाय और केवल एक महीने का समय दे दिया जाय। यदि किसी के पास स्वामित्व साबित करने का कोई सबूत है तो वह उसे प्रस्तुत कर दे और यदि वह सही में उसका स्वामी है तो ठीक है नहीं तो उसको उस सूची में शामिल कर लिया जाय और फिर उस पर किसी भी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत करने का अधिकार न हो।

अनधिकृत कब्जा हटाने के लिये पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। पुलिस विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। वह आई० जी० के जरिये सभी स्थानों में यह आदेश भिजवा दें कि हर थानेदार अपने थाने में जहां जमीन बांटने या अतिक्रमण हटाने का काम वहां वह निर्बल वर्ग के लोगों की पूरी सहायता करेगा। यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि कोई जमीन संबंधी बात थाने में ले कर जाता है और उसे थाने से मदद नहीं मिलती है तो उसे थानेदार के खिलाफ कार्यवाही हो। साथ ही, यदि जमीन सम्बन्धी मामले में कोई दारोगा अच्छा काम करता है तो उसको और उस थाने के अन्य कर्मचारियों को अच्छी एन्ट्री भी मिले। इस तरह के आदेश होने चाहिये कि जो अच्छा काम करेगा उसे पुरस्कृत किया जायेगा। इससे एक कम्पटीशन की भावना पैदा होगी, लोगों में काम करने का उत्साह बढ़ेगा और काम भी अच्छा होगा। मैंने अपने यहां पतारा ब्लाक में इस काम को शुरू करवाया। हमारे क्षेत्र में, दास साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, उसमें तहसील और ब्लाक के सभी कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित हुये, पुलिस के भी कर्मचारी आये, और डिप्टी कलेक्टर श्री राम आसरे साहब ने सभी से जमीन के बटवारे के सम्बध में एक अभियान चलाने का आग्रह किया। इसी तरह से हर जिले में, ब्लाक स्तर पर, मीटिंग करके, गांवों को बांट देना चाहिये और एक समय निर्धारित कर देना चाहिये कि उस समय के अन्दर काम पूरा हो। जो लोग अच्छा काम करें और समय के अन्दर करें उन्हें पुरस्कार दिया जाय। जब ऐसा करने के लिये सरकार की तरफ से आदेश होंगे तो यह काम सफल हो सकेगा। तभी सही तरीके से जमीन का बटवारा हो सकेगा। नाजायज कब्जों को हटाया जा सकेगा।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन यह भी हैकि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में पट्टा आदि दाखिल खारिज के संबंध में परिवर्तन किया जाय। भूमिहीनों को जो जमीन दी जाय और उसका जो पट्टा किया जाय उसकी जो प्रति तैयार की जायें एक प्रति उस भूमिहीन किसान को दी जाय तथा एक प्रति तहसीलदार के यहां भेजी जाय और उसी प्रति के आधार पर तहसीलदार स्वमोटो कागजात में दाखिल खारिज की कार्यवाही कर दे। किसान को उसके लिये तहसील के बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। यह मेरा निवेदन है।

चकबन्दी के सम्बन्ध में भी मेरा एक सुझाव है। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस गांव में जो जमीन भी गांव समाज की निकले वह सभी जमीन एक जगह पर हो। अलग-अलग जमीन होने से उस पर लोग आसानी से नाजायज कब्जा कर लिया करते हैं। जब एक जगह जमीन होगी तो लोग आसानी से कब्जा नहीं कर पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोण्डा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो हमारे राजस्व मंत्री ने भूमि विधि संशोधन विधेयक पेश किया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने इस विधेयक की खामियों के बारे में बहुत कुछ कहा है। यह विधेयक जो लाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य केवल यह है कि लोगों को जो नाजायज पट्टा दिया हुआ है उससे उनको बेदखल किया जाय और गरीबों को, गरीब भूमिहीनों को राहत दी जाय। लेकिन आज भी दिखलायी देते हैं कि आजादी के बाद से हमारे जितने भी भूमि सम्बन्धी कानून बने वे इतने कम्पलिकेटेड रहे कि उनमें रोजाना तब्दीली करनी पड़ती है। हमारे कई साथियों ने इस प्रकार के सुझाव दिये हैं कि कुछ ऐसी रूपरेखा बननी चाहिये कि यह जो रोजाना कम्पलिकेशन्स आ रहे हैं, इन कानूनों में उनको कैसे दूर किया जाय। इसके लिये हमको सोचना है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अपील करता हूं कि आज जो समस्या इस देश के सामने है, ८० प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती है और लाखों करोड़ों की संख्या में जो गरीब भूमिहीन किसान और मजदूर हैं, वे देश की हर समस्या को चुनौती दे रहे हैं। कि ओर आर्थिक समस्या की चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी ओर इस देश की राजनीतिक समस्या की ओर भी भूमिहीन किसान मजदूर लोग चुनौती दे रहे हैं। तो आज ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें कोई भी लेकुना न रहे, इसकी वजह से जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं, बड़े-बड़े सामन्त लोग हैं वे फायदा उठा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आज जो जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और हरिजनों को बांटने का प्राविधान सरकर ने किया है, उसमें मैं यह देख रहा हूं कि चाहे कागज पर जितने लोगों की जमीन जा रही हो लेकिन जो बड़े सामन्त लोग हैं वे अधिकारियों का मैनुपुलेशन करके अपनी जमीन को बचाये हुए हैं और आज भी उन जमीनों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वह जमीन देहातों में बिलकुल नहीं बंटी है, अगर मैं यह कहूं कि वह केवल कागज पर बटी है तो गलत न होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करा लें। हमारे कई साथियों ने कहा जितने लोग भी इस विधेयक पर बोले उन्होंने इस बात की जोरों से चर्चा की कि कानून केवल कागजों में न बने। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई दो पैसे के लिये असेंशियल कामोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत डी० आई० आर० में बन्द किया जा सकता है तो क्या कारण है कि वे बड़े-बड़े भूमिपति जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, आज जेल के बाहर क्यों हैं? यह सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और अधिकारी लोग भी जानते हैं कि कुछ करना चाहते हुए भी, ऐसा करने में बेसहारा है। इसी तरह से मैं जानता हूं कि अगर कोई मिट्टी के तेल का दाम दो पैसा ज्यादा ले ले तो उसे आप जेल में बन्द कर देते हैं, तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इस सदन के समस्त विधायकों को इस पर सोचना है। क्योंकि जो क्रान्ति इस देश में आ रही है या आने वाली है, वह हमें दिखलायी पड़ रही है। यह ज्यादा दिन हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो प्रभावशाली लोग देहातों में हैं वे गरीबों को बेदखल किये हुए हैं लेकिन जब किसी समय अधिकारी लोग देखने के लिये जाते हैं तो डर के मारे भूमिहीन लोग उनके सामने कह देते हैं कि जमीन हमारे पास है लेकिन दरअसल जमीन उनके पास नहीं है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज जो देहातों में गरीबों व हरिजनों की दशा है जो कि भूमिहीन हैं, जब कभी दौरे पर जाते हैं, जब कभी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी दशा देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी जो जिन्दगी है उसको अच्छा कहना मुश्किल है। आज जब कि हम समाजवाद लाने के लिये कटिबद्ध हैं, आज जब हमारे देश की प्रधान मंत्री २१सूत्रीय कार्यक्रम जो लागू करने जा रही हैं, उनमें से एक बहुत ब ी चीज यह भूमि विधि कानून है। मैं इस बात को मानता हूं कि भूमि का सब में सही बटवारा होना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय राजस्वमंत्री जी से अपील करता हूं कि भूमि सम्बन्धी कानून में आजादी के बाद से रोजना कम्पलिकेशन्स आते हैं और अगर हमारी सरकार इसको दूर करना चाहती है और लोगों को न्यायालयों में जाने से रोकना चाहती है और मौलिक अधिकारों को लागू करना चाहती है तो मैं यह भी मानता हूं कि देश में आर्थिक समानता लाने के लिये, देश में सामाजिक समानता लाने के लिये,भूखे नंगे लोगों को रोटी-रोजी देने के लिये जो इनको जमीन देने का प्राविधान किया गया है इसके लिये विधान सभा को ऐसा कानून बनाने का, प्रयास करना चाहिये जिससे ब ड़े-ब ड़े जो सामन्त लोग हैं, जो पैसे के बल पर, कानून के बल पर अपनी सारी सम्पत्ति को छिपाये हुए हैं, उनको भी निकाला जाय। मान्यवर, इसको भी रोका जाना चाहिये। ऐसे नियम बनाने चाहिये जिससे जो बड़े-बड़े राजे-महाराजे हैं, जो बड़े-बड़े भूमि पति हैं जिन्होंने अपनी जमीनों के लिये हाई कोर्ट में रिट किया है और स्टे करवाया है या छोटे-छोटे न्यायालयों में रिट करके स्टे करवाया है, वह जमीन में घपला न कर सकें। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सीलिंग से जमीन निकालने के बारे में अपीलें होती हैं। मैंने देखा है कि बहुत से केसेज में तमाम जमीनों को डिस्ट्रिक्ट जज ने दे दिया है। मान्यवर, आप ऐसा कानून बनायें जिसकी वजह से जो पैसों के बल पर गुनाह करते हैं, बचे रहते हैं वह न बच पायें। आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के ८० प्रतिशत लोग देहातों में रह रहे हैं। इसलिये वहां इन नियमों में तब्दीली लायी जाय। मैं राजस्व मन्त्री जी से अपील करूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि कानून ठीक से बनाना चाहिये जिससे उसका दुरुपयोग न हो।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी भीखा लाल जी ने कही है मैं उस बात को स्वीकार करता हूं कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं उन्हीं की सहायता पर हम जमीन बांटने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी माननीय भीखालाल जी ने कहा कि हमको जन-प्रतिनिधियों की समितियां बनानी चाहिये मैं इससे सहमत हूं। हमको ऐसी समितियां बनानी प ेंगी। जो ब्यूरोक्रेट पर पूरी नजर रखें कि जमीन बट रही है या नहीं बट रही है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जमीन बंटवाने का काम तो आप सरकारी कर्मचारियों से अवश्य लें लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जन-प्रतिनिधियों को अवश्य रखें और जनता के प्रतिनिधियों से भी अपनी रिपोर्ट मांगें कि किस जिले में कितनी जमीन बंटी। जनता के प्रतिनिधियों को रखें वह जाकर देखें कि जमीन बंटी है या नहीं, जमीन ईमानदारी से बांटी जा रही है या नहीं ?

मान्यवर, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने जमीनों के बारे में बड़ा घपला किया है। अगर इसकी इन्क्वायरी हो जाय तो इसका पता लगेगा। वैसे मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी करा भी रहे हैं। गोंडा जिले के बारे में एक रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। उसमें अधिकारियों के भी कुछ नाम भेजे गये हैं। चकबन्दी में कुछ लोगों ने भूमि पतियों और ब ड़े-बड़े काश्तकारों की मदद की है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कानून बने जिससे गरीबों को राहत मिल सके। आज इस इमरजंसी

के वक्त में गरीब हरिजन, खेतिहर मजदूर एक आशा के साथ बैठा है कि उसको जमीन मिलेगी। मैंने गोंडा जिले में कलेक्टर को लिख कर दिया कि कई मौजों में हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। उस पर बड़े-बड़े लोग जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं लेकिन आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने गांवों के नाम भी लिखकर दिये हैं। तो जो मान्यवर, यह विधेयक लाया गया है, विशेषकर गरीबों के लिये लाया गया है। हमें सख्त कानून बनाना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि जब डी० आई० आर० छोटे-छोटे लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े-बड़े सीरदार, भूमि–पतियों पर भी इसका इस्तेमाल होना चाहिये। आर्थिक समानता आये इसके लिये भूमि का बंटवारा जरूरी है। इन लोगों के साथ आप कड़ाई के साथ कार्यवाही करें, जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक भूमि वितरण की समस्या बनी रहेगी। भूमि वितरण तो होना ही है चाहे आज हो या कल हो। जनता देखेगी, यह भूमि-पति बचने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मैं राजस्व मंत्री जी ने जो भूमि विधि संशोधन विधेयक रखा है, उसका समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिये और उसको सोच समझ कर कार्यान्वित करना चाहिये।

धन्यवाद।

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सदन में इस बिल पर अपने बिचार व्यक्त किये। जहां तक इस बिल की मंशा है तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें जिनकी अधिक भूमि सीलिंग से है उसको निकालना और जिन्होंने नाजायज कब्जा करके अपने हाथ में ले लिया है उसको निकालना है और जो अब भी ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है, उसको हरिजनों और भूमिहीनों को, जिनकी इस बिल में सर्वोच्च प्रायरिटी रखी गयी है उनको किसी तरह वितरित करना है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सीलिंग का कानून बना और बहुत पहले से कानून चल रहा है और पट्टों की स्क्रूटनी संविद सरकार में हुई थी, लेकिन उतनी उस समय स्क्रूटनी नहीं हो पायी जितनी किहोनी चाहिये थी। उसका कारण यह कि अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और उन अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश नहीं की। वह अब भी अवैध कब्जे पड़े हुये हैं।

मैं यह भी मानता हूं कि जो माननीय सदस्य अपने-अपने जिलों के जमीन पर जो नाजायज तरीके से सीलिंग से जमीन बचाई गयी और वहां के अधिकारी उसको जिस रूप में अपने कर्त्तव्य के रूप से कार्य करना चाहिये नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से कानून की कमी नहीं है बल्कि कानून की कमी सीलिंग में पहले से हुई है क्योंकि शुरू में जब यह सीलिंग का ऐक्ट बना था तो वह हमारे नेताओं के भाषणों से मालूम हुआ कि सीलिंग ऐक्ट अब आ रहा है तो लागू करने के पहले ही वह अपनी उस जमीन को जो अधिक घोषित की जानी थी उन्होंने बचाव का कोई तरीका अख्तियार कर लिया। पहले जो सीलिंग थी उसमें माननीय सदस्य ने शायद उतने मुआयने नहीं किये होंगे जितने हमने मुआयने किये हैं। जितना सभी को नाजायज जमीन को बचाने का बहाना सीलिंग में मिल रहा है शायद उसकी कोई हद नहीं है। तरीके अलग-अलग हैं। मैं लखीमपुर खीरी गया तो कई लाख एकड़ जमीन एक जमींदार की सरप्लस हुई, उसको राज्य सरकार से मुआवजा दे दिया गया। लेकिन अधिकारियों ने उस जमीन का फैसला का अमल दरामद खतौनी में नहीं लिख दिया। तो नतीजा यह हुआ कि जब खतौनी रिकार्ड में उसका अमल दरामद नहीं हुआ कि सरकार की संपत्ति है तो जमींदार साहब ने सब जमीन बचा लिया। अब वे बेसिक खतौनी आये और बेसिक चकबन्दी आफिसर के वहां उन्होंने चक ले लिये। तो यह किसी व्यक्तिगत आफिसर की गलती है। इसलिये ऐसा नहीं है कि कानून में कोई रोक नहीं है कि कोई निराकरण न किया जाय। माननीय सदस्य श्री भीखा लाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

ने एक यह पढ़ा कि साहब विधेयक में ५ साल तक पट्टों की स्क्रूटनी होगी तो यह मंशा उसकी नहीं है। उसको अगर माननीय सदस्य ध्यान से पढ़ें तो उसकी मंशा यह है कि ५ साल तक हम बराबर स्क्रूटनी करते चले जायेंगे। पट्टे चाहे जितने पुराने हों। ५ साल की अवधि बढ़ायेंगे। १५ साल तक स्क्रूटनी हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। वैसे उसकी कोई अवधि नहीं है और ५ साल में स्क्रूटनी यदि नहीं कर सकते हैं तो १५–२० साल से क्या फायदा है।

हमने विधेयक में जो क्लाज रखा है उसमें यह है कि ५ साल तक बराबर इस बात की स्क्रूटनी चलती रहेगी कि नाजायज पट्टों को कैंसिल किया जाय और उसे हरिजनों में बांटा जाय। अब इसको कार्यरूप में परिणित करने में शीघ्रता लाने के लिये हमने जिलाधिकारियों को अधिकार दिये हैं कि अगर कोई पट्टा नाजायज मिलता है तो वह कैंसिल किया जाय और उस जमीन को हरिजनों में बांटा जाय। दाखिल खारिज के अधिकार कानूनगो को दिये हैं कि मौके पर ही खारिज करें और अमलदरामद करें। जहां तक यह बात की गयी है कि कानून सख्त हो तो कैपिटल पनिशमेंट अगर रखा जाय तो जजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कानून तो अपनी जगह सख्त है। ११५-सी के मुआवजे का जहां तक सवाल है तो जब से जमींदारी एबालीशन शुरू हुआ तब से न तो किसी तहसील में यह रिकार्ड थे कि कितने मुकदमे बेदखल हुए और न ही यह कि मुआवजे की कितनी राशि थी। लेकिन इस सरकार ने प्रत्येक तहसील में इस बात के आदेश भेज दिये कि फाइल निकाल कर लिस्ट बनावें और मुआवजा वसूल करें। इसका नतीजा यह हुआ कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि निघासन तहसील में २० लाख का मुआवजा निकला और भी कोई छोटी से छोटी ऐसी तहसील नहीं है जहां कि चार पांच लाख से कम का मुआवजा निकला हो। निघासन तहसील में एक किसान पर ४५ हजार का मुआबजा है। इसी तरह से दूसरों पर भी है। किसी पर ५० हजार, किसी पर ४५ हजार आता है। इस सारी राशि को यह सरकार वसूल कर रही है। जहां तक तराई का प्रश्न है तो मुख्य मंत्री जी का नाम लिया गया वह उसका जवाब देंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी धारा नहीं जो कि प्रगति की तरफ न हो।

इसमें यह भी संशोधन किया गया है कि अगर कलेक्टर बेदखल कर देगा तो रिवीजन इस बात पर निर्भर करेगा कि कमिश्नर सैटिसफाई हो और वह रिकमंड करे। भीखालाल जी ने कहा कि बेदखली और डिक्लेरेशन सूट के राइट में अगर कोई जाता है तो जिलाधीश एक महीने का टाइम देगा। लेकिन वह ऐसा तभी करेगा जब कि उसे फुल सैटिसफेक्शन हो जाय। हां अगर कोई अधिकारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करना चाहता और किसी को नाजायज फायदा देना चाहता है तो वह दूसरा प्रश्न है। लेकिन वह कानून की कमी का प्रश्न नहीं हो सकता। माता प्रसाद जी ने जो सुझाव दिया और मेरे पास जो संशोधन आया है उसमें यह है कि सवा तीन एकड़ से कम वाले जितने लोगों का नाजायज जमीन पर कब्जा है उनको डिक्लेयर कर दिया जाय सीरदार।

मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति कि नाजायज कब्जा कर ले और फिर बाद में रेगुलराइज कर दिया जायेगा, यह तो एक प्रकार से आफेंस को बढ़ावा देना है। भीखालाल जी ने कहा कि कोई सख्श हो—चाहे वह हरिजन हो या नान हरिजन या सवा ३ एकड़ से नीचे वाला काश्तकार हो. . . . . .

श्री भीखालाल—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो भूमिहीन और खेहितर मजदूर दो के बारे में कहा है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मेरा विचार यह है कि इस प्रकार से अगर हम करेंगे कि पहले कब्जा हो जाय और बाद में रेगुलराइज हो जाय, तो आफेंस की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। चाहे वह हरिजन हो या नान–हरिजन हमें उसे बेदखल करना है, देना तो बाद में हरिजन को ही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो और भी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, उनको कड़ाई के साथ सरकार पालन करेगी। मैं समझता हूं कि इस राज्य सरकार ने अपने वक्त में जितने पट्टे के सिलसिले में अधिकारियों ने और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने काम किया है और ऐक्शन लिया है, उतना पुरानी रिजीम में नहीं हुआ। चकबन्दी में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो ऐक्शन लिया गया है, उससे काम करने वालों की कमी हो गई है। हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं होगी जो नाजायज कब्जा करते हैं और न इस बात में ढील होगी कि सरकार जो नाजायज कब्जा करते हैं या काम करते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लेने में कन्जूसी करे। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इसका समर्थन करेगा और पास करेगा, पहले मुख्य मंत्री जी अपने विचार रखेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, साधारणतया मेरे सुयोग्य सहयोगी माननीय राजस्व मंत्री ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है, अतः यह उचित नहीं मालूम होता कि मैं उनके कार्य के सम्बन्ध में सदन में कुछ कहूं, लेकिन एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में वह लगे हुये हैं कि उसके सम्बन्ध में अगर कुछ न कहूं तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित कार्य होगा। मान्यवर, मैं आपसे कह सकता हूं, और इस सदन से कह सकता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने अपने इस विभाग में सरकारी नीति के पालन कराने के सम्बन्ध में जैसा कार्य किया है वह हमेशा-हमेशा के लिये उदाहरण रहेगा। न केवल सख्ती, न केवल निर्भीकता, न केवल डर और भय दिखाने की परवाह करते हुये, बल्कि सच पूछिये तो गहराई में छानबीन करके और ऐसी छानबीन करके कि अपने जीवन के अन्दर खतरे की परवाह न करते हुये उन्होंने इस काम को किया है। लखनऊ में सदर तहसील है जहां कई मुख्य मन्त्री आये और गये और कई राजस्व मन्त्री आये और गये, वहां हम स्वयं कहते हैं इस सदर तहसील में हमारे राजस्व मन्त्री ने, और मुझे इस बात का गर्व है कि वह मेरे मन्त्रि-मन्डल के सदस्य हैं और हमारे सहयोगी हैं, ३००० से ज्यादा की मिसिलें निकाली हैं जो कि १८-२० सालों से पुरानी हैं और जिन पर भूमि के सम्बन्ध में फैसले नहीं हुये हैं। सिर्फ उनके दाखिल खारिज के मामले अटके पड़े हुये हैं। सारी भूमि का मामला इतना पेचीदा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था जब, आपने पतारा में उपस्थित होकर कृतार्थ किया था, कि मनुष्य के जन्म के पहले भूमि नामक सम्पत्ति का जन्म हो गया था। और जब मनुष्य का जन्म हुआ तो पहले सम्पत्ति जिस रूप में उसके हाथ में आई उसका नाम है भूमि। इस रिश्ते का जो पहला रिश्ता है मनुष्य के साथ सम्पत्ति का उसको हम तोड़ नहीं सकते और यह सम्पत्तिजनक है तमाम विकारों की, उसकी मूल सृष्टिकर्ता भूमि है इसके साथ. मनुष्य का रिश्ता तोड़ना, समाज का रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल चीज है। इसी के कारण रूस में खूनी क्रान्ति का इतिहास लिखा गया। कुलक लोगों के कटे सरों का इतिहास लिखा गया। उस रूसी क्रान्ति को विफल करने के लिये इन लोगों ने भूखों मरने की स्थिति पैदा कर दी थी और स्टालिन को खूनी पंजे से काम करना पड़ा था। यह वहां की कहानी है। हम उसी काम को हृदय-परिवर्तन करके करने की कोशिश करते आ रहे हैं। मैंने बार-बार कहा कोई मुख्य मन्त्री हो जाय, कोई राजस्व मन्त्री हो जाय प्रश्न तो यह है कि जो कर्मचारी हैं उनका वर्गिक सम्बन्ध क्या है? सच तो यह है कि वह स्वयं उस वर्ग से आये हैं जो भू-स्वामी वर्ग है नहीं तो नौकरी नहीं पा सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जमींदारी उन्मूलन के बाद एक भूल यह हुई कि जमींदारों के जो कारिन्दे थे उनको राजस्व विभाग में नौकरी यह कह कर दी गयी कि जमींदारी समाप्त हो रही है, ये लोग बेकार हो जायेंगे चलो इनको कुछ काम दे दो। मंशा तो अच्छी थी और रूसी क्रान्ति की तरह भले ही हमने उनको निर्मूल नहीं किया, उनके सर नहीं काटे लेकिन अपने तन्त्र में भी हम उनको शामिल न करते। लेकिन वह तन्त्र के हिस्से बन गये। अब एक राजस्व मन्त्री हैं। कितने गांव हैं, गांव सभायें हैं, कितने खाते हैं, लेखपाल हैं, किस-किस जगह जायं, किस तरह का रूप बनावें और जादू करके बतला दें कि ये-ये गलतियां हैं? एक छोटा मोटा डंडा ले कर वह चलते हैं। मैं तो उसे भी नहीं लेता हूं। उस डंडे में जादू नहीं है। मैं कहता हूं कि उस डंडे में जादू हो तो ले कर चलो। वह आदेश ही कर सकते हैं, मुअत्तिल कर सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। निकाला भी उन्होंने और जिन्होंने गलत काम किये उनको मुअत्तिली के आदेश भी भेजे और १० साल पहले जिसने गलत काम किये हैं उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और सजा भी दे देंगे। लेकिन मर्ज कुछ इस तरह का है अगर आखिरी स्टेज का मरीज हो तो बड़े से बड़ा डाक्टर भी क्या करेगा। उसी तरह का कुछ यह जमीन का मामला भी है! भूमि चोर कौन हैं? इस स्थिति को दूर करना कोई साधारण काम नहीं है? माननीय सदस्यों काशीनाथ, दीपनारायण, भीखालाल तथा रामचन्द्र बक्श सिंह जी ने ठीक ही कहा कि बहुत सख्ती होनी चाहिये। उन्होंने यह भी ठीक कहा कि दो पैसे के मिट्टी के तेल बेचने वाले को बन्द किया जा सकता है लेकिन भूमि चोरों को क्यों बन्द नहीं किया जा सकता? भूमि चोरों को बन्द नहीं किया जा सकता और मिट्टी के तेल वालों को इसलिये बन्द कर दिया जाता है कि उसका शासन तन्त्र पर उतना असर नहीं है जितना अधिक भूमिचोरों का है।

यह मानना ही पड़ेगा और अगर इससे भाग कर कोई जाता है तो असत्य बोलना होगा। यह जो भूमि है, जो सबसे पवित्र चीज है वह सबसे पुरानी पापी चीज भी है। सम्पत्ति से सम्बन्ध तोड़ना ऐसे ही है जैसे शरीर से मन का सम्बन्ध तोड़ना और प्राण का निकल जाना व शरीर का रह जाना। मुझ से प्रश्न किया गया कि भूमि क्यों बांटते हो तो मैंने कहा कि आप दूब को ऊपर से खोदते हो या जड़ से ही खोदते हो, खर-पतवार को ऊपर से निकालते हो या जड़ से निकालते हो। सारी समस्या की जड़ भूमि है। इस समस्या को हम सुलझा सकें और एक नये समाज को जन्म दे सकें तो वह एक बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन यह काम साधारण स्थिति में नहीं होगा। लाठी, गोली या हृदय परिवर्तन से ही यह काम होगा। हमने हृदय परिवर्तन की स्ट्रेटेजी अपनायी है।

मान्यवर, निराशा इसलिये नहीं है कि आपके ही इलाके पतारा में जो दीप-शिखा जली है जो एक नये किस्म की नई रोशनी यहां से पैदा हुई है उसको सारे देश ने, केन्द्रीय सरकार ने और उसके मन्त्रियों ने स्वीकार किया है, उसने एक नया विश्वास हमें दिलाया है। आपने ठीक ही प्रश्न किया कि भूमि सुधार के लिये कमेटियां बनायी जायं। मैं आपसे कहता हूं कि भूमि सुधार के लिये कमेटियां बनाना कोई आसान काम है? प्रश्न यह है कि उसमें किसको रखें और किसको न रखें। माननीय भीखालाल जी स्वयं अपने दल के सदस्यों से पूछेंगे कि लखीमपुर-खीरी में भूमि सुधार कमेटियों ने यह कार्य शुरू कर दिया है। जनसंघ के बारे में नहीं कहता कि वह उसमें आयेगा या नहीं आयेगा। वह नहीं आयेगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उसमें न आवे। हमारी इच्छा भी है कि वह न आवे। ७ जिलों में वह कमेटी बना दी गई है। हमने वह काम पाटिल साहब को दिया है। हम उनके ऊपर कोई असर भी नहीं डाल रहे हैं चुनाव करने में। हम बिनोबा जी के पास गये थे। पाटिल जी भी बिनोबा जी के पास गये थे। बिनोबा जी ने तीन बातें मेरे नाम लिख दीं। एक कागज में लिख दिया कि बहुगुणा—रामहरि, रामहरि, रामहरि, अपना काम करते रहो। दूसरे यह लिखा कि जितनी जमीन है उसको बांट दो, आगे देखा

जायेगा और तीसरे यह अनुशासन पर्व है, कुछ बोलने को नहीं। वे लोग लौट कर आये हैं। हम कमेटियां जिलेवार बनायेंगे। कानपुर में भी बनी है और वहां के ६ ब्लाकों में काम शुरू हो गया है। लखीमपुर में यह कार्य काफी प्रगति पर है। नीचे से काम हो रहा है और अब वह बिखर रहा है। यह कमेटी सभी जिलों में बनायी जायेगी। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बिनोबा जी का वह वर्ग जो अशान्ति की नहीं, शान्ति की क्रान्ति कर रहा है उस को लेकर हम काम कर रहे हैं। इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को भी उसमें दिलचस्पी लेने का मौका मिलेगा। जब वह कमेटी हम बनावेंगे तो उसमें इस सदन के, कांग्रेस के, सी० पी० आई० के और आजाद लोग इस कार्य में हिस्सा लेंगे, और सहयोग देंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि हर आदमी इसके लिये लायक है या नहीं है, या किसी विशेष किस्म का दिल और दिमाग है जिस पर यह कमेटी बनती है लेकिन यह कोशिश वह जरूर करते हैं हमारे सी० पी० आई० के लोग भी उसमें रहें। और वही लोग करीब-करीब काम कर रहे हैं। जहां आपका दल न हो, वहां का सवाल है। लेकिन प्रदेशीय स्तर पर आपका दल है ही, डा० अहमद आपके मौजूद हैं। इस कमेटी की भी और कई बार मीटिंग करना है। वह अस्वस्थ हो गये हैं, लेकिन उनके लोगों के जरिये मुझे मालूम हुआ है कि वह एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि कैसे इसका ४-५ महीने में सारी जगह पर काम शुरू कर दें। मुझे आशा है कि उनका काम तेजी से बढ़ेगा।

एक बात यह उठायी गई है भूमि के बारे में, जिसका जवाब राजस्व मन्त्री जी ने बता दिया है कि उन पट्टों का क्या होगा। कानूनी हालत तो ऐसी है कि अधिकतम जोत सीमा के सिलसिले में कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में १३८९ रिटें लगी हुई हैं और यह रिटें मामूली-मामूली लोगों की नहीं हैं। मोटे भाई जितने हैं, सब उनकी रिटें हैं। किसी पतले भाई की नहीं है। सभी रिट्स में गये हैं और उनके सिलसिले में मैंने विशेषकर एक अफसर को वहां बैठा दिया है। जिसने काफी काम कर लिये हैं और मैंने कोर्ट से भी निवेदन किया है कि हलफनामे और काउन्टर हलफनामे जितने हो गये हैं, उन सबके बारे में एक साथ बैठकर निर्णय ले लिये जायं। हाई कोर्ट से यह भी निवेदन है कि इन लोगों ने जिसके आधार पर स्टे ले लिया है यानी आर्टिकल १४ के आधार पर, अब वह नहीं है, नये युग का उदय हो गया है अत: वह उनको रद्द करें और हम आगे की कार्यवाही करें। लेकिन हाई कोर्ट क्या करेगा, मैं नहीं जानता और इससे ज्यादा कह भी क्या सकता हूं। मौका अच्छा है समाज को अच्छी दिशा में समग्र रूप के बदलना चाहता हूं, एमरजेंसी का फायदा उठाना चाहता हूं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिये नहीं, समाज को मजबूत और पुष्ट बनाने के लिये यह सब करना चाहता हूं। अफसर उसमें लगा दिये हैं, वहां लोग बैठ गये हैं, एडवोकेट जनरल से पैरवी करने के लिये कहा है। हमें आशा है और उम्मीद है कि कठिनाइयों को पार कर हम उसके ऊपर निकल सकेंगे।

हरिजनों को मकान की जमीन दी। अकेले मुजफ्फरनगर में रिटें लगी हुई हैं। वहां भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उसमें भी हमने यह उनसे प्रार्थना की कि आर्टिकल १४ का अब आधार निकल गया, अब तो इसको खारिज कर दीजिये। इनके बारे में सदन रहते निर्णय हो गया तो आप लोगों को सूचित कर दूंगा, नहीं तो आप लोग अखबारों में सब पढ़ लीजियेगा।

एक बात यह कही गई है कि जमीनें कभी बटेंगी ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। यह भी कहा गया कि ऐसा ही अब तक हुआ है। लेकिन फैसला हमारा है कि जैसा था वैसा नहीं रहेगा, जैसा होना चाहिये वह हो जाये। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा करने में न हमारे पैर डगमगायेंगे, न कमजोर होंगे, न हम डरेंगे, न हम रुकेंगे बल्कि भूमि सुधार की इंदिरा गांधी की लकीर पर हम बढ़ते चलेंगे। कांग्रेस प्रेसीडेंट ने पहले हमारी खाना-तलाशी शुरू कर दी, हमें १५ अगस्त तक सूचना भेजनी है कि कितनी हमारे पास जमीन है। हमने सत्य सूचना दी है या असत्य, उसको जांचने के लिये उन्होंने एक सेल बना लिया है। कांग्रेस

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

तो अपने अन्दर और बाहर दोनों तरफ खाना-तलाशी ले रही है। हमें आशा है कि इस काम में हमें सफलता प्राप्त होगी। पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने एक जिले के बारे में एक चुनाव के समय में कहा था कि सारे प्रदेश में जमींदारी समाप्त हो गई, लेकिन एक जिले में है। पंडित नेहरू की वह वाणी हमारे दिलों में सुई की तरह नहीं तीर की तरह लगी हुई है। जिस दिन उस जिले में जमींदारों की समाप्ति हो जायेगी, हम समझेंगे कि हमने अपने मुख्य मन्त्रित्व काल का सारा कार्य समाप्त कर लिया है। अब इस काम में लगे हुये हैं, अधिकारियों को लगाये हुये हैं। जो यह पीड़ा है हमको अकेले नहीं है। इस पीड़ा में सहयोग की भावना चारों तरफ हो हम को चारों तरफ से शक्ति और रास्ता मिले तो कुछ हो सकता है। सीलिंग की जमीन के सिलसिले में हमने एक आर्डिनेन्स राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के लिये भेज रखा है। आ जाती तो विधान सभा में विधेयक बना कर ले आते। हमने उसमें प्राविधान किया है कि सीलिंग की नोटिस देने के बाद जितने साल तक सीलिंग से ऊपर जमीन उसके पास रहे, मान लें, कि दस एकड़ जमीन छः साल तक लिटिगेशन की वजह से उसके पास रही तो छः साल की पैदावार का मुआविजा हमारी जमीन ली, इसका सरकार ले ले। लेकिन प्रश्न यह है कि इन सब बातों के करने में नियम को हम कस रहे हैं, दिल के कसने में आप मदद दे दें क्योंकि जनता का हृदय अकेले नियम से कस नहीं सकता है। इसके लिये हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है सारे प्रदेश में। मैं दोहरा रहा हूं कि पतारा में हम ब्लाक प्रमुखों को ला रहे हैं। गांव सभाओं का ९० फीसदी हमारा काम हो जाता है। जो अधिकार प्राप्त हैं अगर उनका ठीक प्रयोग करें, तो गांव सभा की जमीन को बांटने में सारी बातों में पूरा अमलदरामद हो सकता है।

एक प्रश्न मान्यवर, माननीय रामचन्द्र बक्श सिंह ने उठाया कि तराई के सिख लोगों का क्या होगा? अब मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमको उस के परिपेक्ष में देखना होगा। यह कहां से आये। यह तराई भूमि के साथ-साथ जगल कटने के साथ-साथ उसके अन्दर से पदा हुये या कहां से आये हैं? यह देश के बंटवारे के कारण, यह देश के बंटवारे की देन है कि उत्तर प्रदेश में आकर बैठ गये। पन्त जी महाराज मुख्य मन्त्री थे मुझसे पहले आज तक न जाने कितने मुख्य मन्त्री हुये। १९६७ से लेकर १९७३ तक जब मैं आया, ७ मुख्य मन्त्री हुये। उसके पहले के नाम गिन लीजये। इतने मुख्य मन्त्री थे। पी० ए० सी० भी लगी। कोशिश भी हुई। अन्तर राज्य जैसा झगड़ा भी बनने लगा। जवाहरलाल जी के जमाने में प्रश्न उठा। आज पंजाब सरकार की तरफ से प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है लेकिन हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। हम साफ कह दें। हमारा कहना है गलत कब्ज को हटाने के लिये मुकदमें चलायें, माननीय देवबहादुर, नैनीताल जिले के विधायक हैं, जानते हैं, लाखों रुपये हम वकीलों को दे चुके, एक न हटा, एक इंच कब्जा हटा नहीं पाये। बीस पच्चीस साल में जो स्थिति रही, उसको समाप्त करके सब सिक्खों को बांध कर गंगा जी में डाल देंगे, इसका मैं न वादा कर सकता हूं, न करना वाजिब है। हां एक बात जरूर है, असाधारण स्थिति में उत्तर प्रदेश में आये भारत के बंटवारे के बाद इसलिये हमने उनके साथ यह किया है कि पैसा ले कर मुफ्त में नहीं, उस सीमा के अन्दर जो सीमा बनी हुई है कि इतने से ज्यादा अधिकतम जमीन नहीं होगी, उससे ज्यादा जमीन हो तो कहेंगे कि इतनी ज्यादा जमीन है उसको छोड़ दो। पर शर्त यह है कि अगर बोक्सा, थारू की जमीन को हटा कर अगर कोई बैठा है तो मूल निवासी को हटा कर नहीं बैठने देंगे। और जब्र नहीं चलने देंगे। मैं नहीं मानता कि यह राजनीतिक निर्णय है। दूसरी स्थिति का एक निर्णय है जिसके साथ आप पार्टी का निर्णय नही जोड़ सकते। मान्यवर, आज एक और प्रश्न है हमारे सामने। वन विभाग के पास बहुत सारी जमीन है। उस जमीन का क्या करें। बन कम है और माननीय सदस्य कहते हैं कि यह जमीन हरिजनों को दे दी जाये और उनमें बांट दी जाये। फारेस्ट तो हमारे यहां बहुत कम हो गये हैं। माननीय नेता सी० पी० आई०

यहां पर बैठे हुए हैं। हमारा उनका समझौता हुआ है बांदा और इलाहाबाद के क्षेत्र में इस तरह के पेड़ लगाने का जो कुछ वर्षों तक खेती में असुविधा नहीं करते हैं। जहां कहीं पर वन लगाना हो तो वे वन लगायेंगे और जहां पर यह कार्य पूरा हो गया तो उनको दूसरी जगह पर भेज देंगे। इस बीच में हम उनके लिये कोई रोजगार या किसी और योजना जैसे पशुपालन आदि की है, का इन्तजाम करेंगे जिससे कि वे अन्त में कहीं पर बस जायें और इस तरह से घुमक्कड़ न रह जायें।

दूसरी भूमि ऐसी है जिस पर शहर बस गये हैं और वहां पर मकान बन गये हैं, खलिहान बन गये हैं और सड़कें बन गयी हैं। वन विभाग कहता है कि वह हमारी जमीन है। हमारी कैबिनेट की एक समिति यह देख रही है कि वास्तव में वह हमारी चीज है अथवा नहीं। तो यह भी स्थिति है, जिसको देखना है और सम्भालना है। मैं माननीय बालकृष्ण सनवाल के चुनाव क्षेत्र में गया था तो सबसे पहले ऐसे गांव में पहुंचा जो गांव करीब-करीब २०० साल से बसा हुआ था, और हमारा वन विभाग ऐसा जबरदस्त है कि वह कह रहा है कि हमारा है। आज भी कह रहा है कि हमारा है। ऐसा बहादुर है। कई पीढ़ियां बीत गयीं। पर वह उनका है। राजस्व का इसमें कसूर नहीं है, मुख्य मंत्री का कसूर है। यह हमारे प्रशासन की त्रुटियां हैं, जिनको मैं आप के सामने स्वयं मान रहा हूं। इसीलिये कह रहा हूं, इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे खुश हो जायें। यह है हमारी सारी स्थिति इसको कह रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो सके। मेरी कोई चीज छिपाने की तबियत नहीं है। सदन उस दृष्टिकोण से इस संशोधन को देखेगा और सर्व-सम्मति से इसको स्वीकार करेगा।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सीलिंग में जो जमीन निकल रही है उसको वह अपनी च्वाइस के मुताबिक दे सकता है, लेकिन जिले के अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप इस सम्बन्ध में हिदायत जारी कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अपनी सरप्लस भूमि को अपनी च्वाइस से डिक्लेयर कर सकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर कोई केस हो तो उसको स्पेसिफिकली देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ५

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खण्ड (२५) में, शब्द "गजट में प्रकाशित" के स्थान पर शब्द "नियत रीति से प्रकाशित" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० की धारा ३ का संशोधन

धारा ११७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ११७ में, जहां कहीं भी शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा", रख दिये जायं।

धारा ११७-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ११७-क में, उपधारा (१) में,—

(क) शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा' के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा", रख दिये जाएं ;

(ख) शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट" रख दिये जायें।

धारा ११९ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ११९ में, शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

धारा १२२-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२२-ख में, उपधारा (२), (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात् :—

"(२) जहां भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानिक अधिकारिकी क्षति पहुंचाये जाने अथवा दुर्विनियोजन किये जाने के दिनांक से या, यथास्थिति, दोषपूर्ण अध्यासन के दिनांक से दो मास के भीतर, उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही न करे, तो कलेक्टर उपधारा (३) से (४-घ) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(३) जहां कलेक्टर की यह राय हो कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, अथवा उसका दुर्विनियोजन किया गया है, या उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई भूमि, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, किसी व्यक्ति के अध्यासन में है वहां वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि क्षति अथवा दुर्विनियोजन के लिये ऐसा प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, उससे क्यों न वसूल किया जाय, या, यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय, नोटिस जारी करेगा।

(४) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (३) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये कलेक्टर तदर्थ अनुमति दे, कारण न बतायें अथवा यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय, तो कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो और यह भी निदेश दे सकता है कि, यथास्थिति, सम्पत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये अथवा दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय।

(४-क) यदि कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन नोटिस में अभिदिष्ट क्षति पहुंचाने अथवा दुर्विनियोजन करने का दोषी नहीं है या यथास्थिति, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि का अध्यासी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा।

(४-ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में जांच के दौरान उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी व्यक्ति ने ऐसी भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को स्वत्व सम्बन्धी कोई सद्भाविक प्रश्न उठना प्रतीत होता है, तो कलेक्टर आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय में धारा २२९-ख के अधीन अपने हक के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद दायर करे, और इस बीच में अग्रेतर कार्यवाहियां रोक देगा।

(४-ग) उपधारा (४-ख) में अभिदिष्ट वाद, यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के होते हुये भी, दायर किया जा सकेगा।

(४-घ) जहां उपधारा (४-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर ऐसा वाद दायर नहीं करता है अथवा जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है, वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, या करा सकता है जो आवश्यक हो और जहां ऐसा व्यक्ति पूर्णत: या अंशत: ऐसे वादे में सफल हो जाता है वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रेतर कार्यवाहियां छोड़ देगा या करेगा।

(४-ङ) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड ६ के उपखंड (३) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह " : " रख दिया जाय तथा निम्न परन्तुक बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसकी भूमिधरी, सीरदारी या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि तथा उसके द्वारा अभिदिष्ट भूमि को मिलाकर १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) तक ही हो, तो कलेक्टर नई धारा १९८ के अन्तर्गत उन्हें आबंटित कर सकता है।"

इसके द्वारा मैंने यह मांग की है कि गांव समाज की बहुत सी भूमि को बहुत से लोग दबाये रहते हैं। ऐसा होता है, मान्यवर, कि जो बड़े किसान होते हैं, वे तो बच जाते हैं लेकिन छोटे-छोटे किसान जो होते हैं उन पर धारा ११५ (सी) के अन्तर्गत मुकदमें चलते हैं, उनके ऊपर जुर्माने होते हैं, उनको परेशान किया जाता है। अगर कोई ऐसा छोटा किसान जिसकी कुल मिलाकर चाहे ग्राम समाज की जमीन हो या अपनी पहले की जमीन हो अगर वह १.२६ हैक्टेयर तक की जमीन है तो उसको नोटिस न दिया जाय और वह जमीन का इन्तजाम उसके साथ कर दिया जाय। इसी आशय का संशोधन माननीय भीखालाल जी ने दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि तराई के लोगों के लिये यह इन्तजाम किया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने नाजायज जमीन पर जो कब्जे कर रखे हैं,

[श्री माता प्रसाद]

अगर वे सीमा के अन्दर हों तो उनसे पैसे लेकर उस जमीन का इन्तजाम उनके साथ सरकार करने जा रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उसी प्रकार से ऐसे किसान जिसकी कुल जमीन चाहे वह ग्राम समाज की हो या अपनी पहले की जमीन हो, सीरदारी, भूमिधरी, या असामी की जमीन हो अगर ३.१२५ एकड़ तक ही जमीन आती हो तो उससे पैसा लेकर उतनी जमीन का इन्तजाम कर दिया जाय क्योंकि छोटे जो किसान हैं कहीं पर ग्राम समाज की भूमि पर उसके मकान बने हुये हैं, कहीं पर उसकी अगवारी, पिछवारी, कहीं पर दरवाजे, कहीं पर उपले पाथने की जमीन है या बैल बांधने की नाद बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन पर जुर्माना होगा, उन्हें बेदखल किया जायगा। इसी आशय से मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है। यदि सरकार इससे पूर्णतः सहमत न हो तो इसको संशोधित करके विचार कर सकती है।

कभी-कभी अच्छे-अच्छे सुझाव दिये जाते हैं लेकिन यह सरकार उसे नहीं मानती। इसी प्रकार से एक बार एक संशोधन आया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास जो जमीन है वे उसका बैनामा नहीं कर सकते। इसमें मैंने एक संशोधन रखा था। उस समय तो सरकार नहीं मानी लेकिन बाद में उस संशोधन को सरकार ने मान लिया। यही नहीं और भी ऐसी बातें होती हैं, उस समय तो अधिकारी हठ में नहीं मानते हैं लेकिन बाद में रजामन्द हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि, सरकार की मंशा यह जरूर है, जो छोटे किसान हैं, जिनकी अगवारे पिछवारे, दरवाजे और उपले आदि पाथने की जमीन होती है, उससे कुछ पैसे लेकर अगर वह ३.१२६ एकड़ तक की सीमा में है तो उनके साथ इन्तजाम कर दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है अगर मान लिया जाय तो उसका अर्थ यह होगा, जो एक तय शुदा बात है, कि हरिजनों की जमीन का बंटवारे में कमी हो जायगी। जो सवर्ण काश्तकार हैं या हरिजन काश्तकार हैं अगर ३.१२५ एकड़ पर उनका अवैध कब्जा है और हम उनसे लगान वगैरह लेकर मान्यता दे दें तो उसका नतीजा यह होगा कि जो जमीन हरिजनों को मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिलेगी और जो प्रबल और सबल लोग हैं वह एक दम से कब्जा करेंगे कि हमारा तो ४ साल का कब्जा है। तो जब जमीन हरिजनों को बंटनी है तो ११५ (सी) का अगर फैसला है कोर्ट का तो गवर्नमेंट माफ नहीं कर सकती। इसलिये इसको मैं स्वीकार कर नहीं सकता।

श्री माता प्रसाद--

मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (३-क) जोड़ दिया जाय--

"(३-क) यदि उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि किसी भूमिहीन खेत मजदूर अथवा हरिजन के अध्यासन में है ओर ऐसी भूमि का क्षेत्रफल ३.१२५ एकड़ से अधिक नहीं है तो कलेक्टर ऐसे व्यक्तियों को उपखंड (३) के अधीन नोटिस जारी नहीं करेगा। बल्कि उसको भूमि पर सीरदारी अधिकार दे देगा और यदि इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व कोई नोटिस जारी की गयी हो अथवा प्रतिकर अदा करने के आदेश पारित कर दिये गये हों तो वह निरस्त समझे जावेंगे।"

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के सम्बन्ध में। माननीय माल मन्त्री जी ने माननीय माता प्रसाद के संशोधन में जो कठिनाई महसूस की वह मेरे संशोधन में नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसा माननीय माता प्रसाद के संशोधन में था कि कोई व्यक्ति अगर ३ १/८ एकड़ तक काबिज हो तो उसको नोटिस न दी जाय तो उसमें सवर्ण भी आ जायगा और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम जमीन तो हरिजनों को देना चाहते हैं, तो मेरे संशोधन में केवल भूमिहीन हरिजन खेत मजदूर ही है—तो वह कठिनाई भी उनकी दूर हो गयी जिससे वह संशोधन स्वीकार नहीं कर सके थे।

दूसरी बात जो माननीय माल मन्त्री जी ने कही कि यह गलत परम्परा होगी अगर कोई अवैधानिक कब्जा कर ले और उनको रैगुलराइज कर दिया जाय। इस सिद्धान्त के कायल हम भी है, लेकिन क्या माननीय माल मंत्री का इरादा यह है कि जो दो-चार ६-१० लाख एकड़ जमीन निकलने वाली है उसका बंटवारा १०-२० साल में होगा? वह तो साल-६ महीने में इस समस्या को हल करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो कब्जे हों उन्हे वैध डिक्लेयर कर दीजिये। जब जमीन ही बाकी नहीं रखेंगे तो अवैधानिक कब्जों की परम्परा कब पड़ेगी। परम्परा तो तब पड़ेगी जब जमीन खाली रखें। अगर बंटवा देंगे तो परम्परा नहीं पड़ेगी, इसलिये उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

नैनीताल के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने कहा—मैं मानता हूं कि जो आपने कहा कि कोई राजनीतिक परिस्थितियां नहीं थीं जिनके अनुकूल मुख्य मन्त्री जी ने वहां के सिक्ख निवासियों को सीलिंग की सीमा तक जमीन देने का फैसला किया है, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर वह देना चाहते हैं। मैं इसको सही मानता हूं। लेकिन ये ऐतिहासिक परिस्थितियां जो १९४७ के बाद पैदा हुईं और जिनकी बिना पर वह भूमिहीन हो गये और मजबूरन उस जमीन पर आ गये जिनके ऊपर आप उनको अधिकार देना चाहते हैं, तो जो सदियों से परिस्थितियां हैं हरिजनों के सामने, कई सदियों की ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं वह उन २७ सालों से बहुत पुरानी हैं। अगर वह जमीन के किसी टुकड़े पर काबिज हो गये हैं तो क्या दिक्कत है, उनको भी रेगुलराइज करें, उनको सीरदारी अधिकार देने में कौन सी कठिनाई है। २७ साल की ऐतिहासिक परिस्थिति को तो आप मानते हैं और जो सदियों की ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनको नहीं मानते हैं। केवल ३ १/८ एकड़ तक रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं और इधर १८ और २७ एकड़ तक रेगुलराइज करना चाहते हैं। यह बात मेरी समझ में आयी नहीं। अभी तक जब कभी इस प्रश्न को ले कर मैंने मुख्य मन्त्री जी से और माल मन्त्री जी से कहा तो मुझे यही कहा गया कि मैंने जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि ऐसे लोग बेदखल न किये जायं। तो क्या मैं समझूं कि जो मुझसे कहा गया वह सत्य था या मुझको भुलावा देने के लिये कहा गया था। तो यह इतना मासूम संशोधन है जिसको मानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि ४-६ महीने में आप जमीनें बटवा देंगे फिर अवैधानिक कब्जा करने की नौबत ही नहीं आयेगी। मैं समझता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के कब्जे को, अगर वह ३ १/८ एकड़ तक काबिज है, रैगुलराइज कर दिया जाय, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन दिया है कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर और हरिजन और आदिवासी अगर इन्होंने सवा तीन एकड़ तक का कोई अवैध कब्जा कर रखा है उसको नोटिस न दिया जाय और जो पेन्डिंग हैं उनको वापस ले लिया जाय लेकिन जिनका फसला हो गया है वह नहीं आयेंगी। तो इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं कि जो हरिजन या आदिवासी अवैध रूप से काबिज हैं उनको नोटिस न दिया जाय, जो पेन्डिंग हैं वह डिस्चार्ज कर दिये जायं। श्रीमन्, यह सरकार ऐसी नहीं है कि अच्छी चीज को भी न माने। मै चाहता हूं कि माननीय भीखालाल जी बाकी संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा होगा कि आज इस खंड को स्थगित कर दें और संशोधित रूप में इसे प्रस्तुत कर दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

तो फिर कल के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, केवल खंड को स्थगित कर दिया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

भीखा लाल जी के अमेंडमेंट में कई बातें हैं जिसका एक हिस्सा नहीं माना जा रहा है और बाकी माना जा रहा है। इसलिये आपकी राय ठीक है कि हम इसको ठीक से संशोधित करके अपनी तरफ से ही दे दें और भीखालाल जी अपना वापस मान लें और हम इस पर विचार स्थगित कर दें। खंड को पास न करें इसके माने हैं कि इसके आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप अब आज इस पर बहस कृपा करके रोक दें, कल सुबह ले लें और आधा घंटे में पास हो जाय। आज अब बाढ़ पर बहस जारी हो जाय क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई क्षत्रों में बाढ़ है और उस सम्बन्ध में माननीय सदन को सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। तो यह कल के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

एक बात और कहना चाहता हूं सदन की ओर से स्पष्टीकरण के लिये। एक अखबार ने यह लिखा कि हम सिर्फ ७५ मिनट बैठे और असेम्बली खत्म हो गयी। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबार वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि जब साधारण असेम्बली होती थी तो ११ बजे से ३ बजे तक कुछ काम कभी होता ही नहीं था। तो कितने घंटे असेम्बली बैठती थी तब। ११ बजे से ३ बजे तक जो होना चाहिये था वह नहीं होता था और जो नहीं होना चाहिये था वह होता था। इसलिये अगर आज देखा जाय तो यह भी एक रेकार्ड होगा कि इतना लम्बा बिजनेस इस असेम्बली ने सार्वजनिक हित में एक-एक मिनट इस्तेमाल करके किया है। मुझे उम्मीद है कि अखबार वाले यह भी समझेंगे और यह लिखने की कृपा करेंगे कि इस सदन की कार्यवाही किस तरह से चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह कल के लिये स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, जो लोग हस्ताक्षर करके और सदन त्याग करके चले जाते हैं और यहां हिस्सा नहीं लेते इनके लिये तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्भवत: बाढ़ के सम्बन्ध में तो आपका वक्तव्य हो चुका है? अब जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

पहले माननीय राजस्व मन्त्री जी को सुन लें उनका वक्तव्य हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पहले हो चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम यह तो जान लें कि कहां-कहां बाढ़ है। उसे पढ़वा दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं फिर पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो वक्तव्य एक बार यहां सदन में पढ़ा जा चुका है वह दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सरकार का विचार तो जान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

दोबारा पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

एक सदस्य—

आपकी रूलिंग ठीक है, मगर इस विषय में क्या स्थिति है यह तो हम जान लें। सरकार क्या करने जा रही है, यह तो मालूम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वह बाद को जान लीजियेगा।

श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बलिया में घाघरा और राप्ती में जो पिछले सप्ताह बाढ़ आयी उसकी ओर दिलाना चाहता हूं यह बाढ़ यदि कागजों में, इन्जीनियर्स और रेवेन्यू विभाग के रिकार्ड्स में देखी जाये तो मीडियम बाढ़ ही मिलेगी, मगर मेरे हिसाब से यह बाढ़ बहुत ही भयंकर आयी है। पहले १५ अगस्त, या ३० अगस्त के बीच बाढ़ आती थी, इस बार यह बाढ़ जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आ गयी। ३/४ खेत बोये जा चुके थे कुछ खेतों में बीज जम भी आया था, बाढ़ के कारण सारी बोयी हुई फसल नष्ट हो गयी। बन्धा और दरिया के बीच का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जो नष्ट न हुआ हो या जहां बाढ़ का पानी न गया हो। हजारों परिवार इस बाढ़ के कारण बेघरबार हो गये। बन्धे के अन्दर जितनी पूरी बरसात में बारिश होती थी उसकी १/२ अब तक हो चुकी है। पहले से कभी हम लोग इसके लिये तैयार नहीं थे इसका आभास भी नहीं था इसलिये यकीनन जो भी फसल बोयी गयी वह नष्ट हो गयी और बहुत बड़ा उससे नुकसान हुआ है।

एक और भयंकरता की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मुझे खेद है कि बजट में इसके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है। कटाव को रोकने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। बलिया में तुर्तीपार से बकुलाहा तक का पूरा किनारा जहां घाघरा और गंगा मिली है पूरा जिला दक्षिण तरफ घाघरा के कटाव

[श्री निर्भय नारायन सिंह]

से कट रहा है। इस तरह से गंगा की बांयीं तरफ का किनारा कट रहा है। हो सकता है कि आगामी २५ साल के अन्दर जो आज संगम है घाघरा और गंगा का वह २५ मील और पश्चिम की तरफ हो जाय और इस तरह से बड़े-बड़े कस्बे और गांव किनारे के कट जायेंगे। अगर इन कटावों को रोकने के लिये चट-पट नाप जोख करके, लेखाजोखा करके कोई समुचित प्रबन्ध न किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी और हम यह महसूस करेंगे कि हम लोगों ने लाखों-लाखों की आबादी के लिये, बड़े-बड़े नगरों को कटान से रोकने के लिये कोई उचित प्रबन्ध समय से नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बहुत ही गम्भीर और आवश्यक समझते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाढ़ के हटने के बाद पूरे जिले का सर्वे कराया जाना चाहिये और इसका रेकार्ड तैयार कराया जाय कि पिछले २५ वर्ष में जिले की कितनी भूमि कटी और अगले २५ वर्षों में कितनी भूमि कटने का अन्दाजा है। इसका लेखा-जोखा तैयार कर उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाय कि इसके लिये वहां हमें क्या वित्तीय सहायता मिल सकती है।

आज दोनों किनारों के कटान की यह स्थिति है कि कम से कम ४०-५० हरिजन और पिछड़ी जाति के परिवारों की झोपड़ियां गिर गयी हैं। वहां ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध है और एक जगह तो ऐसी है जहां हरिजनों के लिये घर भी बने हुये हैं, वह भी उपलब्ध है। जिस गांव के हरिजनों के लिये वे घर बने हुये हैं उस गांव के हरिजन वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैंने तो इसके लिये सुझाव भी दिया था कि तत्काल उनको वहां बसा दिया जाय और खाली जमीन जो वहां पड़ी है उनको दे दी जाय लेकिन लोकल आदमियों से सम्बन्ध होने के कारण वे दूर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरा तो सुझाव यह है कि उन गरीब किसान मजदूरों को गांव समाज की जमीन पर बसा दिया जाय और बाढ़ से बचाव के लिये स्थायी प्रबन्ध कर दिया जाय। क्योंकि हर साल हम लोग जो नदी के किनारे के रहने वाले हैं खड़े होकर बाढ़ सम्बन्धी बात कहें तो यह न हमारे लिये शोभा की बात है और न शासन के लिये ही शोभा की बात है। मेरा निवेदन है कि बाढ़ नियन्त्रण योजना बनायी जाय जिससे किनारे रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मान्यवर, घाघरा में बाढ़ तभी आती है जब उसमें राप्ती नदी का पानी आता है इसलिये आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जलकुन्डी योजना पूरी की जाय। हमारे यहां बाढ़ को स्थायी रूप से ठीक करने के लिये आवश्यक है कि नेपाल सरकार से बातचीत करके जलकुन्डी योजना को स्वीकार किया जाय।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरे सामने जो रिपोर्ट है वह अधूरी है पूरी नहीं आयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

रिपोर्ट तो पूरी है सम्भव है कि आपको पूरी प्राप्त न हुई हो। जब आप अपने विचार व्यक्त करें तभी उस पर कुछ कहें।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जहां तक बाढ़ की समस्या का सम्बन्ध है हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसका सम्बन्ध एक दूसरे देश से भी है और दूसरे राज्य से भी है। निरन्तर प्रति वर्ष जिन हल्कों में बाढ़ की विभीषिका आती रही है--जहां तक समाचार-पत्रों से और जहां तक अपने जनपद से मिले हुए समाचार हैं उसके आधार पर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वर्ष भी देवरिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिले में जो तबाही बाढ़ से आयी है उस तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बिहार राज्य की ओर जो बांध हमारी सीमा पर बन्धे हैं, उनका ठीक से रख-रखाव न किया जाना ही है। पिपरासी बांध जो गन्डक नदी की बाढ़ से बचाने के लिये बनाया गया था, बिहार राज्य का बनाया हुआ बांध है। बिहार राज्य की ओर से इस बांध का कोई रख-रखाव नहीं हुआ और बिहार राज्य का बनाया हुआ बांध टूट गया। जो यह रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है कि इस साल बाढ़ से लगभग २०.३ लाख एकड़ रकबा बाढ़ से प्रभावित हुआ और ६९०८ गांव बाढ़ की चपेट में आये। बाढ की चपेट में कितने गांव आये और कितने गांव उत्तर प्रदेश के नक्शे से मिट गये इस बात की चर्चा इस रिपोर्ट में नहीं है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि कई गांव जो गन्डक नदी के किनारे थे इस वर्ष बाढ़ में वह गांव के गांव आपके राज्य से समाप्त हो गये हैं और नदी की धारा में विलीन हो गये हैं। इनकी कोई भी चर्चा उसमें नहीं है। इसका उल्लेख होना चाहिये था।

प्रभावकारी ढंग से अगर बाढ़ नियन्त्रण करना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो बिहार राज्य से सम्पर्क स्थापित करके एक उच्च स्तरीय कमेटी माननीय मुख्य मन्त्री जी बनायें। जो सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार से मिली हुयी है, जहां बूढी गन्डक जिसका पुराना नाम नारायणी नदी है उसके बारे में विचार किया जाय कि इसको कैसे बचाया जा सकता है इसलिये मिलजुल कर दोनों राज्य फैसला करें। आपकी ओर से ९ ठोकरें बनायी गयीं हैं। इन ठोकरों के बनने से उत्तर प्रदेश के बांध तो नहीं टूटे लेकिन पिपरासी बांध टूट गया जिससे कई गांव इसकी धारा में विलीन हो गये। तो एक तो मेरा सुझाव है और इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जलकुन्डी योजना की अभी चर्चा किया था हमारे साथी बलिया के श्री निर्भय नारायण सिह जी ने। जल कुन्डी योजना हमारे प्रदेश के कई जनपदों की रक्षा के लिये एक अनिवार्य योजना है। राप्ती नदीं की वजह से गोरखपुर और सहजनवा के बीच ऐसा लगता है कि कोई समुद्र लहरा रहा है। हर वर्ष बाढ़ से हमारे प्रदेश की लाखों-लाखों एकड़ जमीन बरबाद होती है। गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों की तमाम भूमि बरबाद होती है। घाघरा का पानी जब बलिया पहुंचता है तो भाई निर्भय नारायण सिह का इलाका इस विभीषिका का शिकार हो जाता है। जलकुन्डी योजना को अमली जामा पहनाने के लिये प्रयास चल रहे थे। नेपाल के जो राजदूत हैं हमारे देश से, जहां तक मुझे स्मरण है कि करीब २०-२१ जून को उनसे मिलकर मुख्य मन्त्री जी ने सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया कि जलकुन्डी योजना जो नेपाल देश में पड़ती है, वहां से हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जितनी भूमि जलकुन्डी योजना को कार्यान्वित करने में नैपाल की डूब जायेगी और उससे फसल की जो क्षति होगी, उस क्षति पूर्ति के लिये भी हमारी राज्य सरकार ने आश्वासन नैपाल देश के राजदूत को दिया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को जितनी शीघ्रता से कार्यान्वित किया जायगा उतना ही यह हमारे लिये लाभप्रद होगी। क्योंकि साधारण हानि नहीं होती है। लगभग प्रति वर्ष १० करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जो सरकारी कागजात से मुझको बताया गया है। इस प्रदेश का यह १० करोड़ का नुकसान उस इलाके में होता है जो इस प्रदेश का सबसे निर्धन इलाका है। इसलिये निवेदन है कि बाढ़ बचाव का सम्बन्ध अन्तर्देशीय और अन्तर्राजीय है और इसी स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। सरकार इस ओर प्रयत्नशील है लेकिन उसकी गति तीव्र होनी चाहिये। पिछले वर्ष जब बाढ़ आयी थी तो कई एक समस्याओं की ओर हमारी ओर से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था और इस समस्या को ठीक से समझने के लिये मुख्य मन्त्री जी गोरखपुर तशरीफ ले गये थे। वहां गन्डक योजना के सम्बन्ध में मीटिंग हुई थी। गतवर्ष के सम्बन्ध में उनको वहां तमाम बातें याद थी। हमारे पास श्री अनिरुद्ध राय जी बैठे हैं जिनके क्षेत्र मे गन्डक नहर नहीं जाती है लेकिन वह इलाका जैसे गौरीबाजार आदि बरबाद

[श्री रामायण राय]

हो जाते हैं। देवरिया जिले में भी इसी तरह गन्डक नहर नहीं जाती है लेकिन ठीक से नियन्त्रण न होने के कारण वह इलाका भी बरबाद हो जाता है। यह इसलिये होता है कि नहरों का निर्माण इस ढंग से किया गया कि गूल्स और चैनल्स इस प्रकार बनाये गये हैं कि उनके चलते कहीं वाटर लागिंग है ओर कहीं पानी के बहाव से वह इलाके बरबाद होते हैं।

मान्यवर, पहले सड़कें इतनी ऊंची नहीं बनायी जाती थी कि वह बांध का काम करें। लेकिन आज कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कुछ ऊंची-ऊची सड़कें फ्लड लेवल से ऊपर बनाते हैं जो कि पहले पानी के बहाव को रोक नहीं पाती थी किन्तु अब वह बांध का काम कर रही हैं और फसलें उससे बरबाद होती है। उस जगह बिना पानी के प्रवाह का ध्यान किये हुये पुलों का निर्माण किया गया है। किस स्पेन का पुल होना चाहिये और कहां पुल हो इसी तरह तमाम डिफेक्ट इंजीनियरिंग में हैं। मैं समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं बल्कि मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं जाकर देखा है और इंजीनियरों से कहा कि जहां पुलों का ठीक से निर्माण नहीं हुआ है उनको ठीक किया जाय। आशा है कि बाढ़ की समाप्ति के बाद वह समस्या कुछ सुलझेगी और वहां राहत और निर्माण का कार्य होगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जो इलाका गतवर्ष बरबाद हुआ था इस साल भी वह बरबाद हो गया और शासन की कृपा दृष्टि अभी तक उस महत्वपूर्ण कार्य पर नही गयी है। इसलिये इंजीनियरिंग डिफेक्ट से कहां पानी का जमाव है और कहां नदियों के अनियन्त्रित होने से पानी का जमाव बढ़ जाता है वहां सरकार का ध्यान होना चाहिये।

मान्यवर, अन्त में मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं कि जब उच्च स्तरीय मीटिंग एक यहां पर हुई थी जिसमें माननीय सदस्यों को बुलाया गया था और लिखित सुझाव मुख्य मन्त्री जी को दिये गये थे कि बाढ़ से बचाव के लिये हमारे प्रदेश में जहां सड़कें हों उन पर पेड़ लगाये जायं। तो वन विभाग ने पेड़ों का लगाना तो शुरू कर दिया है लेकिन नहरों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य और होना चाहिये। इससे कई लाभ हैं। मैं उनकी ओर संकेत कर रहा हूं कि बाढ़ के बचाव में स्थायी लाभ होने वाले हैं और हमारे प्रदेश की सम्पत्ति बढ़ने वाली है। मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हमने जो दस्तावेज बाढ़ बचाव के लिये दिया है उस दिशा में कुछ काम होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि हो सकता है कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से वह काम अब तक न हुआ हो लेकिन मेरा आग्रह है कि उसके महत्व को जब आप स्वीकार कर चुके हैं तो उस दिशा में चलने का संकल्प भी इस सदन में आप दोहरायें। इस आग्रह के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडे (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्व मन्त्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है इसमें जो चर्चा है वह राहत कार्य की है किन-किन जिलों में कितना नुकसान हुआ और सरकार ने कितनी राहत दी और इस समय बाढ़ की क्या स्थिति है। यह रिपोर्ट पुरानी हो गयी है। राप्ती इस समय खतरे के बिन्दु से काफी ऊपर हो गयी है? रामायण राय जी ने कहा कि सहजनवा से गोरखपुर तक जायं तो केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। गोरखपुर से मानीराम तक खाली जल ही जल है। फिर चलें जायं गोरखपुर से कौड़ीराम तक तो जल ही जल है। फरेन्दा तहसील में जायं तो हंडावा से मेहरावल तक २० मील लम्बाई और २५ मील चौड़ाई में जल ही जल है। सहायता के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। २४ तारीख तक की रिपोर्ट है कि एक भी पैसा का राहत कार्य कम से कम फरेन्दा तहसील में नहीं हुआ। पिछले साल राप्ती की जो बाढ़ आयी थी तो उसकी गम्भीरता को शासन नें स्वीकार किया था और असेम्बली का सेशन बन्द करना पड़ा था। मुख्य मन्त्री जी गोरखपुर गये थे और कमिश्नरी के विधायकों के

साथ बात हुई थी और यह हुआ था कि उस क्षेत्र में कल्याण के लिये कोई योजना सरकार चलायेगी। जब पिछले साल बाढ़ का पानी निकल गया तो यह हुआ कि उन इलाकों में टेस्ट वर्क होगा, बांधों के निर्माण में राहत के कार्य शुरू किये जायेंगे। सरकार ने अनुदान भी दिया लेकिन सरकारी अधिकारियों ने राहत कार्य किया ही नहीं क्योंकि उनकी जो लूट होती थी उस पर नियन्त्रण लगना शुरू हुआ। उन्होंने उस पैसे को वापस कर दिया। इसी प्रकार धानी ब्लाक में बंधे के निर्माण में ५५ हजार रुपया खर्च हुआ और बाकी रुपये को तहसील अधिकारियों ने वापस कर दिया। पिछली बाढ़ में धानी ब्लाक में दर्दनाक हालत यह हुई कि गांव के गांव डूब गये, मकान ध्वस्त हो गये। उन मकानों के निर्माण के लिये अनुदान गया लेकिन अधिकारी उसमें से नहीं खा पाये तो उसको भी वापस कर दिया। इसी तरह के बस्ती जिले में जो बंधा पनघटिया तक बन कर गया तो करमैनी तक रोक दिया गया। माल विभाग कहता है कि यह ड्रैनज में है और ड्रैनज वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।

आज हालत यह हो गई है कि बांध का पुनर्निर्माण न होने की वजह से वह इलाका जो बाढ़ से बच जाया करता था, करीब १० मील के ऐरिया में पूरा का पूरा समुद्र बना हुआ है और पूरा का पूरा गांव पानी में घुस गया है और ५-६ फीट तक पानी है। वहां जानवरों को निकालने और आदमियों को निकालने का सवाल तो है ही, जानवरों के चारे का सवाल मुख्य रूप से खड़ा हो गया। पहले बाढ़, कुछ देर से आती थी तो चारे की उतनी विकट समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब की बार बाढ़ जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की वजह से फसल गई और मवेशियों के लिये चारे का सवाल आकर खड़ा हो गया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और सरकार को इस ओर तवज्जह देनी चाहिये कि उस इलाके में, अंग्रेजों का वह इलाका था, उन्होंने बांध का निर्माण कराया, पुराने बड़े-बड़े जमींदारों ने बांध बनवाये, उन बांधों से उस क्षेत्र की रक्षा होती थी लेकिन जब से जमींदारी टूटी, आजादी आई, वह समाप्त हो गये। वहां की जनता कहती है कि आजादी आई और हमारे इलाके में बाढ़ आई और उस पिछले साल की बाढ़ की तबाही का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ जाये कि वह इलाका अक्तूबर से फरवरी तक भुखमरी का और अकाल का शिकार था, हालत बहुत खराब थी और उस समय भी आपके हृदयहीन अधिकारियों ने उन इलाकों में टेस्टवर्क नहीं किया। बांधों का कोई पुनर्निर्माण या मरम्मत नहीं हुई। राप्ती से भीषण बाढ़ के कारण जो तबाही पिछले साल थी, उससे ज्यादा आज पैदा हो गई। ऐसी हालत में खाली बाढ़ के समय में आप वक्तव्य दें और कुछ माचिस, नमक और चना बांटकर अपने दायित्व को पूरा समझ लें तो यह बाढ़ के क्षेत्रों की समस्या का कोई निदान नहीं होगा। चाहिये उसके लिये एक स्थायी योजना बनाना। उस सवाल को लेकर हमने जिले में प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में स्कीम दी, ड्रैनेज विभाग ने एक प्लान बनाया और बताया कि यह प्लान सरकार के पास स्वीकृति के लिये जा रहा है। उसमें ५० लाख का खर्चा दिखाया गया है सिर्फ फरेंदा तहसील के सीमित इलाके को बचाने के लिये। पैसा सरकार खर्च कर सकती है कि नहीं सरकार जाने, लेकिन स्कीम पूरी नहीं हुई तो उस इलाके को बाढ़ से आप नहीं बचा सकते और इस साल फिर अकाल की स्थिति उस इलाके में पिछले साल से भी ज्यादा भयंकर रूप में रहेगी।

आखिरी बात जो राय साहब ने भी कही राप्ती की बाढ़ से बचने के लिये कोई स्थायी हल होना चाहिये। जलकुंडी योजना एक ऐसी है जिसमें बाढ़ का उफान जल्दी आता है जिससे ४-५ जिले प्रभावित होते हैं और इस साल घाघरा की बाढ़ से भी गोरखपुर जिला प्रभावित है। राहत कार्य में जो धांधली होती है वह सरकार को मालूम है और सरकार के सदस्यों को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि स्थायी हल के लिये कोई योजना बनानी चाहिये और फिलहाल राहत के लिये हमारी सरकार से अपील यह है कि जो गांव घिरे हुये हैं चारों तरफ बाढ़ से उनमें नाव का

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे]

इन्तजाम, राशन का इन्तजाम हो और बाढ़ के इलाकों से ज्यों ही पानी निकले, बड़े पैमाने पर बांध निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किये जायं। वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें जिन पर गल्ला, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा, उन लोगों को जिनके पास जीविका के कोई साधन नहीं है, दिया जाय और जो मकान गिर गये हैं जो पिछले साल गिरे थे, इस साल गिरे हैं जिनको बनवाया नहीं जा सका उनको बनवाया जाय। हमारे जिले में जंगल विभाग है आप १०० रुपये ५० रुपये का अनुदान बन्द कर दें और उसकी जगह उनको मकान बनवाने के लिये लकड़ी देने की व्यवस्था करें। जिससे वह अपने मकान बना सकें। अधिक जोत वालों को तकावी के जरिये लकड़ी दें और मवेशियों के लिये जंगल से चारा काटकर लाने की सुविधा दें तभी मवेशियों को तथा जन जीवन को बचाया जा सकता है और जो नारकीय जीवन वहां पर है उसको समाप्त किया जा सकता है।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोण्डा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री का ध्यान विशेष रूप से गोण्डा जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो प्रदेश की बाढ़ के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली इसमें गोन्डा जिले का नाम ही साफ कर दिया गया है। सिर्फ यह दिखाया गया कि इतना पानी गिरा, इतने जिलों में गिरा। गोंडा जिले में चार-पांच नदियां ऐसी हैं जिनमें बाढ़ आने से जन जीवन त्रस्त हो गया है। राप्ती, सरयू, घाघरा, कुवानो तथा टेढी नदी में इतना अधिक पानी आया कि स्वयं जिला अधिकारी, गोंडा ने निरीक्षण किया। घांघरा तथा सरयू में इतना पानी आया कि दोनों एक हो गयीं। तरबगंज, उतरौला, बलरामपुर तथा गोंडा इन चारों तहसीलों में बाढ़ के कारण ३ हजार गांवों में क्षति हुई है। कटरा क्षेत्र में करनैलगंज में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये और गांव वालों को वहां पाखाने तक के लिये जमीन नहीं मिली। गोण्डा के अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम किया लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट बांटी गयी उसमें बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिखलाया गया....

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

जो कागज कल बांटा गया था उस में नम्बर तीन पर गोंडा का नाम है और उसमें लिखा हुआ है कि गोंडा में ८९८ गांव पर असर हुआ। २ लाख २५ हजार जन संख्या त्रसित है और ६ आदमी मरे।

श्री दीपनारायण पांडेय--

मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और माफी चाहता हूं। मुझे यह कागज मिला नहीं वर्ना मैं ऐसी गलत बयानी न करता। जब यह सारी स्थिति है तो गोंडा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस पर बहुत से मेम्बर बोलने वाले हैं। मैं स्पीकर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि कल जब काम खत्म हो जाय तो उसके बाद भी यह बहस जारी रहेगी। बाढ़ पर माननीय सदस्यों को भी बोलना है और हमको भी उत्तर में कुछ बोलना है।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट जिलेवार दिया है क्या उसी हिसाब से आप मेम्बरों को बोलने का अवसर देने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आपको मौका मिलेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ हर साल आती है। यह दैवी आपत्ति है और हर साल इस सदन में इस पर बहस भी होती है। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। माननीय सदस्य जिलों के खड़े होकर कहते हैं कि अमुक जिले में इतने गांव बह गये, इतने घर गिर गये। कोई कहता है कि लकड़ी बांट दी जाय। कोई कहता है कि तेल, नमक और दियासलाई बांट दीजिये। कोई कहता है कि ज्यादा मिला, कोई कहता है कि कम मिला। यह बहस यहां नहीं होनी चाहिये। मैं निहायत अदब से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में योजना चलती हो या जिस राज्य का शासन यह दावा करता हो कि हम योजनाबद्ध विकास पर आरूढ़ हैं तो उस प्रदेश में मुतवातिर बाढ़ की विभीषिका कम न हो, यह बड़े अफसोस की बात है। मैं शासन से कहना चाहूंगा कि शासन की तरफ से एक बाढ़ विभाग भी कायम है फ्लड डिवीजन खुला है, उसमें उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इन्जीनियर्स मुकर्रर हैं। वे बाढ़ की विभीषिका को कम करें, नदियों से जो कटान हो रहा है उसको रोकें। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उस फ्लड डिवीजन में इन इंजीनियर्स की नियुक्ति केवल इसीलिये हुई है कि वे बाढ़ को कम करें। उनको सरकार की तरफ से लिखित रूप में योजनायें दी जायं और उनसे कहा जाय कि वे हर साल रिपोर्ट करें कि उन्होंने किस क्षेत्र में, कितने वर्ग मील पर बाढ़ के प्रकोप को रोका है। पार साल भी यहां पर बाढ़ आई लेकिन १९७१ में सबसे ज्यादा बाढ़ आयी थी। तो सन् १९७१ की बाढ़ को मापदन्ड मानकर उसके बाद यह देखा जाय कि पूर्वी जिलों में १९७२ में उन्होंने कितने क्षेत्र को घेरा, १९७३ में कितना घेरा और १९७४-७५ में इस बाढ़ में कितनी कमी आयी।

प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में १-२ बन्धे बने थे। १००/२०० वर्गमील के क्षेत्र में बाढ़ में कमी आयी लेकिन उसके बाद बलिया और उसके पूर्वी इलाके में सन् १९६६ में बाढ़ से जितनी जमीन और गांव डूबते थे उतना ही क्षेत्र आज भी वहां बाढ़ से घिरा रहता है। क्या मैं उत्तर प्रदेश के इस विभाग के इंजीनियरों से यह बात मन्त्री जी द्वारा पूछने का हक रख सकता हूं कि इस विभाग पर उत्तर प्रदेश का कितना पैसा खर्च होता है, उनकी नियुक्ति क्यों हुई है? बहुत से इंजीनियर ईमानदार हैं लेकिन बहुत से बेईमान भी हैं। कहा जाता है कि जब वह योजना चल रही थी उस समय मेरा तबादला हो गया। शासन की तरफ से उनसे कहा जाना चाहिये कि यह जिम्मेदारी आपको सौंपी गयी है, इसे आपको करना होगा गौर आप लाजिमी तौर पर शासन के मुलाजिम रहना चाहते हैं। उनकी प्रोन्नति और मुअत्तली भी इसी आधार पर होनी चाहिये। बलिया-बेरिया बांध के दक्षिण की तरफ सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो आज भी बाढ़ से डूबे रहते हैं। यदि उस क्षेत्र में ८ मील के एरिये में बांध बना दिया जाय तो ५ हजार एकड़ जमीन को बचाया जा सकता है तो सैकड़ों, हजारों नावों पर जो खर्च होता है वह बचाया जा सकता है। जो भिखमंगी स्थिति उस समय रहती है कि १० बोरा चना दे दिया, सत्तू, गेहू और दियासलाई दे दिया तो यह भिखमंगी बन्द होनी चाहिये, हम यह नहीं चाहते हैं। बहुत से ऐसे भ्रष्ट और बिचवैये लोग हैं जो ऐसा करके पैसा कमा लेते हैं। यह बहुत ही गन्दा काम है। नदियों के कटान से और बाढ़ से गरीबों के घर गिर जाते हैं वे ऐसी स्थिति में नहीं होते कि मकान बनवा सकें तो उनके लिये कोई हाउसिंग स्कीम चलाई जानी चाहिये और मकान बनाकर उन्हें दिया जाना चाहिए। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो बाढ़ के इलाके में बसे हुए हैं गड्ढे में बसे हैं। अनियन्त्रित और अनियोजित ढंग से बस्तियां बनी हुई हैं। सरकार की तरफ से उनको मजबूर किया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

और उनको वहां से हटाया जाय। हमारे यहां भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कि नाव लेकर जाना पड़ता है। मैंने कई बार कहा है कि वहां से बस्ती हटाई जाय। दूसरी जगह उनको बसाया जाय। गड्ढे और नालों में आप बसेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी। सरकार के लिये आवश्यक है कि एक योजनाबद्ध रूप से विकास का सारा कार्य होना चाहिये। जो योजनाबद्ध विकास की बात करते हैं, उन्हें देखना यह है कि बाढ़ का रकबा मुतवातिर घटता चला जाय। इसकी जिम्मेदारी बाढ़ डिवीजन के इंजीनियरों पर आनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिये और यह बहस कि हमारे यहां यह बंटे या वह बंटें, समाप्त होनी चाहिये। दृष्टि यह होनी चाहिये कि कितने रकबे पर बाढ़ रुक गई है।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के बिषय में जो चर्चा यहां चली है और जो उत्तर प्रदेश के अंचल आज बाढ़ की चपेट में आ गये हैं, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं कि उनकी अधिक से अधिक सहायता की जाय और यह भी चाहता हूं कि तत्काल उनको आवश्यक सहायता पहुंचाई जाए, जिससे कि उनका जीवन बचाने में अधिक से अधिक सहायता पहुंच सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से उस क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से यह बाढ़ शुरू होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पर विचार करते समय पर्वतीय अंचल को हमेशा इग्नोर कर दिया गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र केवल उसको माना गया है, जहां पर पानी जमा हो जाता है। लेकिन जहां से पानी पर्वतीय क्षेत्र में शुरू होता है, वहां की स्थिति का कभी भी आकलन नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से ३-४ उदाहरण देना चाहता हूं आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उनकी स्थिति अखबारों की है। २-३ वर्ष पहले वेलाकूची में यकाएंक पानी आ जाने के कारण ३० मोटरें यात्रियों को लेकर गंगा की गोद में समा गई थीं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में नयार नदी में आज से १०-१२ साल पहले, बसें जो यात्रियों को लेकर ऊपर जा रही थीं, पानी ऊपर से आ जाने के कारण, सारी की सारी बसें बह गई थीं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो भयंकर वर्षा होती है तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में लोगों को कितनी कठिनाई होती है, लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात मानता हूं कि अन्य मैदानी जिलों में मालूम हो जाता है कि बाढ़ आएगी और लोग सतर्क रहते हैं, कुछ बचाव कर लेते हैं, लेकिन पर्वतीय अंचल में यह बात नहीं चलती है। वहां यकायक बाढ़ आ जाती है, कब बाढ़ आएगी, किसी को पता नहीं होता है, एकाएंक पानी आ जाने से पशु, मनुष्य और मकान सभी बह जाते हैं। वहां की एक और विशेषता है, हर साल पहाड़ के लोग जिन खेतों को मेहनत करके बनाते हैं, सारे के सारे खेत भी पानी में बह जाते हैं, जानवर और सवारियां बह जाती हैं। यह बात ठीक है कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी जमा नहीं रहता लेकिन यह कहना कि वहां नुकसान नहीं होता है, ठीक नहीं है। वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों, कृषकों को इस सम्बन्ध में मिलने वाली किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। इसके लिये मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो स्थितियां वहां हो जाती हैं तो बाढ़पीड़ितों के सम्बन्ध में मिलने वाली सुविधायें वहां भी मिलनी चाहिये और जनजीवन को जो हानि होती है, जानवरों की जो क्षति होती है, गांव के गांव जो बह जाते हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिये। कभी-कभी बिजली गिरने से गांव का गांव धंस करके नीचे चला जाता है सड़कों का पता नहीं होता,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रास्तों का पता नहीं होता। या बाढ़ की शुरुआत का क्षेत्र पर्वतीय अंचल है। यहां भी बाढ़ की चपेट से किसी भी स्थिति में कष्टप्रद जीवन में पीछे नहीं रहता है। इसलिये वहां की स्थिति को देखा जाय। आपने भी सुना होगा कि बेलाकूची की बाढ़ में ऊपर जो यात्री आ रहे थे सारे के सारे बह गये। गांव के गांव बह गये। बाढ़ के कारण जिसे की शुरुआत पहाड़ी अंचल से होती है उसके कारण जिन लोगों का जीवन कष्टप्रद हो जाता है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये राहत पहुंचाने के लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अंचल की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये मुझे समय दिया।

श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम गोपीनाथ कामेश्वरपुरी है। आपने इसीलिये मेरा नाम पहले भी नहीं पुकारा या द्विविधा में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है—ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे-जैसे बाढ़ की रोकथाम के लिये बाढ़ डिवीजन की तरफ से कार्य होता है या किया जा रहा है, वह किया जा रहा है, वैसे-वैसे हर साल बाढ़ की विभीषिका क्रमश: बढ़ती ही जाती है। यह एक स्थायी समस्या हो गयी है, मान्यवर, मेरी समझ में इसका केवल एक कारण है। इसका कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम न बनने के कारण, गलत-सलत तरीके से जगह-जगह बांध बना देने से, या सड़कों को बना देने से, जैसा कि देवरिया के माननीय सदस्य रामायण राय जी ने कहा, पुल वगैरह कायदे से न बनने से, जल की निकासी का इन्तजाम ठीक से न होने से, वाटर लागिंग से तमाम क्षेत्रों में बाढ़ से नुकसान होता है। बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती में पानी की नपाई आज वर्षों से हो रही है। कहते है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित है। वहां का कोई विभाग पानी की नाप-जोख कर रहा है कि कितने क्यूसेक्स पानी किस-किस महीने में भरता और बहता है। यह नापजोख चार वर्षों से हो रही है। इसका कहीं सामञ्जस्य होकर देश और प्रदेश के योजनाबद्ध रूप में, सभी जगह के टैक्निकल विशेषज्ञों को इकट्ठा होकर कुछ करना चाहिये मान लीजिये हमारा प्रदेश है, जितनी हमारी नदियां हिमालय से आती हैं, उनके उद्गम स्थान पर कैसा बांध बांधना उचित होगा, नदियों के किनारे कैसे बांध बांधने होंगे, उनकी जल निकासी के लिये जो एक चैनल है और भी रास्ते नहरों के रूप में निकालने होंगे या क्या करना होगा यह विशेषज्ञ ही निर्णय ले सकते हैं। इसके ऊपर कभी भी योजनाबद्ध रूप में कार्य नहीं हो रहा है।

एक बात और है। यह जो सिल्ट है, पानी में मिट्टी बहती है, बराबर बैठती जाती है और नदियों का पेटा ऊंचा होता जाता है, नदियों के करारों में पानी न बंध कर फैल जाता है, पानी की विभीषिका बढ़ती है। इसका भी कोई रास्ता टेक्निकली निकालना होगा। मेरा निवेदन है कि आप योजना बद्ध विकास करें। योजनाबद्ध विकास का मेरा मतलब यह है कि केवल आप जनता को दियासलाई या खाने–पीने की सामग्री देकर सन्तुष्ट करने का प्रयास न करें। इससे मुफ्तखोरी की आदत पडेगी और इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इसमें जनता के दलाल सरकारी कर्मचारियों से मिलकर खाते हैं और गरीब जनता के पास सामान पहुंच पाता नहीं है जो कुछ थोड़ा पहुंचता भी है वह बाढ़ हट जाने पर समय बीत जाने पर तो ऐसी व्यवस्था से क्यों लाभ है। ऐसा पैसा आप बांटते हैं उसको आप न बांटें। आप उस पैसे को संचित करें। आप किसी योजना में लगायें जैसे किसी नदी पर बांध बनावें और उससे नहर निकालें तो अधिक उपयुक्त होगा और बाढ़ ग्रस्त जनता को सही माने में सहायता मिलेगी। मेरा सुझाव है कि ऐसा कोई योजनाबद्ध कार्य करें। आप यह मुफ्तखोरी न करायें। आप गंगा से कावेरी तक की योजना बनाते है, तो यह एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन हमारे प्रदेश में जो छोटी-छोटी नदियां हैं उन पर भी इस तरह की योजना बनायी जानी चाहिये। यह कार्य भारत सरकार और हमारी सरकार के सामंजस्य से हो सकता है। हमारे प्रदेश की उत्तरी पूर्वी भाग में एक राप्ती नदी है। जलकुन्डी योजना का नाम मैंने ही सबसे पहले गत वर्ष लिया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस पर ध्यान दिया और वह योजना

[श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी]

सफल बनाने का प्रयास भारत सरकार द्वारा नेपाल से वास्तविक वार्ता करके हो रहा है। मैं यह भी कह रहा हूं कि छोटी -छोटी नदियां बहुत भयंकर रूप धारण करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बूढ़ी राप्ती नदी बस्ती जिले को और गोंडा तथा गोरखपुर के जिलों को प्रभावित करती है। इस पर एक बांध बना दिया जाय और उससे नहरें निकाली जायें तो जो इसकी सहायक नदियां हैं उनकी बाढ़ रुक सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले में इस बूढी राप्ती नदी पर बांध बनाने की कोई योजना नहीं है। इस पर शासन का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री और सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से में डुमरियागंज, नौगढ़ और बांसी तहसीलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लगभग ६,००० गांव जो कहे जाते हैं कि बाढ़ की चपेट में आ गये है, उनमें से २,६९७ गांव अकेले बस्ती जिले के हैं। मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो निजी खर्चों पर विभागीय बांध बनवा रहे हैं और उसका व्यक्तिगत रूप से फायदा उठा रहे हैं। इस ओर शासन का ध्यान जाना चाहिए। यदि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहें तो मैं उनके कक्ष में बतला सकता हूं। मैं गत वर्ष से मांग कर रहा हूं कि बस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी पर बांध बनाया जाय लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि मुहचरवा घाट से बांसी तक बांध बनाया जाय। यह मदहरवा असोगवा बांध के नाम से फिलहाल बन रहा है सुनैली तक और इस पर लगभग ३ लाख रुपया खर्च हो चुका है। उस बांध के बारे में मैंने लिख कर भी दिया कि उसको विभागीय बनाया जाय लेकिन अभी तक नहीं बना है और लालफीताशाही से शायद बनेगा भी नहीं। मैं सिंचाई मन्त्री, सचिव, मुख्य मन्त्री, चीफ इन्जीनियर और ड्रेनेज वाले इन्जीनियर्स के पास भी गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। श्रीमन्, यह एक आदमी के लिये नहीं इस बांध के बनने से हजारों एकड़ भूमि और ५० सौ गांवों को बचाया जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि इसे तुरन्त विभागीय बांध बनाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी चना आदि बंटवाना बन्द करके एक स्थाई योजना बनवायें। अन्यथा अगर कुछ टेस्ट वर्क ही चलवायें तो भी गनीमत होगी। चना आदि तो तात्कालिक सहायता के लिये होता है जब लोग बाढ़ में घिर जाते हैं, इसलिय बाढ़ के बाद में उसको बंटवाना बन्द होना चाहिये। अन्त में मेरी माननीय मुख्य मन्त्री और सिंचाई मन्त्री जी से यही प्रार्थना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये बाढ़ की रोक-थाम के लिये कोई स्थाई योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाय।

श्री त्रिवेनी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के सिलसिले में कई माननीय सदस्य यहां पर बोल चुके हैं। श्रीमन् हर वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में यह आवाज उठती है कि आजमगढ़ बलिया, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के ४-५ जिले बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहते हैं। इस इलाके में घाघरा, राप्ती और गन्डक जैसी बड़ी-बड़ी नदियां तथा टौंस नदी जो बाढ़ से इस इलाके को हर वर्ष तबाह करती रहती हैं। इस समय यहां पर माननीय राजस्व मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री दोनों उपस्थित हैं, जिनसे बाढ़ का सम्बन्ध है लेकिन आज तक यह फैसला नहीं हो रहा है कौन इसको देखेगा। माननीय राजस्व मन्त्री जी तो दियासलाई, चना और मिट्टी का तेल बंटवाते हैं और माननीय सिंचाई मन्त्री बांधों की मरम्मत कराते हैं, इस समय मरम्मत के लिये इनके पास पैसा नहीं है। इस बारे में जब सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। इस समय भी जबकि सिंचाई मन्त्री जी सदन में उपस्थित हैं, और माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर सदन में मौजूद नहीं हैं,

माननीय सदस्यों ने बताया है कि किस-किस प्रकार से उनके इलाके में फलड्स आते हैं और उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है।

दूसरी बात आज मुझे कहनी है वह यह है कि बाढ़ के समाप्त हो जाने के बाद घाघरा से कटाव होता है। आजमगढ़ जनपद में आप देखें, वहां पर पिछले वर्ष कितना कटाव हुआ और उससे पूर्व वर्ष में कितना टुकड़ा कटा? मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसका कोई परमानेन्ट हल निकाला जाय। हर साल "हाय हुसेन" चिल्लाते हैं, नारा लगाते रहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है? जैसा कि माननीय काशीनाथ मिश्रा जी ने कहा कि हर साल दियासलाई और थोड़े से चने बटवाने से और टीम बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। मेरी प्रार्थना है कि इस इलाके का सर्वे कराकर कोई ठोस योजना बनाई जाय जिससे हमेशा के लिये राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके क्या सुझाव हैं?

श्री त्रिवेनी --

मान्यवर मेरा सुझाव है कि एक बार जब माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री पंडित जी थे तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि फ्लड कन्ट्रोल बनाया जाय। उसने कुछ सर्वे करके कुछ बंडाल डालना शुरू किया था। लाभ यह पहुंचा कि बंडाल जहां बन गये वहां कटाव रुक गया। लेकिन वह योजना पैसे के अभाव में बन्द हो गयी। इसके फलस्वरूप घाघरा के किनारे आजमगढ़, देवरिया का इलाका का कटाव जोरों से हो रहा है। राम सुन्दर नहीं हैं, राज्यपाल महोदय बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं। दोहरी घाट से लेकर दुवारी तक जो विकराल रूप बाढ़ का है उसका वह उनके साथ हैं। तो इस मुसीबत में हम फंसते हैं। इसलिये फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड या कोई ऐसी ठोस चीज बनायी जाय। मैं दोनों मन्त्रियों को सुझाव देना चाहता हूं कि आप उसमें आफिश्यल ही न रखें, उसमें नान-आफिश्यल क्षेत्र के विधायक या जनप्रतिनिधि को रखे ताकि वह वहां की कठिनाइयों को बतला सकें।

सिंचाई विभाग की दिक्कत यह है कि जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर रिपोर्ट देते हैं उसी को चीफ इंजीनियर सिंचाई मन्त्री के सामने रख देते है। हमको जानकारी नहीं होती है कि किस-किस तरह के बाढ़ के लिये कोई ठोस कार्य किया जायगा। तो आपके माध्यम से सजेशन देंगे दोनों मन्त्रियों को कि फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनावें उसमें जनप्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व हो, टेक्निकल इंजीनियरों का भी हो, राजस्व विभाग के सचिव हों, डिप्टी सेक्रेटरी हों, ताकि सबको लेकर के, कोआपरेशन से एक योजना बनायी जाय और हमेशा के लिये सिर-दर्द दूर हो। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयानक दृश्य होता है अगस्त, सितम्बर के महीने में, घर के घर साफ हो जाते हैं हर बार। हर बार सब चिल्लाते हैं और मिलता है नमक, दियासलाई, और चना। मैं बड़ी मेहनत करने पर अपनी आवाज असेम्बली में उठाता हूं। रामायण राय जी ने कहा है कि दुवारी का इलाका है, वह देखने के लायक है कि पानी ही पानी। बढ़हलगंज से लेकर जो गोरखपुर का इलाका है एक बन्धा बना हुआ है वहां का बड़ा भयंकर दृश्य होता है? आजमगढ़ के दुवारी क्षेत्र से लेकर पूरा समुद्र ही बन रहा है। हर वर्ष बाढ़ को लेकर हम बहस करते हैं असेम्बली में, लेकिन कुछ फायदा नहीं। (एक आवाज--फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड तो बना है।) बना होगा तो आपके घर में होगा गोरखपुर में मेरे यहां नहीं है। श्रीमन्, विषयांतर में कह दिया। माननीय सदस्य का इलाका ऐसा है कि जहां सूखा ही सूखा दिखाई देता है, बाढ़ के इलाके में तो हम लोग पड़े हैं।

तो चाहे केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको ठोस कदम उठाने हैं। गोन्डा है, बहराइच है, पूर्वी; चार-पांच जिले हैं उनके जनप्रतिनिधियों

[श्री त्रिवेनी]

से मशविरा करें ताकि कोई हल निकल आये। मैं सिचाई मन्त्री की और राजस्व मन्त्री जी को यही सुझाव दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य ने मुझको भी शामिल कर लिया। मैं तो राहत कार्य के लिये हूं। आवश्यकता पड़ने पर राहत कार्यों का इन्तजाम करूंगा। जो पूरी स्कीम है उसमें मेरा नाम काहे को लेते हैं।

श्री त्रिवेनी--

इसलिये कि राजस्व विभाग जो है वह पैसा देता है।

श्री उपाध्यक्ष--

दियासलाई दे करके धर्म खराब करना चाहते हैं।

अब आप बैठने की कृपा करें।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष जी बाढ़ के सम्बन्ध में जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं बहुत ही आभारी हूं।

अभी जो बाढ़ की चर्चा चल रही है यह असयम की बाढ़ आ गयी। शूरू जुलाई में अचानक बाढ़ कभी नहीं आयी, जोकि यह बाढ दो या तीन जुलाई को आ गयी मान्यवर, बाढ़ से ये गोरखपुर बस्ती, देवरिया, गोन्डा--ये जिले लगातार साल-ब-साल प्रभावित रहे हैं। गोरखपुर जिला ऐसा है जिसमें घाघरा, राप्ती आमी, कुवानो, रोहित नदियां हैं इनसे गोरखपुर जिले का आधा भाग बाढ़ के प्रभावित हो जाता है और जो हिस्सा बाढ़, से प्रभावित नहीं होता है वहां बरसात का पानी जमा हो जाने से वहां की फसल बरबाद हो जाती है। ९ अगस्त, १९७४ को मुख्य मन्त्री जी वहां गये थे जिस दिन बाढ़ विकराल रूप धारण किये हुये थी। उस दिन, जैसा कि हमारे राय साहब ने बतलाया, मन्डलीय मीटिंग हुई थी और कमिश्नरी के सभी विधायक जुटे हुये थे। वहां बाढ़ को देख कर मुख्य मन्त्री जी ने वायदा किया था कि वहां जलकुन्डी योजना बनना बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिये प्रयत्न करूंगा। मान्यवर, इस योजना को चालू किया जाय तभी हमारे ये चार जिले बाढ़ से बच सकते हैं। परसाल बाढ़ को देखते हुये बोकटा बखार मार्जन और मलौनी बांधों की मरम्मत के लिये हम बार-बार कहते रह गये, सिंचाई मन्त्री जी ने स्वयं देखा भी, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। परमात्मा न करे, परसाल की तरह से बाढ़ आ जाय, लेकिन अगर उस तरह से बाढ़ आ गयी तो बोकटा बखार मार्जन बांध कदापि नहीं बचेगा। उस समय जब सार्वजनिक निर्माण विभाग में बांध- रहता था तो पेड़ बांध के ऊपर से काटे जाते थे। लेकिन इस साल ड्रेनेज विभाग ने बांध के निचले भाग को खुदवा कर पेड़ कटवा दिये जिसके कारण वह बांध कमजोर हो गया है। उसमें नयी मिट्टी भरी हुई है जो बाढ़ आने पर बह जायेगी। मैं बार-बार लिख कर देता ही रह गया लेकिन वह योजना नहीं बन्द हुई।

अप्रैल १९७४ में मैंने अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज विभाग, गोरखपुर, श्री मनमोहन स्वरूप को यह लिख कर दिया था कि बोकटा बखार मार्जन बांध पर नदी का कटान चालू है,वहां ठोकर लगवायी जाय। उस समय नदी बांध से करीब ८० फीट की दूरी पर थी। लेकिन वहां पर ठोकर नहीं लगवाया गया। आज परिस्थिति यह है कि दो, तीन जुलाई को जब नदी में कुछ पानी आया--तब पानी नदी के पेटे में ही था--तो उसने ऐसा कटाव किया कि अब ५-७ फीट की दूरी पर बांध रह गया है। जो खर्चा कटाने के शुरू में हुआ अगर यह पहले

हुआ होता तो वह ८० फीट जमीन कटती नहीं और वह बांध सुरक्षित रहता। हम लोग तो हाउस में बैठे हुये हैं और मन्त्री जी कोठियों में बैठे हुये हैं लेकिन पता उस दिन चलेगा जब उस बांध के कट जाने से गोरखपुर जिले के करीब २०० गांव वह जायेंगे। हमारे यहां जो अवीक्षण अभियन्ता श्री मनमोहन स्वरूप हैं उनका कार्यकलाप हमारे जिले में अच्छा नहीं है। आप के माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें अविलम्ब गोरखपुर जिले से हटायें तभी उस जिले की बाढ़ से सुरक्षा हो सकती है। जो भी बांध पहले के बने हुये हैं उनके रख रखाव के लिये व्यवस्था की जावे जिससे जो गांव बच गये हैं वह तो बचे रहें जो गांव बाढ़ से डूब जाते हैं वह तो डूब ही जाते हैं। जो गांव बाढ़ से घिरे हुये हैं उनकी परिस्थिति यह होती है कि जिस गांव में १०८ घर हैं परसाल की बाढ़ में मुश्किल से ६-७ घर बचे, और सब घर गिर गये। जो घर नहीं गिरे उनकी दिवालें टूट गयीं। उनके लिये या तो सरकार जलकुन्डी योजना बनाये तभी सफलता मिल सकती है या गांवों को ऊंचा करे और उनको मुख्य सड़कों से मिलायें तभी उनको कुछ राहत मिल सकती है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, हमारे जिले सुल्तानपुर की स्थिति यह है कि वहां के बारे में न तो माननीय राजस्व मन्त्री जी के कागजों में कुछ लिखा है और न ही भगवान के यहां। हमारे यहां दो किस्म के खेत बोये जाते हैं। वह बोये ही नहीं गये। खेत सूखे पड़े हैं... (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बाढ़ पर बोल रहे हैं या सूखे पर।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हमारे हिसाब से तो वहां बाढ़ आयी ही नहीं, फिर यह किस पर बोल रहे हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय—

मान्यवर, हमारे यहां की हालत ऐसी है कि अगर वहां ध्यान न दिया गया तो लोग भूखों मर जायेंगे। हमारे यहां अरहर और सावां और मक्का ही मुख्यतया बोयी जाती हैं। और यहां कोई फसल बोई ही नहीं गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसलिये कि वहां पानी ही नहीं है? (हंसी)।

श्री शिवकुमार पांडेय—

जी हां। खेतों में पानी नहीं है। पानी तालाबों में है। वहां से निकासी पानी की नहीं है। इसलिये खेत सूखे पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो वहां बाढ़ कहां है, उसके लिये आप अलग से कोई प्रस्ताव लावें।

श्री शिवकुमार पांडेय—

तालाबों में पानी बहुत भर गया है, मगर पानी की निकासी के लिये नालियां नहीं बनायी गयी हैं। इनके इन्जीनियर्स ने जो नालियां बनायी हैं वे ऐसी हैं कि उनमें पानी जाता ही नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवकुमार पाण्डेय]

है। यदि कोई अपढ़ आदमी उसको बनाता तो भी समझ में आ जाता, मगर इनके इन्जीनियर्स ने ऐसी नालियां बनायी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। सुल्तानपुर की सबसे बुरी हालत आज हो गयी है। मन्त्री जी उसे अपने कागज पर तो लिख ले चाहे दियासलाई ही देने के लिये लिख लें (हंसी)। जो अनाज वहां पैदा होता है इन ६ महीनों में, उसी के बल पर वहां के लोग साल भर अपनी जीविका चलाते हैं। अगर यह फसल ही नष्ट हो जायेगी तो वे लोग भूखों मर जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके यहां न सूखा है, न बाढ़ है। (हंसी)।

हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

इस बाढ़ के अहम मसले पर जो चर्चा हो रही है मैं इस विषय में यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट सेशन में सरकार ने जितना पैसा मांगा सदन ने वह सब ज्यों का त्यों पास कर दिया और एक पैसा भी कम नहीं किया गया। आज दो माह बाद ही कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। दो माह में ही वह पैसा कहां गया। फिर अगर पैसे की कमी है तो सरकार पैसा इस सदन से और पास करवा ले, सदन तो चल ही रहा है। और अगर पैसे की कमी है तो इस बहस से क्या फायदा ? इस स्टेटमेंट में सारी तफसील पूर्वी जिलों की ही है जैसे कि यह मान लिया गया है कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ आती ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि जिला सहारनपुर में मुजफराबाद हल्के में जो मेरी ही कास्टीटुएंसी का हल्का है, उसमें ६४ छोटी बड़ी नदियां हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी एम० एल० ए० का ऐसा हल्का हो जहां इतनी बड़ी तादाद में नदियां हों। करीब ३०० गांव उनमें आते हैं। वहां की यह पोजीशन है कि देहात के बीचो-बीच से नदियां बहती हैं। चूंकि पहाड़ से नजदीक है, जितना पानी ऊपर से आता है बहुत तेजी के साथ आता है और वह गांव के गांव को बहा ले जाता है तो मेरा निवेदन यह है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाय। और अगर वहां पर ५० जगह बन्धे बंधवाने हों, तो कम से कम हर साल एक दो बंधा बनाने का प्रोग्राम बना दिया जाय तो कभी न कभी ऐसा दिन आयेगा जब कि हम यह कह सकेंगे कि अब यहां पर जो किनारे के लोग हैं वे महफूज हैं। लेकिन अगर वहां ऐसा न किया जाय और महज यह कह दिया जाय कि पैसा बिलकुल नहीं देंगे तो कभी भी उस इलाके के लोग नदियों से कटाव के महफूज नहीं हो सकेंगे। तो मैं निहायत अदब के साथ माननीय सिंचाई मन्त्री जी से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, निवेदन करूंगा कि उस तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाय। ऐसी दो चार जगहें जो बहुत जरूरी है और जो गांव पानी की वजह से बह जा सकते हैं उनकी तरफ तवज्जह की जाय और वहां ठोकरें बनवा दी जायं। माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो कहा कि कोई जरूरत नहीं है तो मैं दोबारा उनसे निवेदन करता हूं कि बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाय। मैं फिर निवेदन करता हूं कि जरूरत वाकई है, अगर जरूरत न होती तो फिर यह क्यों कहा जाता। वहां जो बहुत से गरीब लोग हैं उनके घर गिर व बह गये, मसजिद तक बह गयी। मैं आपको बतला दूं कि पांजराना, बंजारेवाला, दुग्गावाला, भुलनी और सफीपुर में भी लोगों के छप्पर वाले मकान बह गये हैं। सिंचाई मन्त्री जी तो वहां के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं वे सब कुछ जानते हैं फिर भी वे ऐसी बात कहें तो मुझे अफसोस होता है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ की स्थिति पर दो शब्द कहने के लिये समय दिया। बाढ़ प्रति वर्ष इस प्रदेश में आती है और उससे जन-धन

की बहुत क्षति भी होती है। सबसे बड़ी समस्या जो इस देश और प्रदेश की है वह यह है कि खाद्यान्न की कमी का एक मुख्य कारण यह बाढ़ भी है। हजारो-लाखों एकड़ जमीन बाढ़ की चपेट में आ जाती है। इस तरह से निश्चित रूप से प्रति वर्ष वहां की फसलें भी खराब हो जाती हैं। इसलिये हम सभी यह चाहते हैं कि एक ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी जाय जिससे बाढ़ से अपना खेत, अपनी जान व अपना धन व सब कुछ बचा सकें। जब बाढ़ आती है तो सरकार राहत देने की बात करती है। बाढ़ की वजह से जो लोग प्रभावित होते हैं वे चाहते हैं कि उनके लिये जो कुछ भी सुविधा हो सकती है, और वह उपलब्ध करायी जा सकती हो तो करायी जाय। अगर इसके लिये किसी स्थायी हल की व्यवस्था करा दी जाती जिससे इस प्रदेश में बाढ़ ही नहीं आती तो इससे जन धन की रक्षा भी होती और लोगों की जमीन भी बचती जिससे वे खेती करते और हजारों लाखों रुपये का गल्ला पैदा करते जो देश को आत्म-निर्भर बनाने में सहायक होता। मैं थोड़ी सी बात अपने पर्वतीय अंचल के लिये कहूंगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों के नीचे तराई की तलहटी है। इसमें २–३ गांव ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इन गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन कट जाती है। किच्छा शहर नदी के कगार पर स्थित है। मैंने पिछले वर्ष भी लिखकर दिया कि कोई ऐसी योजना बनायी जाय जिससे बाढ़ से बचाव हो सके। नदी के किनारे शांतीपुरी एक गांव नैनीताल जिले में है, कोई ऐसी योजना बनायी जाय जिससे इसकी रक्षा हो सके। वहां से एक प्रतिनिधि मंडल भी आया था। उनके साथ मैं संबंधित अधिकारियों से भी मिला और मैंने यह निवेदन किया था कि कोई स्थायी योजना बनायी जाती जिससे उन ग्रामों की रक्षा हो सकती। अब योजना भी वहां से आ चुकी है लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिली है और न कोई कार्यवाही हो पायी है। मैं मानता हूं कि अन्य अंचलों के मुकाबले वहां की बाढ़ कम है। लेकिन बाढ़ में जन-धन की क्षति एक ही तरह से सब जगह होती है। इसलिये मान्यवर, जो योजना वहां से बाढ़ नियंत्रण बोर्ड या सिंचाई मंत्री जी के पास आयी है उस पर ध्यान दें और अगले साल तक इस योजना को कार्य रूप दे दिया जाय।

*श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि यह जिला प्रतिवर्ष बाढ़ का शिकार होता है। इस वर्ष भी जो बाढ़ आयी थी उसमें केवल कुछ गांवों में बाढ़ आयी थी, वह गांव जो नदियों के किनारे हैं। इसमें भी, ३१० गांव, सरकारी आंकड़े से जो पेश किये गये हैं उसमें भी कहा गया है कि ३१० गांव तबाह हुये हैं। यह बाढ़ हमारे जनपद के लिये कुछ नहीं थी। अभी तो केवल थोड़े से गांव जो नदी के किनारे बसे हैं वह घाघरा और राप्ती नदी से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ तो गत वर्ष आयी थी। और सन् ७३ में आयी थी जिससे हमारे जनपद के हजारों गांव बरबाद हो गये थे। हजारों मवेशी मर गये थे और व्यापक जन-धन का नुकसान हुआ था। जिससे आज तक लोग परेशान हैं। उस बाढ़ की वजह से आज तक लोग अपने जीवन स्तर को उठाने के लिये परेशान हो रहे हैं। भोजन भी समय से नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से अबकी जो बाढ़ आयी है वह केवल नदियों के किनारे वाले गांवों में आयी है। तो इस तरह से जो बाढ़ आती है वह नदियों के अननेचुरल बहाव के कारण, पानी के रुक जाने से आती है। बढ़ी गंडक की जो नहरें हैं उनसे कृत्रिम रूप से बाढ़ आ जाती है। इन क्षेत्रों में पहले बाढ़ नहीं आती थी। संयोग से मैं भी ऐसे ही क्षेत्र से आता हूं जो क्षेत्र कृत्रिम बाढ़ का शिकार हो रहे हैं। जैसे भाटपार रानी जिसमें भटनो, भरट्टा आदि शामिल हैं। यह पूरी तरह से जलमग्न हो गये थे और देखने से पूरा समुद्र मालूम होता था। गत वर्ष भी इसी तरह से यह क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गये थे जिसकी वजह से तबाही आयी थी, बहुत से लोग मरे थे और नुकसान हुआ था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराज सिंह]

मैं अभी जो यह बाढ़ आयी है उसको देखकर आ रहा हूं। यह बाढ़ तो कम है। असली बाढ़ तो सितंबर के महीने में आती है। अभी जो नहीं आयी है और आने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिये, मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार तैयार रखे वहां के अधिकारियों को इस बाढ़ से मुकाबला करने के लिये। अभी से पूरी तैयारी कर ली जाय। यह बाढ़ आयेगी कैसे इस संबंध में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र में छोटी गंडक और खनुआ नाला, यह छोटी-छोटी नदियां हैं। इनके बहाव में बालू भर गयी है और बड़ी गंडक से जो नहरें निकाली गयीं हैं, वह कई जगह पर मिलायी गयीं हैं। जब तक इन नदियों के मुहानों को पूरी तरह से साफ नहीं किया जायगा, छोटी गंडक, खनुआ नाले पर बांध नहीं बांधे जायेंगे तब तक इस बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। गंडक नहर से जो पानी आता है वह यहां जल प्लावित कर देता है। इन नदियों के किनारे बाढ़ की योजना बहुत जरूरी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र का सर्वे कराकर वहां बांध बनाने की योजना बनावें। हमारे क्षेत्र के उत्तरी भाग में हाहा नाला है जिसमें बिहार से नहर आकर मिलती है। वह नाला इतना छिछला है कि थोड़ी सी बारिश होनेपर ५-७ गांव जलमग्न हो जाते हैं। इसलिये हाहा नाले के सामने भी उत्तर प्रदेश की तरफ से बांध बनाना जरूरी है। मैं इसके साथ ही मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर मंत्री जी ध्यान दें।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर जो बयान दिया गया वह वास्तव में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर पूरी तौर से रोशनी नहीं डालता है। यह सही है कि जो जगहें बतायी गयी हैं वह बाढ़ से ग्रस्त हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के शिकार हैं या उसकी लपेट में हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कि गंगा और राम गंगा दो नदियों के बीच बसा है और वह है राजेपुर ब्लाक। जब इन दो नदियों का ताण्डव नृत्य होता है तो पिछले ५० सालों से उस इलाके के लोग बाढ़ के शिकार होते रहते हैं। लेकिन इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। यही नहीं कभी-कभी राजकीय अधिकारियों की गल्ती के कारण वहां के लोग नुकसान उठा जाते हैं। एक महीना पहले तराई के इलाके में तरबूजे, ककड़ी और खरबूजे की फसल पैदा करके वहां के लोग अपना जीवनयापन करते हैं। लेकिन नरौरा से पानी छोड़ा गया, तो राजकीय नियमों के अनुसार जब कभी ऐसी बात होती है तो वह वायरलेस से सूचना दे देते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद जिले को वायरलेस से कोई सूचना नहीं मिली और एकदम गंगा का पानी बढ़ गया और ३ दिन के अन्दर १० लाख रुपये की फसल तरबूज, ककड़ी और खरबूजे खराब गये। सारा इलाका जलमग्न हो गया। वहां के जिलाधीश से कहा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी और यह भी नहीं कहा कि इस तरह की बात बिना बताये कैसे हो गयी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी इत्तिला उनको क्यों नही दी गयी। अतः सारे वहां के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि इसमें मानवीय जीवन की समस्याओं का सवाल है।

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि वहां लो फ्लड चल रहा है और कई गांव पानी से भरे हैं। पिछले कई सालों से आसमपुर, बलीपट्टी और रानीगांव बाढ़ एवं पानी के कटाव के शिकार हो जाते हैं जिससे वहां के किसान बेघरबार हो जाते हैं। इस संबंध में वहां के जिलाधिकारी को लिखकर दिया गया कि इन गांवों का सर्वे करा लिया जाय लेकिन अभी तक वहां का सर्वे नहीं कराया गया है जो कि बड़े दुख की बात है। इसलिये वह ब्लाक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके ६० गांव प्रतिवर्ष बाढ़ के शिकार होते हैं उसका मंत्री जी सर्वे अवश्य करायें कि वहां बाढ़ की रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही करना आवश्यक है। लेकिन यह तो जरूर हो सकता है कि एक सर्वे करके प्रोजेक्ट तैयार किया जाय कि वहां किन-किन साधनों की जरूरत होगी। मेरे अपने क्षेत्र में जो सड़कें हैं उन पर पुलिया न बनाकर डिप बना दिये हैं। नतीजा यह है कि वहां पानी भर जाता है और सारा यातायात अस्त-व्यस्त हो जाता है। क्रो फ्लाई करके या कूद कर आदमी नहीं जा सकता। इसी के साथ-साथ कायमगंज का इलाका है। पिछले साल हमारे जिलाधिकारी और अनवार मोहम्मद साहब ने एक प्रस्ताव भेजा था कि निदौली बांध बुढ़ियापार बांधा जाय जिससे कि बहुत सा इलाका सुरक्षित हो जायगा। और भी नहीं तो कम से कम इतनी सुविधा हो जायगी कि जो लोग बाढ़ की विभीषिका का शिकार होते हैं वह सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे। लेकिन जिलाधिकारी और वहां के विधायक के लिखने के बावजूद भी प्रशासन के किसी अधिकारी ने वहां जाकर सर्वे नहीं किया और न इसको आवश्यक ही समझा। हर साल वहां बाढ़ आती है और अधिकारी भी यह समझ कर संतोष कर लेते हैं कि यह तो वहां के लोगों की किस्मत का दोष है कि वह वहां बसे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही फिर निवेदन करूंगा कि जो-जो इलाके बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं उनका सर्वे करा लें और प्रोजेक्ट तैयार कर लें कि कौन-कौन से काम करके बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है और फिर जैसे-जैसे साधन उपलब्ध हों उन कार्यों को किया जाय।

श्री रामलखन (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। मैं सिंचाई मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बाढ़ के जमाने में बस्ती की ओर ध्यान दें। मेरा इलाका ऐसा है जहां हमेशा बाढ़ आती है। मैं चौथी बार सदस्य चुन कर आया हूं। चारों बार चिल्लाता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस्ती के किनारे घाघरा नदी बहती है और हजारों गांव इससे प्रभावित होते हैं। वर्षा अगस्त में होती है। लोगों ने सोचा कि पहले ही फसल बो दें तो तैयार हो जायगी। लोगों ने ५० प्रतिशत की जगह ७५ प्रतिशत बो दिया। इस तरह से जो गल्ला घरों में था वह बीज की शक्ल में खेतों में डाल दिया। नतीजा यह है कि उनके खाने के लिये गल्ला नहीं रहा। जो बोया वह भी वर्षा जल्दी हो जाने से बह गया। न उनके लिए खाने को है और न मजदूरी ही मिल रही है। उसकी हालत यह है कि टट्टी पाखाना भी पानी में ही जाना पड़ता है। जो मदद आप देते हैं दो किलो चना दे दिया तो उससे एक परिवार का क्या गुजर हो सकता है? अगर बस्ती को बचाना है तो कटान रोकने के लिये घाघरा पर ठोकर लगवायें और बंधा बनवायें। दो-तीन बंधे वहां बने थे लेकिन वह कट गये। पिछली बार मैंने मंत्री जी को भी लिखकर दिया था कि संड़ौलिया घाट से नायकापार तक अगर बांध बनवा दिया जाय तो लगभग ५०—६० गांवों की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार अगर दुबौलिया से सिरवाघाट व सांड़पुर तक बांध बनवा दिया जाय तो ३०—४० गांवों की रक्षा हो सकती है तथा सांड़पुर से सूदीपुर तक बांध अगर बन जाय तो १०—१२ गांवों की रक्षा हो सकती है। मैं लिखते-लिखते और कहते-कहते थक गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की समस्या जो है वह सिवाय बांध के जरिये से हल हो सकती है अन्यथा नहीं। जन—जीवन को खतरे से तभी बचाया जा सकता जब हम नदियों पर बांध बना दें। हमारे जिले में नदियां बहुत हैं, घाघरा, राप्ती, अरवई, आमी, आदि अनेक नदियां हैं जिससे सारा का सारा जिला प्रभावित रहता है और हर साल बाढ़ के पानी से बरबादी होती है। इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण भी सारी फसल बरबाद हो गई।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य और कितना समय चाहेंगे ? (कई सदस्यों के खड़े होने पर) चूंकि यह विवाद कल भी जारी रहना है, अतः आप कल ही अपने विचार व्यक्त करें।

अब हम कल ११ बजे प्रातः तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९७५।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २७५ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) धारा ३, १ जनवरी, १९७५ से प्रवृत्त हुई समझी जायगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध दिनांक १३ जून, १९७५ से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २२४—बी के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की, जिसे आगेमूल अधिनियम कहा गया है, धारा २२४—बी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

वर्तमान लाइसेंसों का प्रति संहरण

"२२४—ख—धारा २२४ के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्रत्येक लाईसेंस यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, १३ जून, १९७५ से प्रतिसंहृत हो जायगा।"

धारा २२४—सी के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

३—मूल अधिनियम की धारा २२४-सी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"२२४—ग— (१) यदि किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस धारा २२४-बी के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, प्रति संहृत कर दिया जाय या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित नई धारा २२४—ख के आधार पर प्रतिसंहृत हो जाय तो लाइसेंस के प्रतिसंहरण के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे "उक्त दिनांक" कहा गया है) के ठीक पूर्व लाइसेंसधारी की या उसमें निहित जलकल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति (अर्थात् समस्त वर्तमान जल-सम्भरण सेवायें जिनके अन्तर्गत सभी संयन्त्र, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग सेट, फिल्टर बेड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे ऊपर या नीचे बिछाये गये पानी के मेन और पाइप भी हैं और उनसे संलग्न सभी भवन और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार तथा वस्तुएं) उक्त दिनांक से उस सम्पत्ति से सम्बद्ध लाइसेंसधारी के किसी ऋण, बन्धक या समान आभार से मुक्त होकर बोर्ड में निहित और उसको अन्तरित हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ऋण, बन्धक या समान आभार ऐसी सम्पत्ति के स्थान पर उपधारा (२) में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(२) जहां किसी लाइसेंसधारी की कोई सम्पत्ति बोर्ड में उप—धारा (१) के अधीन निहित हो जाती है, और वह ऐसा जलकल नहीं है जिसका प्रबन्ध मात्र बोर्ड ने धारा २२४ के खण्ड (घ) के अधीन उस लाइसेंसधारी को अन्तरित किया था, वहां बोर्ड उस लाइसेंसधारी को इस धारा में आगे के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक से उक्त धनराशि के भुगतान के दिनांक तक की अवधि के लिए उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक को प्रभावशाली रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज लाइसेंसधारी को उक्त धनराशि के अतिरिक्त दिया जायगा ।

(३) राज्य सरकार इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात् लाइसेंसधारी को इस धारा के अधीन देय किसी धनराशि का निर्धारण करने के लिये विशेष अधिकारी लेखा सम्बन्धी विषयों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा नियुक्त करेगी ।

(४) (क) विशेष अधिकारी दिये जाने वाली शुद्ध धनराशि का निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की या लाइसेंसधारी की सहायता की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।

(ख) विशेष अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं :—

(१) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(२) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ;

(३) साक्षियों का परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना।

विशेष अधिकारी को ऐसी और शक्तियां भी होंगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(५) ऐसे लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि नीचे विनिर्दिष्ट धनराशि का कुल योग होगी :—

(१) जल-कल से सम्बन्धित और बोर्ड द्वारा ले लिये गये सभी निर्माण-कार्य (उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए हुए निर्माण कार्यों को छोड़कर) जो पूरे हो गए हैं और लाभप्रद उपयोग में हों उनका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से इस धारा से संलग्न सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा ;

(२) लिये गये निर्माणाधीन कार्य (उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये निर्माण—कार्यों को छोड़कर) का पुस्तांकित मूल्य ;

(३) लिये गये सभी भंडार का जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे भी हैं, पुस्तांकित मूल्य और उपयोग किए गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की दशा में, यदि लिये गये हों, ऐसी धनराशि जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाय ;

(४) ली गयी तथा उक्त दिनांक को उपयोग में लाई जा रही अन्य सभी स्थिर आस्तियों का पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आंकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा;

(५) जो संयंत्र और उपस्कर उक्त दिनांक को विद्यमान थे और अब घिसाई—पिटाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, यदि वे ले लिये गये हों तो जिस सीमा तक लाइसेंसधारी ने अपनी बहियों में उनका मूल्य बट्टे-खाते में न डाल दिया हो, उस सीमा तक उन सबका पुस्तांकित मूल्य जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आकलित अवक्षय को कम कर दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण:—किसी स्थिर आस्ति के पुस्तांकित मूल्य का तात्पर्य उसकी मूल्य लागत से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(१) लाइसेंसधारी के द्वारा आस्ति के लिये दिए गए क्रय मूल्य जिसके अन्तर्गत परिदान का खर्च और आस्ति को अस्तित्व में लाने और लाभप्रद उपयोग के योग्य बनाने में उचित रूप से उपगत प्रभार भी (जैसा कि लाइसेंसधारी की बहियों में दिखाया गया है) सम्मिलित है ।

(२) पर्यवेक्षण की वास्तविक लागत, किन्तु जो पैरा (१) में निर्दिष्ट धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन धनराशि का विनिश्चय करने के पूर्व विशेष अधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर इस बात के लिए कम से कम १५ दिन की नोटिस देने के पश्चात् दिया जायगा ।

(६) बोर्ड लाइसेंसधारी को उपधारा (५) के अधीन देय स्थूल धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि काटने का हकदार होगा :—

(क) लाइसेंसधारी द्वारा बोर्ड को देय समस्त धनराशि और उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(ख) राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् को देय समस्त धनराशि तथा उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो ;

(ग) जल-कल के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रांत औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में सेवायोजित व्यक्तियों को देय और उक्त दिनांक को भुगतान की गई मजदूरी, बोनस, अनुतोष, भविष्य निधि या अन्य भुगतान की कोई धनराशि ;

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा जल-कल के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों के विषय में इम्प्लाईज प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट, १९५२ या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन अपने अंशदान या अपने द्वारा वसूल किए गए कर्मचारी के अंशदान या लाइसेंसधारी से वसूली योग्य अन्य देयों के सम्बन्ध में भुगतान न की गई धनराशि ।

(७) लाइसेंसधारी यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति उपधारा (६) के अधीन की गयी कटौतियों तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा । ऐसी कोई कटौती की जाने पर म्यूनिसिपल बोर्ड, यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य विद्युत् परिषद् या मजदूर को उस सीमा तक भुगतान करने का उत्तरदायी होगा ।

(८) यदि लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली धनराशि के बराबर या उससे कम हो तो म्यूनिसिपिल बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायगा ।

(९) बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी को देय धनराशि, यदि कोई हो, वही होगी जो उपधारा (५), (६) तथा (८) के अधीन विशेष अधिकारी द्वारा अवधारित की जाय और धारा ३२४ की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा देय धनराशि के अवधारण के सम्बन्ध में लागू होती है ।

विभिन्न आस्तियों की प्रयोगावधि के आधार पर अवक्षय सारणी

लाइसेंसधारी के उपक्रम में लगी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिये उतनी धनराशि काटी जायगी जो यदि निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट सम्पूर्ण अवधि पर्यन्त प्रतिवर्ष अलग रखी जाय तथा उस पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि व्याज संचित होने दिया जाय तो उससे उक्त अवधि के अन्त में उतनी धनराशि प्राप्त हो जो लाइसेंसधारी की बहियों में पहले से अप-लिखित तथा पृथक् की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर हो :—

स्तम्भ—१ आस्ति का ब्योरा	स्तम्भ—२ अवधि या वर्ष संख्या
क—भूमि जो पूर्ण हक के अधीन स्वामित्व में हों	अपरिमित ।
ख—पट्टे के अन्तर्गत धृत भूमि	पट्टे की अवधि या पट्टे के अभ्यर्पण पर असमाप्त शेष अवधि ।
ग—नई क्रय की गई आस्तियां—	
(क) स्थायी प्रकार के भवन तथा सिविल अभियांत्रिक निर्माण-कार्य जिनका ऊपर उल्लेख न किया गया हो :—	
(१) कार्यालय ..	पचास
(२) अस्थायी संस्थापन जैसे काष्ठ संरचनायें	पांच
(३) कच्ची सड़कों से भिन्न सड़कें	एक सौ
(४) अन्य	पचास
(ख) स्वचालित गाड़ियां ..	सात
(ग) (१) कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	बीस
(२) कार्यालय उपस्कर ..	दस
(घ) खरीदी गई पुरानी आस्तियां तथा ऐसी आस्तियां जो इस सारणी में अन्यथा न दी गई हों ।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि जिसे विशेष अधिकारी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनका प्रकार, आयु तथा दशा को ध्यान में रखते हुये अवधारित किया जाय ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १६, १९७५

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा ।

उद्देश्य और कारण

वर्ष १९३५ में दो म्युनिसिपल बोर्ड, अर्थात् अलीगढ़ और मुरादाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड ने अपनी-अपनी म्युनिसिपल सीमाओं में जल-कल चलाने तथा जल सम्भरण की व्यवस्था करने के लिये, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के उपबन्धों के अधीन निजी लाइसेंसधारियों को लाइसेंस दिये थे। ये लाइसेंस पचास वर्ष की अवधि के लिये दिये गये थे तब से नागर क्षेत्रों की जन-संख्या तथा विकास कार्यों में द्रुत गति से वृद्धि हुई है और निजी लाइसेंसधारियों को अपने सीमित संसाधनों से जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना सम्भव नहीं है। अतएव, लोक-हित में ऐसे लाइसेंसधारियों के लाइसेंसों को प्रतिसंहृत करने तथा उनके द्वारा चलाये जा रहे जल-कल और उससे सम्बन्धित आस्तियों को बोर्ड को अन्तरित करने का निर्णय किया गया था।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था, अतएव उक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

जगदीश शरण अग्रवाल,
स्वायत्त शासन मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७६ पर)

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

१९५५ का अधिनियम संख्या १० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की यथा संशोधित उप-धारा (२) में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ द्वारा यथा प्रतिस्थापित खंड (च) के स्पष्टीकरण में, उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(२) उस विशिष्ट खाद्यान्न के, जिसके सम्बन्ध में आदेश हो, उत्पादन के लिये खेती के अधीन क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रत्येक उत्पादक द्वारा विक्रय किये जाने के लिये परिमाण नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किये जाने के लिये व्यवस्था की जा सकेगी और विभिन्न उत्पादकों द्वारा धृत अथवा उनकी खेती के अधीन कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसा परिमाण क्रमिक आधार पर नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किए जाने के लिये व्यवस्था की जा सकेगी।"

निरसन

३—आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या १७, १९७५।

उद्देश्य और कारण

१--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (२) के खंड (च) के स्पष्टीकरण के खंड (२) में यह व्यवस्था की गई थी कि खाद्यान्न से सम्बन्धित किसी आदेश द्वारा उस विशिष्ट खाद्यान्न के उत्पादन के लिये खेती के अधीन क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रत्येक उत्पादक द्वारा विक्रय किये जाने के लिये परिमाण नियत किया जा सकता है।

२--उक्त उपबन्ध को, भूतलक्षी दिनांक से संशोधित करना इसलिये समीचीन समझा गया जिससे कि यह बात असंदिग्ध रूप से बिल्कुल स्पष्ट हो जाय कि विक्रय किये जाने के लिये खाद्यान्न का परिमाण विभिन्न उत्पादकों द्वारा धृत अथवा उनकी खेती के अधीन कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये क्रमिक आधार पर नियत किया जा सकेगा।

३--चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था, अतएव, उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

४--यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी,
खाद्य मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७६ पर)

उत्तर प्रदेश फन्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

फन्डामेन्टल रूल ५६ का अग्रेतर संशोधन करने तथा सिविल सर्विस रैगुलेशन्स में परिणाम स्वरूप संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

फण्डामेन्टल रूल ५६ का संशोधन।

२—फाइनेन्शियल हैंडबुक, खंड २, भाग २ से ४ तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल्स के समय-समय पर यथासंशोधित नियम ५६ (जिसे आगे उक्त नियम ५६ कहा गया है) में,—

(१) खंड (क) के वर्तमान परन्तुकों व उनके स्पष्टीकरणों को निकाल दिया जाय ;

(२) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(ग) खंड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सरकारी सेवक पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा-निवृत हो सकता है।

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) किसी ऐसे सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा-निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा-निवृत्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये या, यथास्थिति ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन का दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनके अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(२) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर, और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना, सेवा-निवृत होने की अनुज्ञा दे सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध, अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हों, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि स्वेच्छया सेवा निवृत होने केलिये खंड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा एक बार दी गई नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी ।

(ङ) प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा–निवृत होनेकी अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा–निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा–निवृत्ति पेन्शन देय होगी और सेवा-निवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे ।

स्पष्टीकरण––(१) नियुक्ति प्राधिकारी खंड (ग) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के लिये सरकारी सेवक से अपेक्षा करने का निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा यह बात लोकहित में प्रतीत होने पर लेगा, किन्तु यहां पर दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(२) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, लोक हित में लिया गया उपधारित किया जायगा ।

(३) पद "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सेवा-निवृत होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गई हो या सरकारी सेवक सेवा–निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति प्राप्त हो और पद "अर्ह सेवा" का वही अर्थ होगा जो सेवा-निवृत्ति–पेंशन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों में दिया हो ।

(४) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने के दिनांक के आराहून से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध सरकारी सेवक सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा-निवृत्त हो गया, विधिमान्य समझा जायगा ।"

३––उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ और ४६५–ए एतद्द्वारा विखंडित किये जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तद्धीन की गई हों या अकरित हों ।

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ तथा ४६५–ए का विखण्डन

अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों पर लागू होना

४—(१) यदि १ नवम्बर, १९७३ को या उसके पश्चात् उक्त नियम ५६ के खंड (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकिल ४६५ के नोट १ के अधीन या आर्टिकिल ४६५—ए के नोट १ के अधीन कोई आदेश दिया गया हो या दिया जाना अभिप्रेत हो जिसमें किसी सरकारी सेवक से बिना नोटिस के या तीन मास से कम अवधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो तो यदि ऐसे सरकारी सेवक को उक्त तीन मास की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये वेतन पहले ही नहीं दे दिया गया हो तो वह तीन मास की पूरी अवधि के लिये या, यथास्थिति, नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह ऐसे आदेश के दिनांक के ठीक पहले पा रहा था ।

(२) संदेहों को दूर करने के लिये, एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त नियम ५६ या उक्त रेगुलेशन्स या उस निमित्त किसी आदेश या अनुदेश की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश द्वारा अपेक्षित सेवा-निवृत्ति के पूर्व या साथ-साथ नोटिस की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये सरकारी सेवक को वस्तुतः भुगतान करने की अपेक्षा कभी भी की गई है, और ऐसा भुगतान न करने से आदेश की विधि मान्यता पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न कोई प्रभाव कभी पड़ा हुआ समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हो, और राज्य सरकार चाहे तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर किसी ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिये किसी न्यायालय को आवेदन कर सकती है ।

(३) शासनादेश संख्या ५/२/१९७३ नियुक्ति (३), दिनांक २ नवम्बर, १९७३ उसी दिनांक से निरस्त हुआ समझा जायगा, व सेवा—निवृत्ति का कोई आदेश इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा या कभी अवैध हुआ नहीं समझा जायगा कि वह उक्त शासनादेश से असंगत है ।

निरसन तथा अपवाद

५—(१) उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उ० प्र० अध्यादेश संख्या १४, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम ७ जून, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था ।

उद्देश्य और कारण

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खंड २ (भाग २ से ४) में सन्निहित फंडामेन्टल रूल के नियम ५६ और सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के पैरा ४६५ और ४६५-ए में सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा-निवृत्त के सम्बन्ध में दो भिन्न-भिन्न उपबन्ध हैं। यह आवश्यक समझा गया कि दोनों उपबन्धों को समेकित किया जाय और उपर्युक्त रूल ५६ को संशोधित करके इस आशय का एक नया उपबन्ध बनाया जाय।

२—सन्देहों को दूर करने के लिये यह भी समीचीन समझा गया कि नोटिस तथा उसके बदले में वेतन के भुगतान से सम्बन्धित उपबन्धों को और अधिक सुव्यक्त किया जाय तथा कुछ अन्य स्पष्टकारी उपबन्ध भी बनायें जायं।

३—चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था इसलिये उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

४—यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को कतिपय परिष्कारों सहित पुरःस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

पी०एस० यू० पी०—एल० २०३ वि० सभा (६५०)—१२७५—८४५।